VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सुरक्षा

Classroom Study Material 2020

(September 2019 to September 2020)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH

विषय सूची

1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) 3

1.1. 5G प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा (5G and Cybersecurity) 8

1.2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा (Artificial Intelligence and National Security) 9

1.3. फेक न्यूज़ (Fake News) 13

2. डेटा संरक्षण (Data Protection) 16

2.1. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (The Personal Data Protection Bill, 2019) 17

2.2. गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non-Personal Data) 19

2.3. आरोग्य सेतु ऐप से संबद्ध सुरक्षा मुद्दे (Security Issues with Aarogya Setu App) 21

3. सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन (Border Security and Management) 23

3.1. सीमा अवसंरचना (Border Infrastructure) 25

3.2. सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां और उनसे निपटने के लिए हाल ही में किए गए उपाय (Challenges in Border Areas and Recent Initiatives to Tackle them) 26

4. चरमपंथ और आतंकवाद (Extremism and Terrorism) 30

4.1. देश में आतंकवाद-रोधी क़ानून (Anti-Terror Laws in the Country) 31

4.1.1. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 {Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019: UAPA} 32

4.1.2. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 {NIA (Amendment) Act, 2019} 33

4.2. "लोन वुल्फ" अटैक ("Lone Wolf" Attack) 35

5. पूर्वोत्तर में विद्रोह (Insurgency in the Northeast) 38

5.1. नागा शांति वार्ता (Naga Peace Talks) 39

5.2. बोडोलैंड विवाद (The Bodoland Dispute) 41

5.3. ब्रू शरणार्थी संकट (Bru Refugee Crisis) 43

6. पुलिस का आधुनिकीकरण (Police Modernization) 45

6.1. कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस की तत्परता (Police Preparedness During Covid-19 Pandemic) 47

7. सैन्य आधुनिकीकरण (Military Modernization) 51

7.1. रक्षा उत्पादन (Defence Production) 51

7.1.1. प्रारूप रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020 {Draft Defence Production and Export Promotion Policy (DPEPP) 2020} 52

VISION IAS

7.2. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020) 53

7.3. महिला सैन्य अधिकारियों हेतु स्थायी कमीशन और कमांड नियुक्तियां (Permanent Commission and Command positions to Women Army Officers) 56

7.3.1. युद्धक भूमिका में महिलाएं (Women in Combat Role) 58

7.4. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff) 59

7.5. भारत में थियेटर कमान (Theatre Command in India) 61

8. युद्ध के उभरते हुए आयाम (Emerging Dimensions of Warfare) 64

8.1. हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare) 64

8.2. अंतरिक्ष युद्ध (Space Warfare) 66

8.3. निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons) 69

9. विविध (Miscelleneous) 73

9.1. हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री जलदस्युता (Piracy in the Indian Ocean Region) 73

9.2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सैन्यीकरण (Militarization of Andaman and Nicobar Islands) 77

9.3. भारत का परमाणु सिद्धांत (India's Nuclear Doctrine) 79

9.4. महामारी और राष्ट्रीय सुरक्षा (Epidemics and National Security) 82

Mains 365 - सुरक्षा

1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

परिचय

साइबर सुरक्षा से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के हमलों, क्षति, दुरुपयोग तथा आर्थिक जासूसी (economic espionage) से **साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने** से है। साइबर स्पेस **सूचना संबंधी परिवेश के भीतर एक वैश्विक क्षेत्र** है, जिसकी स्वयं की IT अवसंरचना, यथा- इंटरनेट, दूरसंचार नेटवर्क, कंप्यूटर प्रणालियाँ आदि होती हैं।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता

- **सरकार द्वारा डिजिटलीकरण हेतु किए जा रहे प्रयास:** आधार, MyGov, सरकारी ई-बाज़ार, डिजीलॉकर, भारतनेट इत्यादि विविध सरकारी कार्यक्रम अत्यधिक संख्या में नागरिकों, कंपनियों तथा सरकारी एजेंसियों को ऑनलाइन व्यवहारों एवं अन्तरणों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- **स्टार्ट-अप कंपनियों को डिजिटल प्रोत्साहन:** भारत, तकनीक आधारित स्टार्ट-अप्स का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है तथा भारत के ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) क्षेत्र के वर्ष 2020 तक बढ़ कर 225 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है।
- **सुभेद्यता में वृद्धि:** साइबर सुरक्षा के उल्लंघनों के मामलों में भारत विश्व का **पांचवां** सबसे सुभेद्य देश है। भारत में वर्ष 2017 के पूर्वार्ध में **प्रति 10 मिनट में एक साइबर अपराध दर्ज किया गया।** इसमें अपेक्षाकृत अधिक जटिल एवं संवेदनशील साइबर ख़तरे, उदाहरण के लिए **वानाक्राई एवं पेटया** जैसे रैनसमवेयर भी सम्मिलित थे।
  - वर्ष 2017 में, वैश्विक स्तर पर हुए सभी साइबर हमलों, यथा- मॉलवेयर, स्पैम तथा फिशिंग आदि में से 5.09% (हमले) अकेले भारत पर किए गए।
- **आर्थिक क्षति से बचाना:** भारत में साइबर हमलों के कारण होने वाली आर्थिक क्षति अनुमानतः 4 अरब डॉलर की है, जिसके आगामी 10 वर्षों में बढ़कर 20 अरब डॉलर होने की संभावना है।
- **इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या:** अमेरिका तथा चीन के बाद इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। वर्ष 2020 तक भारत में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 730 मिलियन हो जाएगी, जिसमें से 75% नए प्रयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से होंगे।
- **ऑनलाइन लेन-देन में वृद्धि:** उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 तक 50% यात्रा संबंधी लेन-देन ऑनलाइन किए जाएंगे तथा 70% ई-कॉमर्स संबंधी लेन-देन मोबाइल के माध्यम से संचालित होंगे।

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ

- **व्यापक स्तर पर डिजिटल निरक्षरता:** यह भारतीय नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी, साइबर चोरी जैसे ख़तरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है।
- **निम्न गुणवत्ता वाले उपकरणों का प्रयोग:** भारत में, इंटरनेट तक पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अधिकाँश उपकरण सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं, जिससे उनके मॉलवेयर के संपर्क में आने का ख़तरा अधिक होता है, जैसा कि हाल ही में घटित **'सपोशी' (Saposhi)** के मामले में देखा गया है।
  - अनधिकृत लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर का व्यापक स्तर पर उपयोग तथा कम मूल्य देकर प्राप्त किए गए लाइसेंस उन्हें और अधिक सुभेद्य बना देते हैं।
- **नई तकनीक के अंगीकरण का अभाव:** उदाहरण के लिए, भारत की बैंकिंग अवसंरचना इतनी सुदृढ़ नहीं है कि बढ़ते डिजिटल अपराधों का सामना कर सके। ज्ञातव्य है कि कुल डेबिट तथा क्रेडिट कार्डों में से 75% मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आधारित है जिनका प्रतिरूप (Duplicate) सरलता से बनाया जा सकता है।
- **समान मानदंडों का अभाव:** भिन्न-भिन्न मानकों के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की संख्या अत्यधिक है जिससे **एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल** स्थापित करना कठिन हो जाता है।

VISION IAS

- **आयात पर निर्भरता:** ऊर्जा, रक्षा तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में प्रयुक्त अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर सेलफ़ोन तक आयात किए जाते हैं, जिससे भारत की सुभेद्यता बढ़ जाती है।
- **पर्याप्त अवसंरचना तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी:** वर्तमान में भारत में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग 30,000 पद रिक्त हैं तथा साथ ही आवश्यक कौशल युक्त लोगों की आपूर्ति उनकी मांग से बहुत कम है।
- **अनामिकता (Anonymity):** यहाँ तक कि हैकरों द्वारा किए गए उन्नत एवं सटीक हमलों के संबंध में यह ज्ञात करना भी कठिन हो जाता है कि ये हमले किस विशिष्ट अभिकर्ता, देश या गैर-राज्य कर्ता द्वारा किए गए थे।
- **साइबर सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव:** निजी क्षेत्रक के साइबर स्पेस में महत्वपूर्ण हितधारक होने के बावजूद, इसके द्वारा साइबर सुरक्षा के संबंध में सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।
- **अन्य चुनौतियां:** इसके अंतर्गत, भौगोलिक बाधाओं की अनुपस्थिति, अधिकांश सर्वरों का भारत के बाहर स्थापित होना, साइबर स्पेस के क्षेत्र में तेजी से विकसित होती प्रौद्योगिकी तथा साइबर स्पेस के समग्र परिवेश में विद्यमान विविध प्रकार की सुभेद्यताओं के कारण एक अभेद्य साइबर सुरक्षा संरचना की स्थापना के समक्ष आने वाली कठिनाईयां इत्यादि कुछ अन्य प्रमुख चुनौतियां है।

चीन की ओर से साइबर सुरक्षा जोखिम

- **चीनी मोबाइल ऐप:** भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों ऐप डाउनलोड करने वाले **दुनिया के सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता** हैं। हालांकि, इन ऐप्स में से 80 प्रतिशत सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित हैं।
- **बौद्धिक संपदा:** एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी कंपनियों द्वारा 20 प्रमुख उद्योगों में संलग्न 141 कंपनियों से अरबों टेराबाइट डेटा की चोरी की गई है।
- **साइबर-जासूसी:** एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, **पीपुल्स लिबरेशन आर्मी** की **एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट (APT) निकाय** पर कई कंप्यूटरों के हैकिंग का आरोप है। इसने वर्ष 2006 से पीड़ितों की एक विस्तृत श्रृंखला के विरुद्ध साइबर जासूसी अभियान का संचालन किया है।
- **चीन समर्थित खतरे:** ऐसे कई उदाहरण हैं जहां चीन समर्थित निकायों/देशों द्वारा भारत में खतरे उत्पन्न किए गए हैं। उदाहरण के लिए, **न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया** के **कुडनकुलम संयंत्र** के एक सिस्टम में एक मैलवेयर पाया गया था। इस मैलवेयर को डेटा निष्कर्षण के लिए डिज़ाइन किया गया था और यह उत्तर कोरिया के **लाजर समूह (Lazarus Group)** से संबंधित था।

सुभेद्य महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical information infrastructure: CII)

- हाल ही में, **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (Kudankulam Nuclear Power Project: KKNPP)** पर साइबर हमले हुए थे। इसने हमारी **साइबर स्पेस अवसंरचना की सुभेद्यताओं** को फिर से उजागर किया है।
- महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना एक प्रकार की संचार या सूचना सेवा होती है जिसकी उपलब्धता, विश्वसनीयता और सुनम्यता (resilience) आधुनिक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अन्य अनिवार्य सामाजिक मूल्यों की क्रियाशीलता को बनाए रखने हेतु आवश्यक होती है।
- भारत में महत्वपूर्ण सूचना क्षेत्रकों में ऊर्जा, ICT/दूरसंचार, वित्त/बैंकिंग, परिवहन तथा ई-शासन सम्मिलित हैं।
- महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के विविध औद्योगिक कार्यों के मध्य जटिल अंतर्क्रिया तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान "अंतरनिर्भरता" उत्पन्न करते हैं। किसी एक भी बिंदु पर थोड़ा सा भी व्यवधान कई अवसंरचनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
- महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए एक **द्वि-चरणीय दृष्टिकोण** अपनाया जाता है, यथा-
    - संभावित ख़तरों की पहचान करना।

VISION IAS

- किसी भी प्रकार के हमले तथा उससे होने वाली क्षति के प्रति विविध प्रणालियों की सुभेद्यता की पहचान कर उसे कम करना तथा इनके रिकवरी समय (recovery time) में भी कमी करना।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय उपाय

- **साइबर कूटनीति:** भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, मलेशिया, आदि देशों के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग स्थापित किए है। उदाहरण के लिए, US-इंडिया साइबर रिलेशनशिप फ्रेमवर्क।
- **साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (Global Conference on Cyber Space: GCCS):** यह एक प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, नीति-निर्माता, उद्योग-विशेषज्ञ, थिंक टैंक, साइबर विशेषज्ञ इत्यादि एकत्रित होते हैं और साइबर स्पेस के इष्टतम उपयोग सबंधी मुद्दों तथा चुनौतियों पर विचार करते हैं। पांचवें GCCS का आयोजन **भारत** में किया गया था।
- **साइबर सुरक्षा हेतु वैश्विक केंद्र:** इसे विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा भविष्य के साइबर सुरक्षा परिदृश्य हेतु एक थिंक टैंक तथा एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के लिए लांच किया गया था। इसका उद्देश्य सुरक्षित वैश्विक साइबर स्पेस के निर्माण में सहायता करना है।

मानकों के निर्माण हेतु अन्य पहलें

- साइबर हमलों के विरुद्ध अपने ग्राहकों की गोपनीयता तथा सुरक्षा को इंटरनेट तथा तकनीक उद्योग द्वारा बेहतर रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **माइक्रोसॉफ्ट** ने **साइबर सिक्योरिटी टेक समझौते के साथ-साथ "डिजिटल पीस" अभियान** को आरम्भ किया।
- वर्ष 2015 में, संयुक्त राष्ट्र में, **सरकारी विशेषज्ञों के एक दल** द्वारा साइबर स्पेस संबंधित **4 शांतिकालीन मानकों को** निर्धारित किया गया है:
  - राष्ट्रों द्वारा एक-दुसरे की महत्वपूर्ण अवसंरचना में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
  - साइबर हमलों की जाँच में अन्य देशों की सहायता करना।
  - एक-दूसरे के **कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल** को लक्षित नहीं किया जाना चाहिए।
  - राष्ट्रों को उनके क्षेत्र से हो रही किसी भी कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी होना।

अन्य संबंधित तथ्य

'साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय' (Budapest convention on cybercrime) के बारे में

- यूरोपीय परिषद् का यह अभिसमय इस मुद्दे से संबंधित **एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ या उपकरण** है, जो राष्ट्रीय कानूनों को सुसंगत बनाकर, जाँच की तकनीकों के लिए वैधानिक प्राधिकरणों में सुधार लाकर तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि करके इंटरनेट तथा कंप्यूटर संबंधी अपराध का निपटारा करता है।
- यह कॉपीराइट के उल्लंघन, कंप्यूटर संबंधी धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री तथा नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसे मुद्दों का समाधान करता है।
- इसका उद्देश्य उपयुक्त विधान को अपना कर तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रोत्साहित करके एवं न्यायिक सहयोग के माध्यम से एक समान अपराध नीति का अनुपालन करना है।
- इसे कंप्यूटर प्रणाली द्वारा प्रतिबद्ध **"प्रोटोकॉल ऑन जेनोफोबिया एंड रेसिज्म"** के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
- इस अभिसमय के US तथा UK सहित 56 सदस्य हैं। **भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं बना है।**

भारत को इसमें क्यों सम्मिलित होना चाहिए?

- भारत को **उस प्रमाणित संरचना** से लाभ प्राप्त होगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्र, साइबर अपराध तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण वाले किसी भी अपराध के संबंध में जहाँ तक संभव हो एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।

VISION IAS

- यह अभिसमय **साइबर सुरक्षा पर एक वैश्विक क़ानून की आधारशिला निर्मित कर सकता है** तथा साइबर अपराध के विरुद्ध **राष्ट्रीय कानून या नीति-निर्माण के लिए** दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।
- भारत क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र बन सकता है तथा सदस्य होने की स्थिति में भविष्य के समाधान तलाश करने में समर्थ हो सकता है।

इसमें सम्मिलित होने के विपक्ष में तर्क

- भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों ने यह कहते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं कि विकसित राष्ट्रों ने बिना उनसे परामर्श किए हुए इसका निर्माण किया है।
- इसके विशिष्ट प्रावधान लोगों तथा राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हैं।
- इस अभिसमय द्वारा प्रदत्त पारस्परिक कानूनी सहायता अत्यधिक जटिल तथा विस्तृत है जिसके कारण व्यवाहरिक रूप से इसे लागू करना कठिन हो जाता है।
- इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) ने यह चिंता व्यक्त की है कि यह राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए इस अभिसमय का एक अनुच्छेद, स्थानीय पुलिस को किसी अन्य देश के क्षेत्राधिकार में स्थित सर्वरों तक बिना किसी पूर्व अनुमति के पहुंच प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है।

उठाए गए विविध कदम

- **संस्थागत उपाय:**
  - **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC):** इसकी स्थापना हवाई नियंत्रण, नाभिकीय तथा अंतरिक्ष संबंधी महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा संबंधी ख़तरों से निपटने हेतु की गई है। यह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के अधीन कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि NTRO द्वारा तकनीकी आसूचनाओं के एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है और यह प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नियंत्रणधीन होता है।
  - **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre: NCCC):** यह देश में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक की जाँच करने तथा वास्तविक समय में स्थितिपरक जागरूकता उत्पन्न करने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने का कार्य करता है।
  - एक **नवीन साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS) प्रभाग** का निर्माण साइबर ख़तरों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी तथा ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे इंटरनेट संबंधी अपराधों से निपटने के लिए किया गया है।
    - इसके अंतर्गत **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** तथा **साइबर वॉरियर पुलिस फ़ोर्स** की स्थापना भी की गयी है।
  - सैन्य साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय ने **डिफेन्स साइबर एजेंसी** का गठन किया है।
  - **भारतीय कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल (CERT-in):** अग्र-सक्रिय कदमों तथा प्रभावी सहयोग के माध्यम से भारत के दूरसंचार एवं सूचना संबंधी अवसंरचना की सुरक्षा हेतु इसकी स्थापना की गयी है।
    - **CERT-fin** को अनन्य रूप से वित्तीय क्षेत्र हेतु प्रारम्भ किया गया है।
    - CERT-in द्वारा **साइबर स्वच्छता केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर)** का संचालन भी किया जा रहा है।
  - सरकार ने सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं पर होने वाले साइबर हमलों को रोकने तथा उनका अनुमान लगाने के लिए एक नए निकाय **"नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर-कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (NIC-CERT)"** का गठन किया है।
  - **साइबर सुरक्षित भारत पहल** का गठन भारत में साइबर सुरक्षा परिवेश को सुदृढ़ करने हेतु किया गया है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक उदाहरण है तथा इसके द्वारा IT उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा।

VISION IAS

- गृह मंत्रालय द्वारा **महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध की रोकथाम संबंधी योजना** को कार्यान्वित किया जा रहा है।

- **वैधानिक उपाय:**
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (वर्ष 2008 में संशोधित)** का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आदान-प्रदान के माध्यम से किए जाने वाले लेन-देन हेतु, साइबर सुरक्षा के लिए आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करना है। इसके कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
    - **धारा 43:** डेटा सुरक्षा
    - **धारा 66:** हैकिंग
    - **धारा 69:** साइबर आतंकवाद
  - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013:** इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है:
    - ख़तरों के विभिन्न स्तरों से निपटने हेतु पृथक निकायों की स्थापना करना तथा एक मुख्य एजेंसी का गठन करना जो साइबर सुरक्षा के सभी मामलों का समन्वय कर सके।
    - एक NCIIPC का निर्माण करना।
    - साइबर सुरक्षा के लिए 5,00,000 प्रशिक्षित लोगों के कार्यबल का गठन करना।
    - सुरक्षा के सर्वोत्तम उपायों को अपनाने हेतु व्यवसायों को वित्तीय लाभ प्रदान करना।
    - देश में प्रयोग हो रहे उपकरणों की सुरक्षा की जाँच करने के लिए जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।
    - देश में एक साइबर परिवेश का निर्माण करना, तकनीकी तथा संचालन संबंधी सहयोग के माध्यम से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक की प्रभावी साझेदारी एवं सहयोगात्मक सहभागिता का विकास करना।
    - शोध के माध्यम से स्वदेशी सुरक्षा तकनीकों का विकास करना।

आगे की राह

- **समन्वय सुनिश्चित करना:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक को सशक्त कर विविध संस्थानों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा सकता है तथा साइबर निवारण सहित साइबर सुरक्षा के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है।
- **साइबर प्रतिरोध (Cyber deterrence):** यह दो प्रकार का होता है: **रक्षात्मक तथा आक्रामक।** भारत को बहुत से देशों द्वारा अपनाए गए आक्रामक साइबर सिद्धांत का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जहाँ वे 'साइबरवेपन्स' नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर आक्रामक क्षमता का विकास कर रहे हैं। इस हथियार से शत्रु के नेटवर्क को अत्यधिक क्षति पहुंचाई जा सकती है।
- **बेहतर विनियमन एवं मानकों का अंगीकरण:** वर्तमान में, साइबर स्पेस के उपयोग हेतु कोई भी स्वीकार्य मानक नहीं है। इसलिए, राष्ट्र के साथ-साथ कंपनियों द्वारा स्वयं की क्षमताओं को विकसित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आक्रामक साइबर साधनों के अनियंत्रित प्रसार और समग्र साइबर स्पेस में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क की स्थापना:** वर्तमान में, भारत में किसी साइबर बीमा की औसत लागत लगभग 7.5 मिलियन डॉलर है, जो विकसित देशों की तुलना में 20-25% कम है।
- **व्यवसायों के द्वारा साइबर सुरक्षा में निवेश को बढ़ावा देना:** IT सुरक्षा पर निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए एक साइबर सुरक्षा योजना अपनाना, साइबर इंश्योरेंस तथा एक डेटा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- **IT अधिनियम, 2008 में संशोधन:** अपराधों के लिए निवारक के रूप में कार्य करने के लिए साइबर अपराध के लिए निर्मित नियमों में बदलते साइबर परिदृश्य के साथ तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय IT अधिनियम में वित्तीय धोखाधड़ी को अभी भी एक जमानती अपराध माना गया है।
- **कौशल विकास:** वर्ष 2025 तक, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग 10 लाख रोज़गार के अवसर सृजित होने की संभावना है। अत: इस क्षेत्र में विदेशी लोगों को रोजगार प्राप्त करने से रोकने हेतु, भारत को ऐसे परिवेश का विकास करना चाहिए जो कि

VISION IAS

आवश्यक कौशल का सृजन कर सके। "IT पेशेवरों की रिपाज़िटरी के रूप में" एक **नेशनल साइबर रजिस्ट्री** निर्मित करने का विचार भी क्रियान्वित किया जा सकता है।

- **साइबर सुरक्षा नीति का अद्यतनीकरण:** भारत को साइबर सुरक्षा पर एक अद्यतन नीति की आवश्यकता है, जैसे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 (National Cyber Security Policy 2013) ने व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया था।
- **सिक्यूरिटी ऑडिट:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा संबंधी ऑडिटिंग को सभी सरकारी वेबसाइटों, एप्लीकेशन की होस्टिंग या पब्लिशिंग करने से पूर्व प्रयोज्य किया जा सकता है।
- **राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा ढाँचे की स्थापना:** उदाहरण के लिए, CERT-in के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय CERT की स्थापना करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना:** राष्ट्रों के मध्य बेहतर सहयोग स्थापित होना चाहिए तथा युद्ध की स्थिति में भी आधारभूत इंटरनेट अवसंरचना पर हमला न करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों को कृत संकल्पित होना चाहिए। हाल ही में, गृह मंत्रालय द्वारा बढ़ते साइबर अपराधों के आलोक में **साइबर अपराध से संबंधित बुडापेस्ट अभिसमय** पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की गई है।

1.1. 5G प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा (5G and Cybersecurity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5G प्रौद्योगिकी अनुसंधान में अग्रणी **हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी और जेड.टी.ई. कॉर्पोरेशन** को औपचारिक रूप से **"राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे"** के रूप में नामित किया है। (हुआवेई टेक्नोलॉजीज चीन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो दूरसंचार उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को **अभिकल्पित,** विकसित और विक्रय करने का कार्य करती है।)

अन्य संबंधित तथ्य

- ऐसी आशंका है कि हुआवेई टेक्नोलॉजीज **चीन के लिए निगरानी और साइबर जासूसी** को सक्षम करने हेतु आंतरिक प्रणाली प्रदान कर सकती है। इस आशंका के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:
  - हुआवेई और जेड.टी.ई. दोनों के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा चीन के सैन्य तंत्र से घनिष्ठ संबंध हैं, और दोनों कंपनियां **मुख्य रूप से चीनी कानून के अधीन हैं,** जो उन्हें देश की खुफिया सेवाओं के साथ सहयोग करने के लिए **बाध्य करता** है।
  - उन पर विदेशी नागरिकों का डेटा साझा करके चीनी सरकार के लिए **जासूसी करने का आरोप लगाया जाता रहा है।**
  - अपनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रणालियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने और उन पर हावी होने की चीन की नीति के कारण अविश्वास कई गुना बढ़ गया है।
- परिणामस्वरूप, कई **देशों को उन पर संदेह हो गया है**। उदाहरण के लिए, फ्रांस, ऑपरेटरों को इस चीनी टेलीकॉम दिग्गज के उपकरणों का उपयोग करने से रोक सकता है।
- इन आरोपों के प्रत्युत्तर में **हुआवेई ने इन सरकारों के निर्णय की आलोचना की है कि ये निर्णय** वास्तविक सुरक्षा चिंताओं की बजाय राजनीतिक आधार पर लिए गए हैं और यह **"वैचारिक पूर्वाग्रहों"** पर आधारित है। साथ ही, **D-10** जैसे भू-राजनीतिक बहिष्करण का सामना करने के लिए चीन ने 5 देशों के बीच **5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI)** को विस्तार प्रदान करने के लिए **'ब्रिक्स इनोवेशन बेस'** बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- चूंकि, वर्तमान में हुआवेई के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से जोड़ा जा रहा है** तथा इस प्रकार इस मुद्दे ने **मुक्त व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में एक बहस छेड़ दी है।** एक और भू-अर्थशास्त्रीय मोड़ लेते हुए, इस मुद्दे में **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी हथियारों की दौड़** आरंभ करवाने की क्षमता भी विद्यमान है।

VISION IAS

इस विवाद में भारत की स्थिति

- **द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT)** ने **चीनी कंपनियों** हुआवेई और जेड.टी.ई. को देश में 5G नेटवर्क का आरम्भ करने में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के लिए कहा है। यह भी आग्रह किया गया है कि किसी भी कंपनी द्वारा 5G नेटवर्क आरम्भ करने में इन दोनों कंपनियों की प्रौद्योगिकी और उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- तनावपूर्ण भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में, सरकार **सुरक्षा और रणनीति से संबंधित मुद्दों को उद्धृत करती** रही है। इस प्रकार सरकार इन फर्मों को भारत में 5G आरम्भ करने की प्रक्रिया से बाहर करने की ओर संकेत कर रही है।

5G प्रौद्योगिकी को अपनाने से साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौती कैसे उत्पन्न हो सकती है?

5G वायरलेस नेटवर्क **7 ट्रिलियन से अधिक वायरलेस उपकरणों** के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करेगा और इस प्रकार 7 बिलियन से अधिक लोगों को सेवा प्रदान करेगा। इससे सुरक्षा के खतरों के नए युग का आरम्भ होगा, जो निम्न रूपों में उत्पन्न हो सकते हैं:

- **विकेंद्रीकृत सुरक्षा आवश्यकताएँ:** 5G नेटवर्क से पहले के नेटवर्कों में हार्डवेयर ट्रैफ़िक पॉइंट-ऑफ-कॉन्टैक्ट कम थे, जिससे सुरक्षा जांच और उनका रखरखाव करना आसान था। 5G की डायनेमिक सॉफ़्टवेयर-आधारित प्रणाली में कहीं अधिक ट्रैफ़िक राउटिंग पॉइंट्स हैं। संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इन सभी पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। नेटवर्क का कोई भी असुरक्षित भाग नेटवर्क के अन्य भागों को संकटग्रस्त कर सकता है, इसलिए इसे विकेंद्रीकृत सुरक्षा प्रदान करना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा (Critical infrastructure protection):** 5G महत्वपूर्ण अवसंरचना के भीतर रियल टाइम कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा। इस प्रकार, नेटवर्क सुरक्षा में किसी भी संभावित कमी से इस अवसंरचना की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के साथ-साथ इसरो पर **हाल ही के साइबर हमले** साइबर क्षेत्र में हमारी सुभेद्यता को उजागर करते हैं।
- **कई इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों को सुरक्षा संबंधित कमियों के साथ विनिर्मित किया जाता है:** अधिकाधिक उपकरणों को कनेक्ट करने के प्रयास में विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रणालियों से निहित कई अरब उपकरणों का अर्थ है कि सुरक्षा उल्लंघन के अरबों संभावित बिंदु विद्यमान हैं, जो प्रणाली की समग्र सुभेद्यता में वृद्धि करते हैं।
- **नेटवर्क स्विचिंग:** विश्वसनीय 5G सिग्नल उपलब्ध नहीं होने पर 4G या 3G कनेक्शन की अनुमति देने के लिए अभिकल्पित प्रोटोकॉल द्वारा एक और सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होता है। जब 5G उपकरण, 3G या 4G पर स्विच करता है, तो यह उन खतरों अथवा कमियों के प्रति सुभेद्य हो जाता है, जिनका पिछली पीढ़ियों के प्रोटोकॉल में समुचित समाधान नहीं किया गया है।
- **क्लाउड कम्प्यूटिंग को सुरक्षित रखना:** चूंकि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रणाली उपयोगकर्ताओं के बीच संसाधनों के साझाकरण की सुविधा प्रदान करती है, अतः इससे कोई भी उपयोगकर्ता दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक का जाल बिछा सकता है।
- **अधिक बैंडविड्थ वर्तमान सुरक्षा निगरानी पर दबाव डालेगी:** यद्यपि वर्तमान नेटवर्कों की गति और क्षमता सीमित हैं, लेकिन इससे वास्तव में प्रदाताओं को रियल टाइम सुरक्षा निगरानी करने में सहायता मिली है। इसलिए, विस्तारित 5G नेटवर्क के लाभ वास्तव में साइबर सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

1.2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा (Artificial Intelligence and National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल की गतिविधियां जैसे साइबर हमले में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI) के बढ़ते प्रयोग ने दर्शाया है कि कैसे AI राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त रूप से प्रभावित कर सकता है।

VISION IAS

AI का प्रयोग कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है?

- **सुरक्षा की परिवर्तनशील प्रकृति:** सुरक्षा के पारंपरिक तत्व तकनीकी विकास के साथ तेजी से विस्तार कर रहे हैं, जिसने नई चुनौतियों को पैदा किया है और जो AI आधारित हैं।
    - **साइबर सुरक्षा के खतरों की आवृत्ति और साइबर सुरक्षा की लागत में वृद्धि:** AI सक्षम उपकरणों में सुरक्षा प्रणाली की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की योग्यता होती है।
    - **सुरक्षा अधिक जटिल होती जा रही है:** सतत रियल-टाइम संपर्क, मोबाइल प्लेटफॉर्म, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoTs) में वृद्धि के साथ साइबर-भौतिक प्रणाली (Cyber-Physical systems) के संयोजन ने सुरक्षा परिदृश्य को अधिक जटिल बना दिया है।
- **AI आधारित उपकरणों की अधिक पहुंच:** पहले के उपकरण और तकनीक (जैसे- परमाणु प्रौद्योगिकी), जिनके सुरक्षा निहितार्थ थे, वे काफी सीमा तक सुरक्षित थे। इसने इस बात को सुनिश्चित किया कि केवल सीमित उपयोगकर्ता ही ऐसी प्रौद्योगकियों तक पहुंच बना सकें। लेकिन ऐसा AI के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि-
    - **AI अनुप्रयोगों (applications) के दोहरे-उपयोग की प्रकृति:** कई AI अनुप्रयोग दोहरे-उपयोग वाले होते हैं, अर्थात उनके सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोग होते हैं। यह ऐसी तकनीकों के प्रवाह के नियंत्रण को अत्यधिक कठिन बना देता है।
    - **वासेनार अरेंजमेंट** या **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime: MTCR)** के समकक्ष, **AI आधारित उपकरणों के लिए किसी वैश्विक गठबंधन का अभाव** है।
- **AI की ना टाली जा सकने वाली उपस्थिति:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज मानव जीवन के आर्थिक क्षेत्र के पहलुओं को ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र के पहलुओं को भी छू रहा है।
    - **किसी उत्पाद के अंदर AI के समेकन को तुरंत नहीं पहचाना जा सकता है,** अर्थात, हो सकता है कि **AI** का संयोजन किसी प्रणाली की भौतिक संरचना को ना बदले, लेकिन यह प्रणाली की पूरी कार्यविधि को बदल देता है। उदाहरण स्वरूप, **यदि किसी ड्रोन को रिमोट से या किसी AI आधारित प्रणाली से नियंत्रित किया जा रहा है,** तो फिर गूढ़-संदेशों को समझना काफी कठिन हो जाएगा।

Mains 365 - सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष AI कौन-से अवसरों का सृजन कर सकता है?

- **रियल-टाइम इंटेलिजेंस या आसूचना में वृद्धि:** विश्लेषण के लिए **विशाल डेटा सेट** की उपलब्धता के कारण जासूसी में AI के विशेष रूप से उपयोगी होने की संभावना है। विशाल स्तर पर संरचनात्मक डेटा के साथ उपलब्ध गणनात्मक शक्ति का संयोजन **उल्लेखनीय कार्रवाई-योग्य इंटेलिजेंस या आसूचना** का सृजन कर सकता है।
- **स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त प्रणालियों का सृजन:** ये प्रणालियां सामूहिक रूप से सैन्य अभियानों की भौगोलिक पहुंच को बढ़ाती हैं। उदाहरण स्वरूप, सैनिकों के जीवन को खतरे में डाले बिना स्वायत्त प्रणालियों को सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए नियोजित किया जा सकता है।
- **रसद संबंधी क्षमता:** भविष्य में AI की **सैन्य रसद** के क्षेत्र में उपयोगिता हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, यह सीमा-क्षेत्र की अवसंरचनाओं की निरंतर निगरानी को सुनिश्चित कर सकता है और मरम्मत की आवश्यकता के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण इनपुट या जानकारी प्रदान कर सकता है।
- **साइबर अभियान (Cyber operations):** आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं में सैन्य साइबर अभियानों के संचालन में AI एक महत्वपूर्ण तकनीक सिद्ध हो सकता है।
- **'सुस्त, खरतनाक या मलिन' (dull, dangerous or dirty) कार्यों से मुनष्यों को हटाना:** कार्यों के आधार पर स्वतंत्र प्रणाली मानव संसाधन का परिवर्धन करने या उनका स्थान लेने की क्षमता रखती है, जिससे मनुष्य अधिक जटिल और ज्ञानात्मक मांग वाले कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, AI का प्रयोग लंबी-अवधि के खुफिया संग्रह एवं विश्लेषण या रासायनिक हथियारों से दूषित हुए वातावरण को स्वच्छ करने में किया जा सकता है।

इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं?

राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक रोड मैप को तैयार करने हेतु वर्ष 2018 में सरकार ने **नटराजन चंद्रशेखरन** की अध्यक्षता एक कार्य-बल का गठन किया था। इसमें सरकार, सेवाओं (तीनों सेनाओं), शिक्षा जगत, उद्योग जगत, पेशेवर और स्टार्ट-अप्स के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

वर्ष 2019 में सरकार ने इस कार्य बल की अधिकांश अनुशंसाओं को स्वीकार कर **राष्ट्रीय सुरक्षा में AI को अपनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा (फ्रेमवर्क)** तैयार किया था। इस फ्रेमवर्क के मुख्य पहलुओं के रूप में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता रक्षा परिषद (Defense AI Council: DAIC):** रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय DAIC का गठन किया गया है, जिसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं-
  - रक्षा में **AI आधारित रूपांतरण के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश** प्रदान करना।
  - मार्गदर्शन करना और **डेटा साझा करने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।**
  - **उद्योग-जगत के साथ रणनीतिक भागीदारी** के निर्माण में मार्गदर्शन करना।
  - **प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप्स के अधिग्रहण** से संबंधित अनुशंसाओं की समीक्षा करना।
  - रक्षा में AI के उपयोग से संबंधित **नैतिक, सुदृढ़, सुरक्षित और निजता** से जुड़े मुद्दों की समीक्षा।
  - **सामाजिक एवं प्रौद्योगिकीय दुरुपयोग के विरुद्ध निवारक उपाय खोजने के लिए** सरकार और उद्योग-जगत की साझेदारी में नीतियां निर्धारित करना।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता रक्षा परियोजना एजेंसी (Defense AI Project Agency: DAIPA):** इसमें एक DAIPA को स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है, जिसके पदेन अध्यक्ष रक्षा उत्पादन **सचिव** होंगे। DAIPA के मुख्य उत्तरदायित्व होंगे:
  - AI को बढ़ावा देने के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों के अंतर्गत एक **अधिमान्य प्रौद्योगिकी समाधान** को विकसित करना और उन्हें अपनाना।
  - प्रौद्योगिकी विकास और AI परियोजनाओं की वितरण प्रक्रियाओं के लिए **मानकों को विकसित करना और उन्हें अपनाना।**
  - **बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights: IPRs)** के लिए नीति निर्माण करना।
  - AI से संबंधित परियोजनाओं के वितरण को **सक्षम बनाना और उसकी समीक्षा करना।**
  - जो प्रणालियां या प्रक्रियाएं संचालन संबंधी लाभ दर्शा रही हैं, उनमें AI के प्रयोग को बढ़ावा देना।
  - **रणनीतिक उद्योग भागीदारों** के चयन और उनके साथ अनुबंध करने के लिए नीति बनाना।

VISION IAS

- **भारत की रक्षा रणनीति के साथ AI का एकीकरण:** रक्षा मंत्रालय के सभी संगठनों को अपनी रणनीतियों में उपयुक्त तरीके से AI को एकीकृत करने और लागू करने के लिए कहा गया है। इनमें तीनों सेनाएं, तटरक्षक बल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम और अन्य सम्मिलित हैं।

सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (CAIR)

- यह **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रयोगशाला है।** CAIR, **रक्षा क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए प्राथमिक प्रयोगशाला है।
- इसमें **AI-आधारित कलन-विधि (algorithms)** और डेटा माइनिंग टूलबॉक्स के लिए एक व्यापक लाइब्रेरी है। इसका प्रयोग संभवत: इमेज/ वीडियो रिकगनिशन, नेचुरल लैंगवेज प्रोसेसिंग (NLP), स्वॉर्मिंग (प्रकृति के अवलोकन से सीखना और अवधारणा को मशीनों पर प्रयुक्त करना) आदि में किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए AI को अपनाने में संभावित चुनौतियां क्या हैं?

- **नीति-निर्माताओं में 'AI क्या है' और 'हमें क्या करना है' को लेकर स्पष्टता का अभाव है:** हम किस प्रकार का AI चाहते हैं?, युद्ध के मैदान में मशीनों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीमित समझ है।
- **नैतिक मापदंडों का विकास:** रक्षा में AI के प्रयोग से कई तरह के नैतिक प्रश्न उठेंगे, जैसे- अपेक्षानुरूप AI के प्रदर्शन नहीं करने की स्थिति में जवाबदेही किसकी होगी?, सेनाओं में अपनाए जा रहे वर्तमान प्रोटोकॉल के साथ AI को कैसे एकीकृत किया जा सकता है?, देश की सुरक्षा के लिए AI पर किस सीमा तक विश्वास किया जा सकता है? आदि। इन नैतिक मापदंडो का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए AI को अपनाने की एक पूर्व-शर्त है।
- **चोरी के प्रति सुभेद्यता (Theft vulnerability):** लगभग पूरी तरह सॉफ्टवेयर आधारित होने के कारण AI प्रणाली विशेष रूप से चोरी के प्रति अतिसंवेदनशील है।
- **प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता:** AI प्रणाली के उपयोग से जिस पैमाने और गति से सैन्य अभियान संचालित होते हैं, उसमें उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हो सकती है। यदि अभियानों की गति **घटनाओं को समझने और नियंत्रित करने** की मानव क्षमता से अधिक होती है, तो यह नियंत्रण प्रणाली के नष्ट होने की स्थिति में प्रणाली की विनाशकारी क्षमता को बढ़ा सकती है।
- **अन्य समस्याएं,** जैसे- रक्षा क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका और महत्वपूर्ण अवसंरचना का अभाव।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **AI पर विजन डॉक्यूमेंट:** भारत को AI के संबंध में एक स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि की परिकल्पना करनी चाहिए। विज़न डॉक्यूमेंट की उपलब्धता नीति-निर्माताओं और रक्षा प्रतिष्ठानों को क्षमताओं और परिकल्पित नतीजों के बारे में स्पष्टता प्रदान करती है।
- **एक सहायक तंत्र का सृजन:** एक स्पष्ट नीति के साथ **महत्वपूर्ण अवसंरचना में निवेश** की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि डेटा सर्वर राज्य-क्षेत्र के भीतर स्थित हों।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इस बात को सुनिश्चित करने, कि राष्ट्रीय सुरक्षा में AI को अपनाने के संबंध में भारत अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे- संयुक्त विकास, प्रौद्योगिकी साझा करना, वैश्विक नीति और मानकों के विकास को प्रोत्साहन आदि।
- **निजी क्षेत्र के नवोन्मेष पारितंत्र का उपयोग:** देश में नागरिक उद्देश्यों के लिए 'AI बाजार' विस्तृत हो रहा है। उदाहरण के लिए, AI आधारित स्टार्ट-अप्स के मामले में भारत का G-20 देशों में तीसरा स्थान है। नीति-निर्माता इस क्षमता का लाभ रक्षा क्षेत्र के लिए उठा सकते हैं।
- **आविष्कार और उसे अपनाने क बीच संतुलन (Balancing adoption and innovation):** चूंकि भारत ने इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका जैसी शक्तियों की तुलना में देर से प्रवेश किया है, इसलिए यह लेट-मूवर्स एडवांटेजेज या देरी से आने वालों को मिलने वाले लाभों का फायदा उठा सकता है, जैसे– **वर्तमान नैरो-AI प्रौद्योगिकियों का अनुकरण, वर्तमान प्रौद्योगकियों से बेहतर प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने** के साथ-साथ अपनी सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति करना (जैसे- सीमा पर गश्ती और गुप्त सैन्य सूचनाओं का संग्रहण) आदि।

VISION IAS

1.3. फेक न्यूज़ (Fake News)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रही भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों के मध्य भय के परिवेश का निर्माण हुआ है तथा संबंधित तथ्यों या संदेशों की **प्रमाणिकता की जांच किए बिना वृहद पैमाने पर संदेश प्रेषण की प्रवृत्ति** ने पुन: फेक न्यूज़ के मुद्दे को विचारणीय बना दिया है।

फेक न्यूज़ के बारे में

- फेक न्यूज़ को "ऐसी सूचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे प्राय: एक खबर के रूप में समझा जाता है, जिसका **दुष्प्रयोजनों हेतु जानबूझकर सृजन किया जाता है** तथा किसी मिथ्या अथवा संदेहास्पद तथ्यों में विश्वास करने हेतु दूसरों के साथ छल करने के प्रयोजनार्थ प्रसार किया जाता है।"
- माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि 64% से अधिक भारतीय ऑनलाइन फेक न्यूज़ से प्रभावित हैं, जो सर्वेक्षण किए गए 22 देशों में सर्वाधिक है।

फेक न्यूज़ आधारित संस्कृति के विकास हेतु उत्तरदायी कारण

- **मोबाइल और इंटरनेट तक बढ़ती पहुंच:** भारत में सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों (फेसबुक पर 300 मिलियन, व्हाट्सएप पर 200 मिलियन और यू-ट्यूब पर 250 मिलियन) की संख्या सर्वाधिक है।
- **न्यूज़ की आकर्षण क्षमता पर अत्यधिक बल:** सोशल मीडिया की कलन विधि (algorithms) लोगों की आदतों और रुचियों के अतार्किक विस्तार को प्रोत्साहित करती है तथा मुख्य रूप से सामग्री की उपयुक्तता की बजाए उनकी आकर्षण क्षमता पर अधिक बल देती है।
- फेक न्यूज़ का उपयोग प्रचार एवं विज्ञापन के विस्तार हेतु किया जा रहा है। पारंपरिक विधियों के विपरीत, इनके संपादन में कोई **संपादकीय नियंत्रण या गुणवत्ता-आश्वासन मानकों का अनुपालन नहीं** किया जा रहा है।
- **ठोस कानून का अभाव: फेक न्यूज़-मेकर्स से निपटने के लिए कोई ठोस कानून उपलब्ध नहीं** है जो इन्हें स्थिति का अनुचित लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि अधिकांशत: अधिकारी **वाद योग्य दोष** के संबंध में संशय में रहते हैं।

फेक न्यूज़ से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां

- **यह लोकतंत्र को कमजोर करती है:** फेक न्यूज़ लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ये अप्रमाणिक सूचना के माध्यम से नागरिकों के मध्य भ्रम उत्पन्न करती हैं। साथ ही, लोकतांत्रिक समाज के समक्ष जोखिमपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि यह मीडिया की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने के लिए राज्य को एक अवसर प्रदान कर सकती हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप पर फेसबुक की अत्यधिक निंदा की गई थी। आगामी वर्ष में यह तथ्य सामने आया कि एक रूसी एजेंसी द्वारा खरीदे गए विज्ञापनों को 10 मिलियन अमेरिकियों द्वारा देखा गया था।
- **यह व्यक्ति के विकल्पों और व्यवहारों को प्रभावित करती है:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स वर्तमान समय में सामान्य जन हेतु सूचना के प्रमुख स्रोत हैं और संवेदनशील भ्रामक सूचनाओं का व्यापक आदान-प्रदान व्यवहारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो दिन-प्रतिदिन के विकल्पों तथा भारतीय चुनावों के दौरान निर्मित राजनीतिक विकल्पों को भी लक्षित करता है।
- **इनफोडेमिक (infodemic) का खतरा:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा चेतावनी दी गई है कि वैश्विक समाज, **सूचना के अत्यधिक प्रसार अर्थात् "इनफोडेमिक (infodemic - सूचनाओं की बहुलता)"** का सामना कर रहा है, जिससे लोगों के लिए झूठे या भ्रामक संदेशों तथा प्रमाणिक और विश्वसनीय संदेशों के स्रोतों के मध्य भेद कर पाना कठिन हो जाता है।
- **इससे विभिन्न अपराधों को बढ़ावा मिलता है:** सांप्रदायिक दंगे, मॉब लिंचिंग, सामूहिक उन्माद आदि जैसे अनेक अपराध प्रायः लोगों द्वारा साझा की जाने वाली फेक न्यूज़ द्वारा उत्पन्न होते हैं।
- **इससे नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है:** सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के अत्यधिक प्रसार से मानवता के विरुद्ध अपराध को बढ़ावा मिला है तथा इससे **नागरिकों के अधिकार (निष्पक्ष और प्रमाणिक सूचना एवं रिपोर्ट प्राप्त करने संबंधी)** का भी अतिक्रमण होता है।
- **यह व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है:** जैसे कि यह देखा गया है कि किस प्रकार कोविड-19 संक्रमण से असंबद्ध उद्योग, इस महामारी से संबंधित भ्रामक व मिथ्या सूचनाओं द्वारा प्रभावित हुए हैं, जैसे- कुक्कुट पालन, समुद्री खाद्य पदार्थ से संबद्ध क्षेत्र आदि।

VISION IAS

- **घृणा और अविश्वास का प्रसार:** फेक न्यूज़ के माध्यम से प्रसारित मिथ्या सूचनाओं ने विश्व भर में एशियाई मूल के लोगों के विरुद्ध नस्लवादी और ज़ेनोफोबिक (अज्ञातजनों से घृणा) भावनाओं को विकसित करने में सहयोग किया है, जैसा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार के संदेश प्राय: मौजूदा पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने हेतु एक साधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं।
- **इससे सुव्यवस्थित सूचना प्रसार तंत्र को प्रभावित होता है:** फेक न्यूज़ प्रायः सूचनाओं की पारंपरिक या आधिकारिक श्रृंखला को बाधित करते हैं।
  - उदाहरणार्थ- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों द्वारा प्रस्तावित कोविड-19 महामारी के उपचारों के पक्षसमर्थन का **बिना किसी स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य या नैदानिक परीक्षण डेटा की अनुपलब्धता** के आधार पर आलोचना की है।

फेक न्यूज़ से संबंधित जोखिमों को रोकने के लिए किए गए उपाय

- **विधायी प्रावधान:**
  - **भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 505 (1):** यह उन मामलों से संबंधित है, जहाँ किसी कथन, जनश्रुति या सूचना को, इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, सामान्य जन या जनता के किसी भाग को ऐसा भय या डर उत्पन्न हो, जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, रचित, प्रकाशित या परिचालित किया जाता है, तो इस कानून के तहत दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D:** यदि कोई व्यक्ति, किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा वह एक लाख रुपये तक जुर्माने हेतु उत्तरदायी होगा।
  - **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54:** जो कोई किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के संबंध में आतंकित करने वाली भ्रामक खबर या सूचना या चेतावनी प्रसारित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्धि पर कारावास (जिसकी अवधि एक वर्ष तक की होगी) या अर्थदंड की सजा दी सकती है।
- **सरकार द्वारा किए गए प्रयास:**
  - कोरोना महामारी के मौजूदा प्रसार को देखते हुए, सरकार ने व्हाट्सएप पर **'माय गॉव कोरोना न्यूज़ डेस्क' (MyGov Corona News Desk)** नामक एक आधिकारिक चैटबॉट की शुरुआत की है, जो इस महामारी के दौरान अफ़वाहों को फैलने से रोकने के उद्देश्य से वायरस के बारे में प्रश्नों का उत्तर देता है।
  - PIB ने सरकार और इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को लक्षित करने हेतु सोशल मीडिया पर प्रसारित फेक न्यूज़ से निपटने के लिए **फैक्ट चेकिंग यूनिट** का विकास किया है।
- **सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा की गई पहलें:**
  - फेसबुक ने एक **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित** किया है, जो **मिथ्या सूचनाओं को प्रसारित करने वाले फर्जी अकाउंट्स की जांच और उसे निष्क्रिय** करने में सक्षम है।
  - **फेसबुक** ने एक **फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम** आरंभ किया है, जिसके तहत मिथ्या रेटिंग प्रदत्त सामग्री को न्यूज़ फीड में नीचे स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि इसे अत्यल्प लोग ही देख सकें।
  - हाल ही में, व्हाट्सएप द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ **व्हाट्सएप कोरोना वायरस इनफार्मेशन हब (WhatsApp Coronavirus Information Hub)** आरंभ करने के लिए साझेदारी की गई है।
- **भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा की गई पहल:**
  - हाल ही में, चुनावों के आयोजन संबंधी प्रयासों के दौरान, **ECI** द्वारा फेसबुक और ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों को उनके प्लेटफार्म पर संचालित मिथ्या सूचना, समाचार और राजनीतिक पक्षपात से संबंधित संकट पर चर्चा करने के लिए समन जारी किया गया था।
- **फेक न्यूज़ पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी:**
  - न्यायालय के अनुसार, मीडिया को सूचनाओं का प्रसार करते समय **जवाबदेही की एक सशक्त भावना से प्रेरित** होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अप्रमाणिक एवं मिथ्या सूचनाएं प्रसारित न हों।

VISION IAS

- हाल ही में, कोरोना महामारी के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि मीडिया को कोरोना वायरस से संबंधित घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक संस्करण को संदर्भित और प्रकाशित करना चाहिए। साथ ही, उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे कोरोना महामारी के विषय में **'मुक्त वाद-विवाद'** में हस्तक्षेप न हो।

- **मीडिया की भूमिका:** विभिन्न मीडिया चैनलों द्वारा साझा की जाने वाली सूचनाओं की जांच करने हेतु पहल की जा रही है।

आगे की राह

- **स्व-प्रमाणन की संस्कृति को बढ़ावा देना:** प्रतिदिन डेटा का उपभोग करने वाले लोग इससे स्वयं शिक्षित होते हैं तथा फेक न्यूज़ से निपटने हेतु कौशल भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, ऐसी प्रणाली की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है, जहां सूचना का स्व-प्रमाणन 'इंटरनेट स्किल' की सहायता से किया जाता हो और इसे एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता हो।
  - इसे केवल गूगल पर त्वरित सर्च करके किया जा सकता है, या उस जानकारी/तथ्य की जाँच या डेटा की प्रमाणिकता को आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर सत्यापित किया जा सकता है।
- **जिम्मेदार नागरिक:** वे उपभोक्ता जो मिथ्या सूचना के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, **विभिन्न मिथकों और फर्जी सूचनाओं को प्रकट करने एवं उनसे निपटने में भी सर्वाधिक कुशल और प्रभावी माध्यम बन सकते** हैं। इस कौशल को निम्न माध्यम से सिखाया जा सकता है:
  - टेलीविजन और सोशल मीडिया पर जागरूकता सृजित करके, या
  - केरल के सरकारी स्कूलों में 'फेक न्यूज़ क्लासेज' जैसी अभिनव पहल का अन्य स्थानों पर संचालन करके, जहां छात्रों को मिथ्या सूचनाओं की पहचान करने और पता लगाने की विधियों को सिखाया जाता है।
  - **प्रश्न पूछ कर** "जैसे सूचना का स्रोत (पोस्ट/फॉरवर्ड) क्या है?"

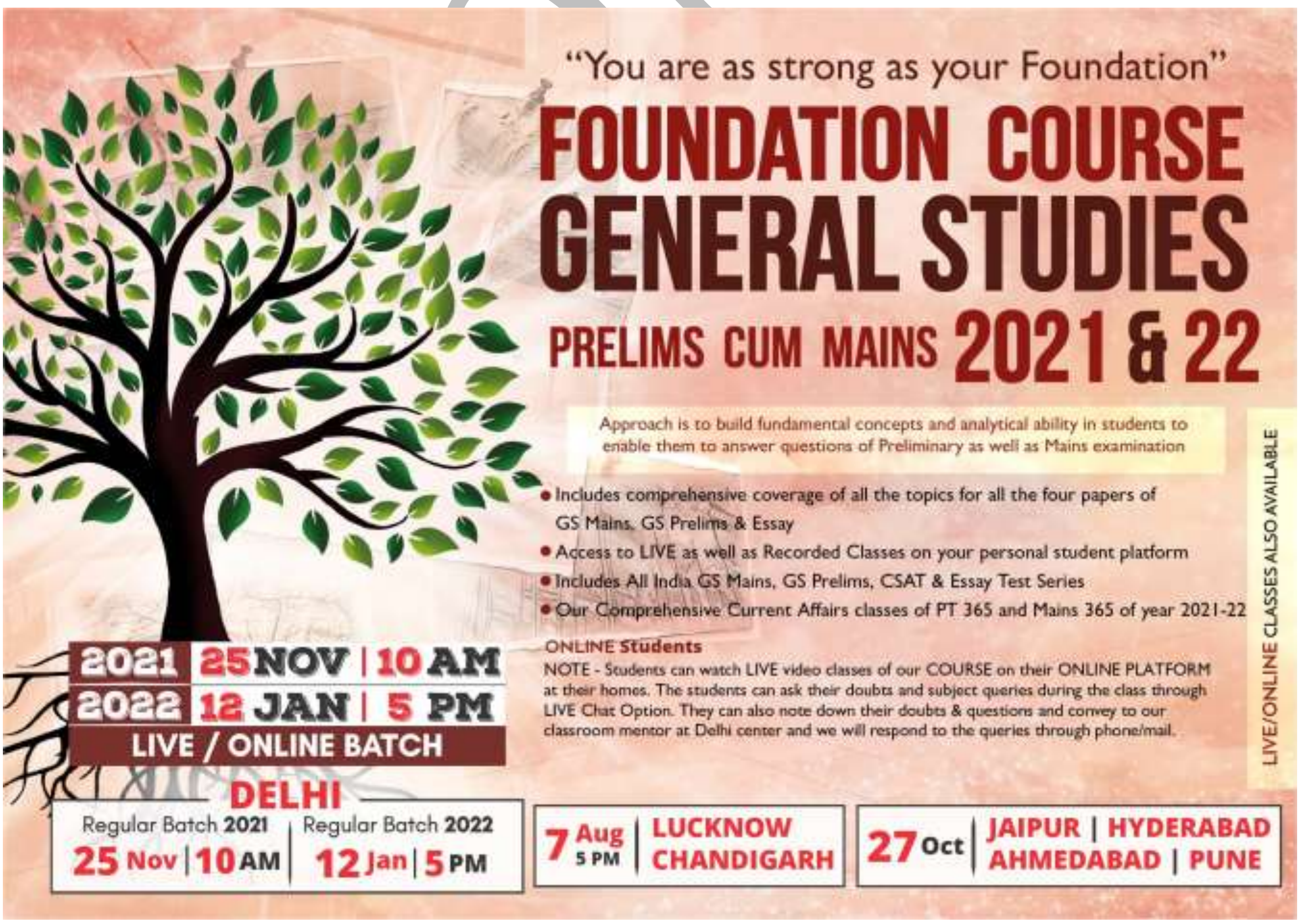

2. डेटा संरक्षण (Data Protection)

परिचय

डेटा या आंकड़ों को एक ऐसा **राष्ट्रीय संसाधन** माना जाता है, जिसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। डेटा के सृजन और प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि के कारण यह अत्यंत आवश्यक है कि इसका उपयोग एक सुरक्षित प्रारूप के अंतर्गत किया जाए। इस सुरक्षा में व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत निजता, व्यवसायों के लिए सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा समाहित है।

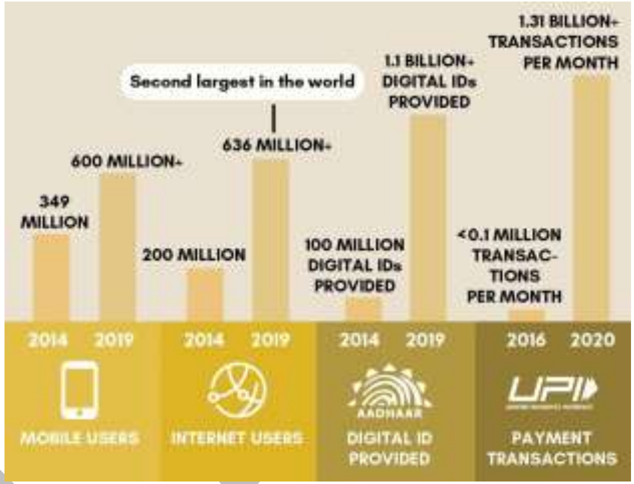

डेटा संरक्षण की आवश्यकता

- **निजता की सुरक्षा:** भारत में 62 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता/उपभोक्ता हैं, जिनके व्यक्तिगत डेटा ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया है (के.एस.पुट्टास्वामी वाद)। अतः अब व्यक्तिगत निजता को संरक्षित करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य बन गया है।
- **विभिन्न एजेंसियों द्वारा जासूसी या निगरानी को रोकना:** हाल ही में, पेगासस नामक एक इजरायली सॉफ्टवेयर द्वारा 121 भारतीय नागरिकों के व्हाट्सऐप एकाउंट को हैक कर लिया गया था।
- **वर्ष 2018 का फेसबुक-कैंब्रिज एनालिटिका डेटा विवाद:** इसमें राजनीतिक विज्ञापन के उद्देश्यों के लिए लाखों लोगों के फेसबुक प्रोफाइल से व्यक्तिगत डेटा को बिना उनकी सहमति के एकत्रित/उपयोग किया गया था।
- **आर्थिक क्षति:** IBM के एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में डेटा संबंधी नियमों के उल्लंघन की औसत लागत 12.8 करोड़ रुपए रही है। इसमें प्रति व्यक्ति लुप्त हो चुके/ चोरी हुए प्रति रिकॉर्ड की लागत 5,019 रुपये थी।
- इसके अतिरिक्त **डेटा को 21वीं सदी में न्यू ऑयल** के रूप में माना जा रहा है। उपयुक्त डेटा विनियमन या डेटा स्थानीयकरण (data localisation) के नियमों के अभाव में वैश्विक कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक आदि भारतीयों से एकत्र किए गए डेटा से लाभ उठा रही हैं।
- **साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता:** IBM के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 51 प्रतिशत डेटा उल्लंघन का मूल कारण दुर्भावनापूर्ण हमले या आपराधिक हमले था।

भारत में डेटा संरक्षण का वर्तमान प्रारूप या फ्रेमवर्क क्या है?

- निजता कानून के संबंध में **सामान्य प्रयोग** के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा अभ्यासों, प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011** को संदर्भित किया जाता है।
- **सरकारी डेटा का संग्रहण,** आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और **आधार (डेटा सुरक्षा) विनियमन, 2016** द्वारा प्रशासित होता है।
- **बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित डेटा** को, साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, साख सूचना कंपनी विनियमन, 2006, भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न सर्कुलर (परिपत्र) जैसे KYC (अपने ग्राहक को जानों) सर्कुलर, क्रेडिट कार्ड्स और ग्राहक सेवा पर मास्टर सर्कुलर तथा ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
- **स्वास्थ्य-देखभाल क्षेत्रक** से संबंधित डेटा, **नैदानिक स्थापना (केंद्रीय सरकार) नियम, 2012** और **भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार. तथा नीति) विनियमावली, 2002** द्वारा विनियमित होते हैं।
- डेटा संरक्षण व्यवस्था के संभावित सुधारों के संबंध में चर्चा करें तो **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019** (वर्तमान में स्थायी समिति को प्रेषित किया गया है), **गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क** और **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** और अन्य विचाराधीन हैं।

डेटा सशक्तीकरण और सुरक्षा संरचना (Data Empowerment and Protection Architecture: DEPA) का प्रारूप

हाल ही में, **नीति आयोग** द्वारा DEPA के प्रारूप पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। ज्ञातव्य है कि **वित्तीय बहिष्करण की**

रोकथाम, व्यापक रूप से उत्पन्न हो रहे डेटा के उपयोग और डेटा को व्यर्थ न जाने देने हेतु डेटा संरक्षण के साथ-साथ डेटा सशक्तीकरण का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

डेटा सशक्तीकरण (Data Empowerment) क्या है?

डेटा सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है, जहां लोग स्वयं या मध्यस्थों की सहायता से **अपनी या अपने समाज के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने डेटा को नियंत्रित करते हैं।** इसके लिए लोगों को चाहिए कि-

- वे **इस तथ्य के प्रति जागरुक रहें कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है।**
- उनके पास **निजता का अधिकार हो** और वे इसके प्रयोग में सक्षम हों।
- अपने हित के प्रमुख मुद्दों के बारे में **डेटा उपलब्ध करवाने की मांग** करने में सक्षम हों और इसका प्रयोग **संस्थाओं को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए** करें।
- उनके पास **डेटा को सृजित और उत्पादित करने का अधिकार** हो और वे **साझा कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें।**

DEPA के प्रारूप (या मसौदे) की प्रमुख विशेषताएं

- **DEPA इंडिया स्टैक (India Stack) के अंतिम स्तर के रूप में कार्य करेगा:** इंडिया स्टैक वस्तुतः निजी स्वामित्व वाला प्रोपरिएटरी सॉफ्टवेयर (proprietary software) है जो आधार-आधारित एप्लीकेशन्स और UPI-आधारित डिजिटल लेनदेन संभव बनाता है। यह व्यवसायों को निजी सेवाओं की आपूर्ति के लिए भारत के डिजिटल आधारभूत ढांचे का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **संगठन-केंद्रित प्रणाली से व्यक्ति-केंद्रित प्रणाली की ओर:** इस नीति का लक्ष्य इस विचारधारा के साथ कार्य करना है, कि **व्यक्ति अपने निजी डेटा के उचित उपयोग का स्वयं सबसे श्रेष्ठ निर्धारक है।**
- **सहमति प्रबंधक (Consent Managers):** निजी डेटा को एक आर्थिक मद मानते हुए यह नीति 'एक नए संस्थागत वर्ग" को सृजित करने का समर्थन करती है। यह वर्ग "सहमति प्रबंधक या कन्सेंट मैनेजर" कहलाता है, जो हितधारकों के मध्य संपर्क साधन के रूप में कार्य करेंगे।
- **प्रौद्योगिकीय संरचना (Technological Architecture):** यह डेटा साझा करने के लिए अंतरप्रचालनीय (interoperable), सुरक्षित और निजता को संरक्षित रखने वाले डिजिटल ढांचे का सृजन करता है।

डेटा संरक्षण में आने वाली बाधाएं क्या हैं?

- अधिकांश **डेटा भंडारण करने वाली कंपनियां विदेशों में स्थित हैं।** ये डेटा का अन्य देशों में निर्यात करती हैं, जिससे उन पर भारतीय क़ानूनों को लागू करना कठिन हो जाता है।
- **डेटा गत्यात्मकता में कई निजी उद्यम सम्मिलित हैं,** जिससे समरूप डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क को लागू करना कठिन होता है।
- सामान्यत: **सहमति (consent) प्राप्ति हेतु पूर्व-टिक बॉक्स (अनुमति मांगने वाले बॉक्स जहां टिक का निशान लगाना होता है) का प्रयोग करने वाले एप्लीकेशन** जब नियम और शर्तों (terms and conditions) की स्वीकृति के बारे में उपयोगकर्ताओं से सहमति मांगते हैं, तो वे अनभिज्ञ सहमति (जानकारी न होने के बावजूद सहमति) को बढ़ावा देते हैं।
- सामान्यत: **डेटा की निजता का उल्लंघन करने वाले अपराधी का पता लगा पाना कठिन होता है।**

2.1. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (The Personal Data Protection Bill, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **व्यक्तिगत डेटा (वह डेटा जो व्यक्तिगत पहचान प्रदान कर सकता है):** यह विधेयक विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत डेटा का प्रावधान करता है, जैसे- **संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (Sensitive personal data), महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा (Critical personal data), सामान्य व्यक्तिगत डेटा (General personal data)**
- **प्रयोज्यता (Applicability):** यह विधेयक निम्नलिखित द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग किए जाने का नियमन करता है:
  - सरकार;
  - भारत में निगमित कंपनियां; तथा
  - भारत में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियां।

VISION IAS

- **डेटा फिड्यूशरी के लिए बाध्यताएं:** डेटा फिड्यूशरी वह संस्था या व्यक्ति है जो व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के साधन और उद्देश्य को संगृहीत तथा निर्धारित करती है।
  - व्यक्तिगत डेटा को केवल विशिष्ट, स्पष्ट और वैध उद्देश्य के लिए प्रोसेस (संसाधित) किया जा सकता है।
  - सभी डेटा फिड्यूशरीज़ को कुछ पारदर्शी और जवाबदेही उपाय करने होंगे, जैसे: रक्षोपायों को लागू करना (यथा- डेटा एन्क्रिप्शन और डेटा के दुरुपयोग की रोकथाम करना) तथा व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने हेतु शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।
- **डेटा प्रिंसिपल का अधिकार (जिस व्यक्ति का डेटा संगृहीत और प्रोसेस किया जा रहा है):** इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया गया है अथवा नहीं, इस संबंध में फिड्यूशरी से प्रमाण प्राप्त करने का अधिकार।
  - फिड्यूशरी द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध आरोपित किया है, यदि लंबे समय तक इसकी आवश्यकता नहीं है अथवा व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सहमति वापस ले ली गई है। इसमें **'राइट टू बी फॉरगॉटन'** के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। यह अधिकार प्रयोगकर्ताओं को ऑनलाइन प्रकाशित अपने **व्यक्तिगत डेटा को समाप्त (हटाने) करने की अनुमति** प्रदान करता है।
- **व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग का आधार:** इस विधेयक के अंतर्गत व्यक्ति की सहमति प्राप्त होने पर फिड्यूशरीज़ को डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति प्रदान की गई है।
- **सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज:** उन सभी इंटरमीडियरीज़, जिनके उपयोगकर्ता अधिक संख्या में हैं और जो निर्वाचित लोकतंत्र या लोक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, को कुछ बाध्यताओं का अनुपालन करना होगा। इसमें भारत के उपयोगकर्ताओं के लिए **स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन प्रणाली (voluntary user verification mechanism)** का प्रावधान शामिल है।
- **डेटा संरक्षण प्राधिकरण (Data Protection Authority):** यह विधेयक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, जो:
  - लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठा सकता है।
  - व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है।
  - विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।
- **भारत के बाहर डेटा का स्थानांतरण:**
  - व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट सहमति प्रदान करने और विशेष शर्तों के अधीन संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत में भी संगृहीत किया जाना चाहिए।
  - महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को केवल भारत में प्रोसेस किया जा सकता है।
  - संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत डेटा में ऐसे स्थानीयकरण (localisation) अधिदेश नहीं हैं।
- **सरकार के साथ गैर-व्यक्तिगत डेटा (non-personal data) को साझा करना:** केंद्र सरकार डेटा फिड्यूशरी को निम्नलिखित प्रदान करने के लिए निर्देशित कर सकती है:
  - गैर-व्यक्तिगत डेटा; एवं
  - सेवाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए अनामिक व्यक्तिगत डेटा (जहां डेटा प्रिंसिपल की पहचान करना संभव नहीं है)।

इस विधेयक की आलोचना

- वर्ष 2018 में **न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति** द्वारा तैयार ड्राफ्ट विधेयक की तुलना में वर्तमान विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
  - डेटा संरक्षण प्राधिकरण की संरचना सरकार द्वारा शासित है, जो कि उक्त समिति के प्रारूप (ड्राफ्ट) में सुझाए गए विविध और स्वतंत्र प्रकृति से भिन्न है।

VISION IAS

- एक सरकारी एजेंसी के पक्ष में कानून (जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, किसी भी अपराध की जांच और अभियोजन, लोक व्यवस्था का हवाला देते हुए बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच शामिल है) के सभी प्रावधानों का उपयोग करने से छूट की एक विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। यह निगरानी को सुदृढ़ता प्रदान कर सकती है।

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI) समिति** की एक रिपोर्ट विधेयक के मूलभूत पहलुओं का विरोध करती है। इसने सुझाव दिए हैं कि:
    - भारत को यह निर्दिष्ट करते हुए डेटा के मुक्त प्रवाह को बनाए रखना चाहिए कि भारत वैश्विक डेटा प्रवाह के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है। डेटा के मुक्त और खुले प्रवाह पर आरोपित सीमाएं, प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता में गंभीर अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं।
    - अति-विनियमन की तुलना में कार्यान्वयन और प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय इकाइयाँ एक अधिक महत्वपूर्ण प्राधिकरण की तुलना में अधिक उपयुक्त नियामक सिद्ध हो सकती हैं।
    - एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली और उपयोगकर्ता जागरूकता सहित पर्याप्त कार्यान्वयन परिवेश तंत्र द्वारा समर्थित नहीं होने तक केवल विधान पर्याप्त नहीं है।

2.2. गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non-Personal Data)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सामान्य-जन से सुझाव आमंत्रित करने के लिए **गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non-Personal Data: NPD) के गवर्नेंस फ्रेमवर्क** पर **क्रिश गोपालकृष्णन** की अध्यक्षता वाली समिति की प्रारूप रिपोर्ट जारी की गई है।

गैर-व्यक्तिगत डेटा क्या है?

- प्रारूप रिपोर्ट में NPD को डेटा के ऐसे समुच्चय (सेट) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें **व्यक्तिगत पहचान योग्य सूचना नहीं** होती है, अर्थात् ऐसे डेटा को देखकर अथवा उसका विश्लेषण करके किसी भी व्यक्ति या जीवित व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है।
- **व्यक्तिगत डेटा से भिन्नता:**
    - व्यक्तिगत डेटा (जिसमें किसी व्यक्ति के नाम, आयु, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, बायोमैट्रिक्स और अन्य आनुवंशिक विवरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी समाविष्ट होती है) के विपरीत, गैर-व्यक्तिगत डेटा के **अनामिक (anonymised)** होने की संभावना अधिक होती है।
    - **अनाम डेटा (Anonymous data)** को एक ऐसे डेटा के रूप में परिभाषित किया जाता है, **जो प्रारम्भ में तो व्यक्तिगत डेटा के रूप में होता है, किंतु बाद में कुछ विशिष्ट डेटा परिवर्तन तकनीकों का उपयोग करके इसे अनाम बना दिया जाता है।** हालांकि इसे इस सीमा तक अनाम बनाया जाता है कि **व्यक्ति विशिष्ट वृतांत** दीर्घावधि तक अभिज्ञेय (identifiable) न रह सकें।
- **गैर-व्यक्तिगत डेटा का वर्गीकरण:** प्रारूप रिपोर्ट में NPD को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यथा:
    - **सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Public non-personal data):** सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा एकत्रित सभी डेटा को सार्वजनिक NPD कहते हैं, **जैसे- जनगणना, कुल कर प्राप्तियों पर एकत्रित डेटा या सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र की गई किसी भी जानकारी** को सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत रखा जाता है।
        - कुछ गैर-व्यक्तिगत डेटा सरकार द्वारा एकत्रित या सृजित किए जाते हैं, **जहां इस प्रकार के डेटा को कानून के तहत स्पष्ट रूप से गोपनीय उपचार (confidential treatment) प्रदान किया जाता है,** जैसे- भूमि रिकॉर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, वाहन पंजीकरण आदि से संबंधित डेटा को सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा।
    - **सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Community non-personal data):** इसके अंतर्गत ऐसे डेटा को सम्मिलित किया जाता है, जो उन लोगों के समुच्चय के बारे में जानकारी रखते हैं, जिनकी समान भौगोलिक अवस्थिति, धर्म, नौकरी या अन्य सामान्य सामाजिक हित होते हैं।
        - उदाहरण के लिए- वाहन सेवा प्रदाता ऐप्स (जैसे- उबर, ओला आदि), टेलीकॉम कंपनियों, विद्युत वितरण कंपनियों इत्यादि द्वारा एकत्रित किए गए मेटाडेटा (डेटा का वह सेट जो अन्य डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है)।

VISIONIAS

- **निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा (Private non-personal data):** ऐसा डेटा जो व्यक्तियों द्वारा सृजित किया जाता है तथा जिसे स्वामित्वयुक्त सॉफ्टवेयर या मालिकाना सॉफ्टवेयर (proprietary software) या ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा को आगे **'संवेदनशील गैर-व्यक्तिगत डेटा' और 'महत्वपूर्ण गैर-व्यक्तिगत डेटा'** में उप-वर्गीकृत किया जाता है।

गैर-व्यक्तिगत डेटा (NPD) को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **डेटा की संवेदनशीलता:** यदि NPD राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक हितों से संबंधित है, इसमें व्यवसाय संबंधी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी शामिल है अथवा यह अनाम डेटा है, जिनके पुनर्पहचान का जोखिम बना रहता है, तो व्यक्तिगत डेटा की ही भांति ये भी संवेदनशील हो सकते हैं।
- **NPD पर नागरिकों के अधिकार:** इसका विनियमन सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा पर समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा।
  - कानून द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित उनके अधिकारों को सदैव वरीयता प्रदान की जाए। इसके अंतर्गत यह भी शामिल है कि उनके डेटा को उचित रीति से अनाम किया जाए।
- **डिजिटल उद्योग को विनियमित करना:** संगठनों ने डेटा से मूल्य उत्पन्न करने के लिए नए तरीकों की खोज की है और डेटा एकाधिकार की संभावना ने **अत्यधिक लाभों को प्रोत्साहित किया है तथा डेटा एवं डिजिटल उद्योग के मध्य एक निश्चित असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।**

रिपोर्ट की अन्य अनुशंसाएं:

- **हितधारक और उनकी भूमिकाएं:** यह प्राकृतिक व्यक्तियों, संस्थाओं और समुदायों को मान्यता प्रदान करती है, जिनके गैर-व्यक्तिगत डेटा (अनाम बनाने या एकत्रीकरण से पूर्व) को **'डेटा प्रिंसिपल्स'** के रूप में वर्णित किया जाता है तथा संस्थाएं जो गैर-व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण का कार्य करती हैं, उनकी भूमिका **'डेटा कस्टडियन'** के रूप में होती है।
- **सहमति की आवश्यकता:** यह उन व्यक्तियों को भी वर्गीकृत करती है, जिनके डेटा अनामिक होने से पूर्व निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा के 'स्वामियों' के रूप में होते हैं तथा यह अनामिक होने और तत्पश्चात उपयोग होने के लिए डेटा प्रिंसिपल (संग्रहण के समय) की सहमति प्राप्त करने की अनुशंसा करती है।
- **डेटा का स्थानीयकरण:** यह व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 {Personal Data Protection Bill, 2019 (PDP Bill)} के तहत संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के स्थानीयकरण के लिए लागू आवश्यकताओं के अनुरूप, संवेदनशील गैर-व्यक्तिगत डेटा और महत्वपूर्ण गैर-व्यक्तिगत डेटा के स्थानीयकरण की भी अनुशंसा करती है।
- **डेटा साझाकरण (शेयरिंग) का उद्देश्य:** रिपोर्ट में डेटा साझाकरण के तीन व्यापक उद्देश्यों पर विचार किया गया है यथा:
  - अन्य विषयों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, अपराध और जांच, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा क्षेत्रीय विकास हेतु **सरकार, नियामक एवं कानून प्रवर्तन प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं द्वारा संप्रभु उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग** किया जा सकता है।
  - सामान्य और सामुदायिक उपयोग, अनुसंधान और नवाचार, सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी, नीतिगत विकास आदि के लिए **मूल सार्वजनिक हित प्रयोजनों हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है।**
  - **व्यावसायिक संस्थाओं** द्वारा अनुसंधान, नवाचार और व्यवसाय करने के लिए **आर्थिक उद्देश्यों** हेतु इसका उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमता/मशीन लर्निंग (AI/ML) प्रणालियों के लिए प्रशिक्षण डेटा के रूप में भी इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- **गैर-व्यक्तिगत डेटा प्राधिकरण (Non-Personal Data Authority: NPDA):** NPD के संग्रहण, प्रोसेसिंग, भंडारण और साझाकरण हेतु NPDA का गठन किया जाएगा।
- **एक एकल डिजिटल समाशोधन गृह (single digital clearing house) के रूप में एक गैर-व्यक्तिगत डेटा नीतिगत परिवर्तन का सृजन करना:** गैर-व्यक्तिगत डेटा के एक ही निकाय पर डेटा ट्रस्टियों के परस्पर विरोधी नियमों के मुद्दों का समाधान करने के लिए, यह रिपोर्ट एक डिजिटल **गैर-व्यक्तिगत डेटा नीतिगत परिवर्तन** को प्रस्तावित करती है।
- **अनुसंधान को बढ़ावा देना:** इस रिपोर्ट में डेटा स्पेस, डेटा ट्रस्ट्स और क्लाउड नवाचार प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की भी अनुशंसा की गई है, जो डिजिटल समाधानों का परीक्षण और कार्यान्वयन करने के लिए भौतिक परिवेश के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा गहन डेटा-आधारित अनुसंधान को बढ़ावा दे सकते हैं।

VISION IAS

- सरकार को खुली सरकारी डेटा पहलों में सुधार करने तथा उच्च-गुणवत्तायुक्त सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटासेट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, डेटा साझाकरण सिद्धांतों को गैर-व्यक्तिगत डेटा की सभी तीन श्रेणियों में एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

2.3. आरोग्य सेतु ऐप से संबद्ध सुरक्षा मुद्दे (Security Issues with Aarogya Setu App)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दों पर कुछ विशेषज्ञों ने संदेह जताया है।

इस ऐप से संबद्ध मुद्दे

- **सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** हाल ही में, सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों और समूहों द्वारा दावा किया गया कि वे PMO (प्रधान मंत्री कार्यालय) या संसद जैसे संवेदनशील कार्यालयों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं।
    - सुरक्षा मानकों के अनुपालन और एन्क्रिप्शन के उपयोग के स्तर को लेकर इस **ऐप की गोपनीयता नीति** अस्पष्ट बनी हुई है।
- ऐप की **गोपनीयता नीति** इस सन्दर्भ में स्पष्ट नहीं है कि किन **सुरक्षा उपायों को अपनाया** जा रहा है और **कूटबद्धता (एन्क्रिप्शन)** के किस स्तर का उपयोग किया जा रहा है।
    - हालांकि, इस एप्लीकेशन की संरचना में **पारदर्शिता** सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने **आरोग्य सेतु ऐप के सोर्स कोड को ओपन सोर्स में परिवर्तित कर** दिया है। दूसरे शब्दों में, सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के डिजाइन और कोड को सार्वजनिक कर दिया है।
- **संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन:** उच्चतम न्यायालय के अनुसार, निजता एक मूल अधिकार है तथा व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही इससे वंचित किया जा सकता है। संसद द्वारा इस ऐप की अनिवार्यता को अधिकृत करने वाला कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया है।
- **जवाबदेही का अभाव:** इस ऐप का एक खंड (clause) उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए किसी भी अनधिकृत पहुंच या संशोधन के मामले में सरकार के दायित्व को सीमित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी लीक हो जाने के संबंध में सरकार का कोई दायित्व नहीं है।
- **विधिक रूप से अनुचित:** सरकार के दायित्वों को सीमित करने के कारण, यह ऐप **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम** और प्रस्तावित **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक** के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसका कारण यह है कि यह ऐप सेवा प्रदाता मध्यस्थ (intermediary) की परिभाषा के अधीन है और जो एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाध्य है। साथ ही, मध्यस्थ को इन दिशा-निर्देशों/नियमों के अंतर्गत डेटा क्षति हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
- **इसके निर्माण पर आशंकाएं:** सरकारी वेबसाइटों को डिजाइन करने वाले **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre: NIC)** द्वारा एक RTI के जवाब में कहा गया था कि इस संबंध में कोई सुचना उपलब्ध नहीं है कि आरोग्य सेतु ऐप को किसके द्वारा निर्मित किया गया है। जबकि आरोग्य सेतु की वेबसाइट पर यह निर्दिष्ट किया गया है कि इसे **NIC** एवं **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** द्वारा विकसित किया गया है।
    - बाद में स्पष्टीकरण देते हुए, सरकार ने कहा कि इस ऐप को निजी प्रतिभागियों के साथ मिलकर NIC और MeitY द्वारा विकसित किया गया है।

आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस और नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल, 2020

- **इस प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन:** इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन हेतु MeitY को एक उत्तरदायी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, इस ऐप को विकसित करने वाली संस्था NIC को इस प्रोटोकॉल के तहत आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा एकत्र किए गए रिस्पांस डेटा के संग्रहण, प्रोसेसिंग और प्रबंधन हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
- **प्रतिक्रिया डेटा (response data) का संग्रहण और प्रसंस्करण:** NIC द्वारा यदि किसी उद्देश्य हेतु कोई भी प्रतिक्रिया डेटा एकत्र किया जाता है तो उसे स्पष्ट रूप से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन की गोपनीयता नीति के तहत निर्दिष्ट किया जाएगा।

VISION IAS

- जब तक प्रोटोकॉल लागू रहेगा या जब तक व्यक्तिगत अनुरोधों द्वारा इसे हटाने (डिलीट) के लिए नहीं कहा जाता है, तब तक ऐसे अनुरोध से अधिकतम 30 दिनों तक, जो भी पहले हो, जनसांख्यिकीय डेटा स्टोर रखा जाएगा।
- **प्रतिक्रिया डेटा का साझाकरण:** डेटा को अन्य सरकारी एजेंसियों और तीसरे पक्षों के साथ केवल महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही साझा किया जा सकता है।
- NIC द्वारा भारत में पंजीकृत भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को **शोध उद्देश्यों के लिए प्रतिक्रिया डेटा उपलब्ध** कराया जा सकता है।
- इन निर्देशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** और अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार दंडनीय हो सकता है।
- अधिकार प्राप्त समूह इस अधिसूचना की तिथि से 6 माह की अवधि के पश्चात्, इस प्रोटोकॉल की समीक्षा करेगा या यदि आवश्यक हो तो वह ऐसा पहले भी कर सकता है।

आगे की राह

- सरकार को इस तरह के ऐप से उत्पन्न होने वाले गोपनीयता संबंधी खतरों और महामारी की दृष्टि से उत्पाद और नीति दोनों को संशोधित करना चाहिए।
- सरकार, गोपनीयता कानून निर्मित करने वाले दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों से सहायता ले सकती है, जहां उनके द्वारा महामारी के प्रसार को ट्रैक करने हेतु विकसित किए गए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप हेतु कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं। जैसे- दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा अधिनियम (Personal Information Protection Act: PIPA) में, व्यक्तियों को अन्य डेटा स्वामित्व अधिकारों के साथ राइट टू बी फॉरगॉटन संबंधी अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

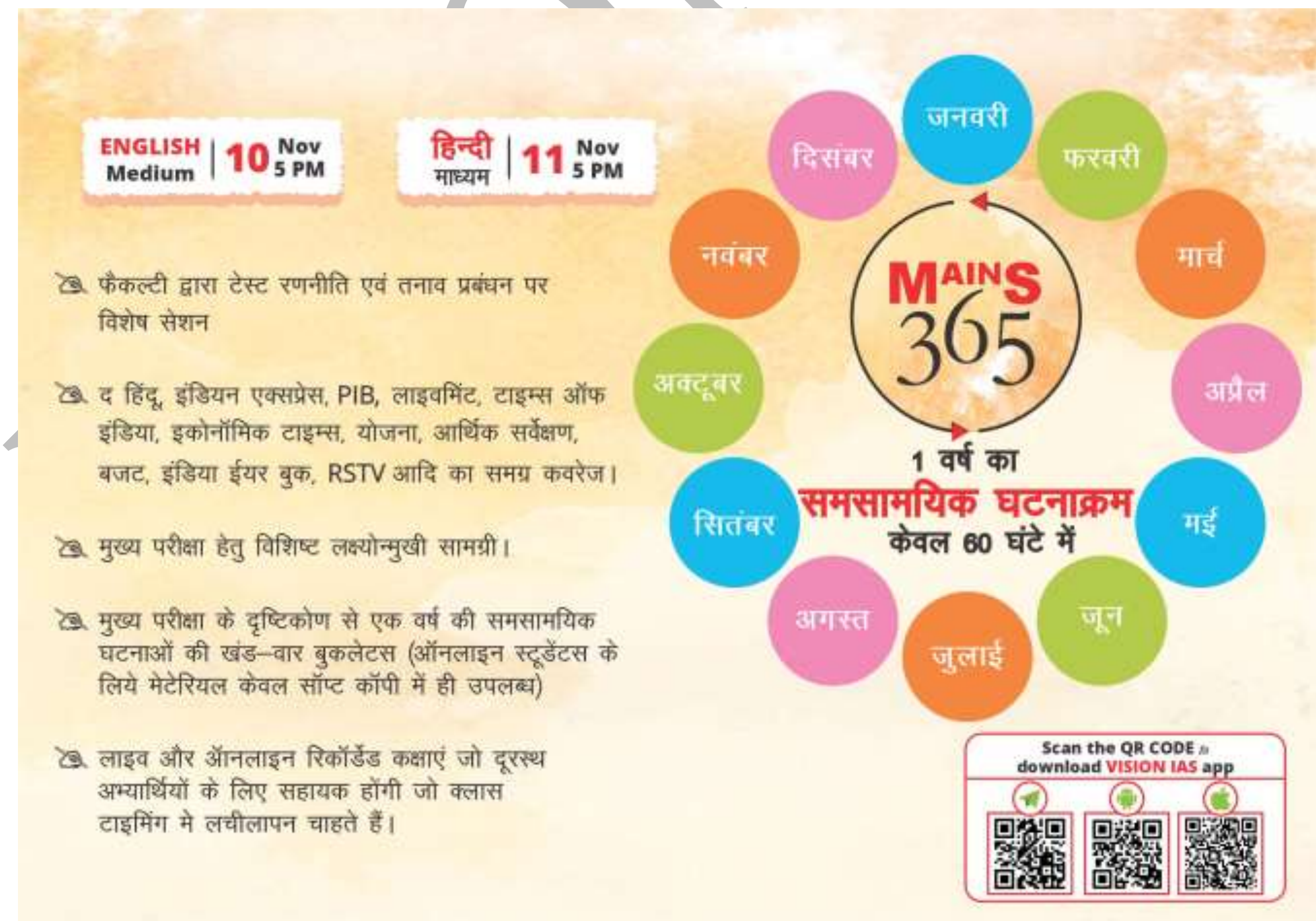

3. सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन (Border Security and Management)

परिचय

भारत की **स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000 किलोमीटर से अधिक** है। इसकी सीमा सात देशों (पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान) के साथ जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, भारत की **तट रेखा की लंबाई 7,500** किलोमीटर से अधिक है। इस प्रकार, विभिन्न प्रकार की भू-संरचनाओं वाले भू-भागों में अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञातव्य है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े सात देशों के साथ भारत के सुरक्षा संबंध भी भिन्न हैं।

भारत में सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

- **सीमाओं की भौगोलिक विविधता:** पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेगिस्तान, कच्छ भूमि, मैदानों और पहाड़ों सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर से गुजरती हैं।
  - सीमाओं की यह विविधता विभिन्न अवैध गतिविधियों, जैसे- मादक द्रव्यों तथा हथियारों की तस्करी, मानव दुर्व्यापार और घुसपैठ की सुविधा प्रदान करती है।
- **विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ:** पाकिस्तान के साथ अविश्वास और विवादास्पद सीमा का इतिहास, नियंत्रण रेखा (LOC) के साथ-साथ भारत को सीमा पार आतंकवाद के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं।
  - इसी प्रकार, **म्यांमार के साथ भारत की सीमा पर कई विद्रोही समूहों का खतरा व्याप्त है,** जिन्होंने दोनों देशों की सीमा पर अवस्थित वनों को अपनी **शरण स्थली बना रखा है।**
  - बांग्लादेश में **"विदेशी अंत:क्षेत्र (भारत के बांग्लादेश में क्षेत्र) और प्रतिकूल अधिकृत प्रदेश"** के राजनीतिक सीमा संबंधी मुद्दों के परिणामस्वरूप संपूर्ण पूर्वी सीमा पर राजनीतिक संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।
- **सीमा प्रबंधन में अक्षमता:** भारतीय सीमाओं पर सैन्य और पुलिस बलों द्वारा निगरानी की जाती है, जो केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को रिपोर्ट करते हैं। इससे सीमा प्रबंधन कार्य कठिन हो जाता है, जिस कारण सुरक्षा बलों द्वारा किए गए प्रयासों में दोहराव उत्पन्न होता है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना का अभाव:** महत्वपूर्ण अवसंरचना, जैसे- अवलोकन टॉवर, बंकर, बॉर्डर फ्लड लाइट आदि का कई सीमावर्ती क्षेत्रों में अभाव है, जिससे हाई-टेक उपकरणों की स्थापना भी बाधित होती है।
- **निम्नस्तरीय ख़ुफ़िया सूचना और दक्षतापूर्ण संसाधनों का अभाव:** सुरक्षा बल निम्नस्तरीय ख़ुफ़िया सूचनाओं और महत्वपूर्ण संसाधन के अभाव के साथ सीमा का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करने में असक्षम हैं।
- **नृजातीय संघर्ष और अलगाववादी आंदोलन:** कई सीमावर्ती राज्यों की परिवर्तित हो रही जनसांख्यिकी और अवैध प्रवास के परिणामस्वरूप समुदायों के मध्य नृजातीय संतुलन में बदलाव के कारण स्थिति अत्यंत खराब हो गई है।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या:** सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जनसंख्या घनत्व भारत की ओर लगभग 700-800 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. और बांग्लादेश की ओर लगभग 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।
- भारत के साथ सीमाबद्ध क्षेत्रों में **राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था** का भारत की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच परोक्ष रूप से जारी छद्म युद्ध (प्रॉक्सी वार) इस सुरक्षा जोखिम को और अधिक बढ़ा देते हैं।

सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **मौजूदा प्रणाली को अद्यतित करना:** मौजूदा प्रणाली के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके मशीन के माध्यम से सैन्य बलों को बेहतर निगरानी और इंटर्सेप्शन (किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले प्राप्त कर लेना) की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
  - वर्तमान में, सीमा की सुरक्षा लगभग पूर्णत: मानव निगरानी पर निर्भर है। इस प्रकार सीमा प्रबंधन में अधिक समय लगता है, जिससे यह एक जटिल कार्य बना जाता है।

VISION IAS

- **घुसपैठ का पता लगाना:** क्लोज सर्किट टेलिविज़न कैमरा (CCTV), थर्मल इमेजर (दूर से ही ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं को दर्शाने वाला उपकरण) और नाईट विज़न (रात्रि में सहायक) उपकरणों आदि को स्थापित करने से भूमि, जल, वायु और सुरंगों से होने वाले घुसपैठ का पता लगाने में सहायता मिलती है।
- **सीमा पार व्यापार को सुगम बनाना:** उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन तकनीक लेन-देन को त्वरित और सुरक्षित रूप प्रदान करने में सहायता कर सकती है, इससे अवैध व्यापार का पता लगाने एवं निगरानी करने में भी अधिक सुगमता होती है।
- **बेहतर ख़ुफ़िया जानकारी और निगरानी:** सुदूर संवेदन उपग्रह, रडार उपग्रह और सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) सेंसरों वाले उपग्रह दिन एवं रात में सभी प्रकार के भू-प्रदेशों एवं सभी मौसम (मेघों की उपस्थिति में भी) की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
- **सीमा सुरक्षा पर गठित मधुकर गुप्ता समिति** ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़बंदी करने, सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और दोषों के निवारणार्थ संघ सरकार से अनुशंसा की थी। इसके तहत वर्ष 2015 में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS) को लागू किया गया था।

व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS)

- यह एक **सुदृढ़ और एकीकृत प्रणाली है** जो मानव संसाधन, हथियारों और उच्च तकनीक से युक्त निगरानी उपकरणों को एकीकृत करके सीमा सुरक्षा की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने में सक्षम है।
- यह **सीमा सुरक्षा, जैसे- अवैध घुसपैठ, निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी, मानव दुर्व्यापार और सीमा पार आतंकवाद आदि का पता लगाने एवं उन्हें नियंत्रित करने में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की क्षमता में सुधार करती है।**
- यह त्वरित निर्णय लेने और नई समस्याओं की परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए **स्थितिजन्य जागरूकता में भी सुधार करती है।**
- **इसमें अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों की एक श्रेणी को एकीकृत करना सम्मिलित है।**
- भारत-पाकिस्तान सीमा (10 किलोमीटर) और भारत-बांग्लादेश सीमा (61 किलोमीटर) पर लगभग 71 किलोमीटर लंबाई पर CIBMS की 2 प्रायोगिक परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं।
- वर्ष 2018 में, BSF भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बाड़बंदी रहित नदी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेंसर लगाने के लिए **प्रोजेक्ट बोल्ड क्यू.आई.टी. (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यू.आर.टी. इंटरसेप्टिक तकनीक)** {project BOLD QIT (Border Electronically Dominated QRT Interception Technique)} को आरंभ किया गया था।

उठाए जा सकने वाले कदम

- **विवाद समाधान:** सरकार को पड़ोसी देशों के साथ लंबित सीमा विवादों का समाधान करना चाहिए, क्योंकि वे बाद में राष्ट्रीय-सुरक्षा जोखिम के मुद्दे बन जाते हैं।
- **सुरक्षाबलों को अन्य कार्यों हेतु स्थानांतरण न करना:** सीमा-रक्षक बल को अपने प्रमुख कार्य से हटाकर आंतरिक सुरक्षा जैसे अन्य कर्तव्यों के लिए परिनियोजित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे- भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे भारत-चीन सीमा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, उनका उपयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए।
- **सेना को सम्मिलित करना:** यह अनुभव किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LOC) तथा भारत और तिब्बत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) जैसी अनसुलझी और विवादित सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना की होनी चाहिए, जबकि अन्य सभी निर्विवाद सीमाओं की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की होनी चाहिए।
- **एक-बल-एक-सीमा सिद्धांत का पालन करना ताकि** सीमाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन संभव हो सके, क्योंकि विभाजित जिम्मेदारियों के कारण कभी भी प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है।

VISION IAS

- **अवसंरचना का विकास करना:** विशेष रूप से सीमावर्ती जनसंख्या को अवैध गतिविधियों से विमुख करने के लिए सीमा पर अवसंरचना का तीव्र गति से विकास किया जाना चाहिए।

3.1. सीमा अवसंरचना (Border Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **सीमा अवसंरचना (border Infrastructure)** से संबंधित **शेकटकर समिति** की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें कार्यान्वित किया गया।

इन सिफारिशों के बारे में

इस समिति द्वारा की गई तीन सिफ़ारिशें **सड़क निर्माण प्रक्रिया को तीव्र करने** से संबंधित हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में **सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा** मिलेगा। ये सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation: BRO) की अधिकतम क्षमता के अतिरिक्त **सड़क निर्माण कार्य को आउटसोर्स (अर्थात् इस कार्य को किसी अन्य इकाई द्वारा कराया जाना) करना। 100 करोड़ रुपये से अधिक** लागत वाले सभी निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध (Engineering Procurement Contract: EPC) मोड को अनिवार्य कर दिया** गया है।
- **आधुनिक निर्माण संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी** के **घरेलू व विदेशी खरीद** हेतु **BRO की खरीद क्षमता** को 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- **भूमि अधिग्रहण** और वन एवं पर्यावरण मंजूरी जैसी सभी **वैधानिक स्वीकृतियों** को **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) के अनुमोदन के अधीन** लाया गया है। **EPC** मोड को अपनाने तथा कम से कम 90% वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया जाता है।

सीमा पर अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता

- **राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अनिवार्य:** राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक कट्टरता और पड़ोसी देशों द्वारा आतंकवाद को संरक्षण प्रदान किए जाने आदि जैसी स्थितियां भारतीय सीमा को संवेदनशील बनाती हैं।
- चीन जैसे **पड़ोसी देशों के अवसंरचनात्मक निर्माण के समान** ही भारतीय सीमाओं पर ढांचागत संरचना का निर्माण आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा सीमाओं के किनारे सड़कें, रेलवे लाइन और फाइबर ऑप्टिक्स सहित संचार नेटवर्क कार्य को पूर्ण कर लिया गया है।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं एवं उनके कल्याण हेतु भी यह आवश्यक है।**
- ढांचागत संरचना की कमी से **सामरिक और रणनीतिक गतिशीलता बाधित** हुई है, जो सैन्य संचालन को चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- **वैध व्यापार और यात्राओं को सुविधाजनक बनाकर** तस्करी, मानव दुर्व्यापार, अपराध, आतंकवाद और अवैध प्रवास की रोकथाम एवं निगरानी प्रकिया को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है।

सीमा पर अवसंरचनात्मक विकास के समक्ष समस्याएं

- **निम्नस्तरीय कार्यान्वयन:** वर्ष 2017 में, CAG (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में **आवंटित 73 सड़क मार्गों** में से मार्च 2016 तक केवल 22 सड़क मार्गों के निर्माण कार्य को पूरा किया गया था। इसी प्रकार 14 रणनीतिक रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य भी विलम्बित था।
- **निगरानी के अभाव** के परिणामस्वरूप **सड़कों के अनुपयुक्त निर्माण** (दोषपूर्ण डिजाइन, आवागमन संबंधी निम्नस्तरीय स्थिति, अपर्याप्त जल निकासी सुविधाएँ आदि सहित) को बढ़ावा मिला है।

VISION IAS

- **सीमाओं के प्रबंधन में अनेक सुरक्षा एजेंसियों की संलग्नता:** भारत में सीमा प्रबंधन के लिए भारतीय थल सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स जैसी सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं, जबकि चीन में सीमा सुरक्षा दायित्व के संचालन हेतु सुरक्षा बलों की एकल कमान को तैनात किया गया है, जो बेहतर सैन्य सयोंजन को दर्शाती हैं।
- **सैन्य कमानों के मध्य समन्वय का अभाव:** कुछ स्थितियों में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs: MHA) और अन्य स्थितियों में रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence: MoD) के उत्तरदायी होने से प्रबंधन आंशिक रूप से बाधित हो जाता है।
- **कर्मचारियों और आधुनिक उपकरणों का अभाव:** BRO कर्मचारियों की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। साथ ही, कुशल कर्मचारियों का अभाव, स्थानीय ठेकेदारों पर अत्यधिक निर्भरता आदि समस्याएं बनी हुई हैं।
- सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण के लिए **पर्याप्त धन का अभाव है।** यहां तक कि भारतीय थल सेना द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया है।

उठाए गए कदम

- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme: BADP):** BADP का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित क्षेत्रों में अधिवासित लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके बेहतर जीवन हेतु मानक व्यवस्था को स्थापित करना है।
- **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (Border Infrastructure and Management: BIM)** इसके अंतर्गत सड़क, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेलीपैड, सीमा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी 60 परियोजनाएं शामिल हैं।
- **भारत-चीन सीमा सड़क मार्गों को पूर्ण करना:** प्रथम चरण में लक्षित 61 सड़क मार्गों के निर्माण में से 36 सड़क मार्गों का निर्माण किया जा चुका है।
- **तीव्र वन मंजूरी प्रक्रिया:** सीमा अवसंरचना संबंधी कार्यों को पूर्ण करने हेतु, सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सामान्य अनुमोदन प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- **राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited: NHIDCL) का सृजन:** NHIDCL ने निर्माण कार्य के निष्पादन में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए BRO की कई परियोजनाओं को संचालित किया है।

3.2. सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां और उनसे निपटने के लिए हाल ही में किए गए उपाय (Challenges in Border Areas and Recent Initiatives to Tackle them)

सीमा	सीमा पर चुनौतियां	सरकार की हालिया पहलें
भारत-चीन	• छिटपुट घटनाओं के साथ अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम आदि क्षेत्रों में **सीमा विवाद।** • सीमा व्यापार हेतु निर्दिष्ट क्षेत्रों के बावजूद इन सीमा बिंदुओं के माध्यम से चीनी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की वृहत स्तर पर **तस्करी।** • **दुर्गम क्षेत्र** होने के कारण **अपर्याप्त अवसंरचना।** जबकि, चीन द्वारा अपनी सीमा के निकट वायु, सड़क और रेल अवसंरचनाओं सहित निगरानी क्षमताओं के उन्नयन हेतु व्यापक प्रयास किए गए हैं। • **भारतीय सीमा पर कई सैन्य बलों**	• **अवसंरचना का निर्माण:** भारत द्वारा सैनिकों की आवाजाही में लगने वाले समय को कम करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया किया जा रहा है, जैसे- ढोला-सादिया पुल। • भारत ने चीन को नियंत्रित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं को शीघ्रता से विकसित करने के लिए **जापान के साथ समझौता** किया है। • वास्तविक नियंत्रण रेखा की 100 कि.मी. की परिधि में **सैन्य अवसंरचना परियोजनाओं को वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों से छूट** दी गई है। • सीमा सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने **सीमा सड़क संगठन (BRO) को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां** सौंपने का निर्णय लिया है।

VISION IAS

	{जैसे- भारतीय तिब्बत सीमा बल (ITBP), असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आदि} की तैनाती, जबकि चीन द्वारा अपनी सीमा पर एकमात्र पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) कमांडर की तैनाती की गई है। • **जल बंटवारे से संबंधित मुद्दा** क्योंकि **चीन** अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में बाँध का निर्माण कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में जल के प्रवाह में कमी हो जाएगी।	
भारत-पाक	• सर क्रीक और कश्मीर में **सीमा विवाद**। • सिंधु नदी के **नदी जल बंटवारे** से संबंधित मुद्दा। • भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से पाकिस्तान द्वारा **घुसपैठ और सीमापारीय आतंकवाद को बढ़ावा।** हाल ही में, सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू के वन क्षेत्र में पांचवीं (वर्ष 2012 के बाद से) सीमा-पार सुरंग का पता लगाया है। • मरुस्थल, दलदल, हिमाच्छादित पर्वत और मैदानों सहित विविध प्रकार के भू-क्षेत्र सीमा सुरक्षा को कठिन बना देते हैं। • अप्रत्याशित परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अवसंरचना परियोजनाओं में लगने वाले **समय और लागत का निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाना।** • अन्य समस्याओं में **मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, हथियारों का अवैध व्यापार आदि** सम्मिलित हैं।	• पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद, गृह मंत्रालय ने प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी सीमा पर समग्र सुरक्षा प्रदान करने वाले **एकीकृत सुरक्षा तंत्र** की स्थापना करने के लिए **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS)** के कार्यान्वयन को अनुमति प्रदान की है। • केंद्र ने **जम्मू-कश्मीर** में **"राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)" कमांडो को तैनात करने का निर्णय लिया है** ताकि जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य अर्द्धसैनिक बलों को रूम इंटरवेंशन (किसी घर या इमारत के भीतर प्रवेश कर सैन्य कार्रवाई प्रशिक्षण), आतंकवाद विरोधी कौशलों, अपहरण विरोधी अभियानों के निरीक्षण आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर आतंकवाद विरोधी अभियानों को सुदृढ़ किया जा सके।
भारत-नेपाल	• सीमा के माध्यम से आतंकियों और विस्फोटकों का प्रवेश आदि जैसी ISI की बढ़ती गतिविधियों के कारण उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। • भारत में **नेपाल** के माओवादियों से संपर्क के कारण माओवादी विद्रोह के प्रसार का भय। • **आसानी से बच निकलना और अवैध गतिविधियां** – उग्रवादी, आतंकवादी और अनेक खतरनाक अपराधी भारतीय एवं नेपाली सुरक्षा बलों द्वारा पीछा किए जाने पर खुली सीमा होने के कारण बच निकलते हैं। ○ ये राष्ट्र-विरोधी तत्व आवश्यक	• बेहतर परिचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर **सशस्त्र सीमा बल (SSB) के तहत एक नए आसूचना अनुभाग की स्थापना।** • परस्पर चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के जिला अधिकारियों के स्तर पर **"सीमा जिला समन्वय समिति"** (Border District Coordination Committee) की स्थापना। • भारत सरकार ने नेपाल सीमा के साथ **1,377 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी** दी है। • रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण मानव तस्करी/व्यापार को रोकने के लिए **नेपाल को विकास सहायता।**

	वस्तुओं एवं जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी, हथियारों के अवैध व्यापार और मादक द्रव्यों की तस्करी एवं मानव दुर्व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। • **अन्य मुद्दे:** कभी-कभी विवादित सीमा दोनों ओर बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण का कारण बन जाती है।	
भारत-भूटान	• **उपद्रव:** बोडो, उल्फा जैसे कई समूहों को भूटान की सेना द्वारा निष्कासित किए जाने के बावजूद शरण प्राप्त करने हेतु भूटान में अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं। • भूटान की भांग, शराब और वनोपज जैसी वस्तुओं की तस्करी। • लोगों और वाहनों की मुक्त आवाजाही के परिणामस्वरूप कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई समस्याएं।	• **द्विपक्षीय सहयोग:** सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर भारत-भूटान समूह की भांति सचिव स्तरीय द्विपक्षीय तंत्र। • **भूटान में विद्रोहियों को मिलने वाली शरण को रोकने हेतु उसकी सेना के साथ सहयोग स्थापित करना।** • डोकलाम के साथ भूटान सीमा के समीप **सिक्किम में नई सीमा चौकियों की स्थापना।** • **केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भूटान, म्यांमार और नेपाल से संलग्न पूर्वी सीमा पर प्रमुख सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन (diversion) हेतु एक "सामान्य स्वीकृति" प्रदान की है।**
भारत-म्यांमार	• **मुक्त आवागमन व्यवस्था: विद्रोहियों द्वारा सीमा पार कर म्यांमार जाने और वहां प्रशिक्षण एवं हथियार प्राप्त करने हेतु** मुक्त आवागमन व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। • गोल्डन ट्रायंगल के समीप स्थित होने के कारण मादक द्रव्यों की तस्करी। • खुली सीमाएं क्योंकि सीमा पर बाड़बंदी या सीमा चौकियों और सड़कों के रूप में कठोर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु व्यावहारिक रूप में ऐसी किसी भी प्रकार के सुरक्षा सम्बन्धी भौतिक अवरोध नहीं हैं। • सामान्य व्यापार और सीमा व्यापार के लिए दो नामित स्थानों, यथा- मोरह और ज़ोखावतार में निम्न स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएँ।	• हाल ही में, मंत्रिमंडल ने थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए **13 नई एकीकृत जांच चौकियां (Integrated Check Posts: ICP) स्थापित करने का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया है। एकीकृत जांच चौकियां वैध व्यापार और वाणिज्य की सुविधा प्रदान करते हुए ऐसे तत्वों को प्रतिबंधित करने में सक्षम हैं।
भारत - बांग्लादेश	• तीस्ता नदी जल बंटवारा, भारत द्वारा बराक नदी पर बांध का निर्माण आदि जैसे **जल विवाद।** • **अवैध प्रवास:** बांग्लादेश राज्य का निर्माण करने वाले वर्ष 1971 के स्वतंत्रता युद्ध के बाद से बांग्लादेश से लाखों अप्रवासियों (अधिकांश प्रवास अवैध है) का भारत में प्रवेश।	• **भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, 2015** • सरकार ने भारत-बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में **"सीमा सुरक्षा ग्रिड (Border Protection Grid: BPG)"** की स्थापना की घोषणा की है। • गुनारमठ एवं कल्याणी में सीमा सुरक्षा बल की चौकियों और पुतखाली एवं दौलतपुर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की सीमा चौकियों के मध्य एक **अपराध मुक्त क्षेत्र** स्थापित किया गया है।

VISION IAS

	• **रोहिंग्या संकट** (धार्मिक उत्पीड़न) ने इसमें और वृद्धि की है क्योंकि वर्ष 2017 में भारत में 40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों के होने का अनुमान लगाया गया था। • **नदीय क्षेत्रों, सीमा क्षेत्रों में अधिवासित लोगों द्वारा विरोध,** लंबित भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों के कारण सीमा की पर्याप्त रूप से बाड़बंदी (फेंसिंग) नहीं हो पाई है। • जामदानी साड़ी, चावल, नमक आदि जैसी **वस्तुओं के साथ-साथ मवेशियों की तस्करी।**	• गहन निगरानी हेतु क्लोज-सर्किट कैमरे, सर्च-लाइटों, थर्मल इमेजिंग उपकरणों और ड्रोन जैसे **सीमा निगरानी उपकरणों का** अधिष्ठापन। • सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) द्वारा सीमा क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के संबंध में **स्थानीय लोगों में जागरूकता का प्रसार** किया जा रहा है।

VISION IAS

4. चरमपंथ और आतंकवाद (Extremism and Terrorism)

परिचय

सुरक्षा के संदर्भ में, उग्रवाद का तात्पर्य अपनी विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए अवैध और हिंसक तरीकों को अपनाने से है। उग्रवादी समूह विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। किसी एक समूह या समूहों के उद्देश्यों के आधार पर आतंकवाद की प्रकृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उदाहरणार्थ- नृजातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, वामपंथी आतंकवाद, दक्षिणपंथी आतंकवाद, किसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, शहरी आतंकवाद आदि।

प्रभावी आतंकवाद-रोधी रणनीति के प्रमुख तत्व क्या हैं?

- **राजनीतिक सहमति:** संघ सरकार को राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण करते समय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ गहन विचार-विमर्श करना चाहिए। तत्पश्चात राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे भी भारत सरकार के नोडल मंत्रालय के साथ सहयोगात्मक विचार-विमर्श करके अपनी सकारात्मक भूमिका संपन्न करेंगे।
- **सुशासन और सामाजिक-आर्थिक विकास:** आतंकवाद-रोधी नीति का निर्माण करने के लिए विकास संबंधी कार्यों को करने की आवश्यकता होगी। साथ ही, इन कार्यों के ज़मीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वियन को उच्च प्राथमिकता देना भी अपरिहार्य है। उल्लेखनीय है कि इस हेतु सभी स्तरों पर दक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह प्रशासन एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- **विधि के शासन के प्रति सम्मान:** सरकारी संस्थाओं को उग्रवाद या आतंकवाद के कारण उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए विधि का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- **आतंकवादियों की विघटनकारी गतिविधियों का प्रतिरोध करना:** सरकार को आतंकवादियों व माओवादियों द्वारा हिंसक साधनों से सत्ता परिवर्तन या राज्य के विघटन की कार्यवाहियों को तुरंत समाप्त करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने के लिए सैन्य उपायों के साथ-साथ सिविल उपायों पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए।
- **उपयुक्त विधिक ढांचा प्रदान करना:** हो सकता है कि किसी आतंकवादी पर कार्यवाही करने के लिए देश की साधारण विधि पर्याप्त रूप से सक्षम न हो। इसके लिए विशेष विधियों और प्रभावी प्रवर्तन-तंत्र की आवश्यकता हो सकती है। परन्तु साथ ही, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाने चाहिए।
- **क्षमता निर्माण करना:** क्षमता निर्माण करने संबंधी कार्यवाही का आसूचना (खुफ़िया) तंत्र, सुरक्षा संस्थाओं, नागरिक प्रशासन और समाज में व्यापक स्तर तक विस्तार किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **सरकार ने इस संबंध में अनेक विधान अधिनियमित किए हैं,** जैसे- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 {The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967}; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980; आतंकवादी और विघटनकारी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम {The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA)}, 1985 और 1987; आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 {Prevention of Terrorism Act, 2002 (POTA)} आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism: CCIT)** को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस संधि के तहत आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक वैश्विक विधिक ढांचा प्रदान करना प्रस्तावित है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग:** वर्ष 2011 में, अमेरिका-भारत मातृभूमि सुरक्षा संवाद आरंभ किया गया था। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अपनी-अपनी मातृभूमि (होमलैंड) से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर प्रथम व्यापक द्विपक्षीय वार्ता थी।
- **आतंकवाद का सामना करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय शहरों का वैश्विक नेटवर्क: मुंबई** अब संयुक्त राष्ट्र स्तर पर गठित अंतर्राष्ट्रीय शहरों के वैश्विक नेटवर्क का भाग बन गया है। यह नेटवर्क आतंकवाद का सामना करने और साइबर सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक का आदान-प्रदान एवं अवसंरचना का विकास करने में सहायता करेगा।

VISION IAS

- **आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध कार्यवाही करना:** भारत, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (Financial Action Task Force: FATF) की वैश्विक व्यवस्था का भाग है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध कार्यवाही करना है। उदाहरण के लिए, FATF ने पाकिस्तान को अपने देश में आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध मुकदमा चलाने और दंडित करने की निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहने के कारण उसे **ग्रे लिस्ट** में सूचीबद्ध किया है।

आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की भूमिका

- **आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना करना:** FATF यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी सदस्य FATF द्वारा जारी अनुशंसाओं के अनुसार आतंकवाद से संबंधित वित्तीय प्रवाह (वित्तपोषण) को रोकने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करें। सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे:
  - व्यक्तिगत आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों का वित्तपोषण करने को अपराध की श्रेणी में रखें।
  - आतंकवादी संपत्ति को शीघ्र अति शीघ्र कुर्क (Freeze) करें और वर्तमान में प्रवर्तित प्रतिबंधों को लागू करें।
- **आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, स्रोत का पता लगाने, जांच करने और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की सदस्य देशों की क्षमता का मूल्यांकन करना:** FATF दो लिस्ट (सूची) जारी करता है, अर्थात्-
  - **ब्लैक लिस्ट:** आधिकारिक तौर पर इसे उच्च जोखिम वाली अधिकारिता (देशों) के रूप में जाना जाता है, जिनके लिए कार्यवाही करना आवश्यक होता है।
    - वर्तमान FATF की ब्लैक लिस्ट में दो देश सम्मिलित हैं, यथा- **उत्तर कोरिया और ईरान।**
  - **ग्रे लिस्ट:** आधिकारिक तौर पर इसे किसी अधिकारिता (देशों या संस्था) पर अधिकाधिक निगरानी रखने के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से संबंधित वित्तीय प्रावधानों को लागू करने में देशों की सहायता करना:** FATF ने आतंकवाद के वित्तपोषण के स्रोतों का पता लगाने, उन्हें बाधित करने, दंडित करने और प्रतिबंधित करने में सहायता करने के लिए विभिन्न उपायों और दिशा-निर्देशों की एक श्रृंखला विकसित की है।

4.1. देश में आतंकवाद-रोधी क़ानून (Anti-Terror Laws in the Country)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (Gujarat Control Of Terrorism And Organised Crime: GCTOC) विधेयक** को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

आतंकवाद-रोधी कानून के सृजन की आवश्यकता

- **ऐसे कानून आतंकवाद-रोधी मूलभूत व्यवस्था को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं,** जिसमें निम्नलिखित तीन प्रमुख तत्व शामिल हैं:
  - आतंकवाद के सभी पहलुओं को शासित करने वाला एक **कानून;**
  - समयबद्ध तरीके से आतंकवाद के मामलों को सुलझाने के लिए **एकल जांच एजेंसी;** तथा
  - आतंकवाद से संबंधित **ख़ुफ़िया सूचनाओं की जांच, विश्लेषण और प्रसार** के लिए एक एजेंसी।
- **मौजूदा क़ानूनों में व्याप्त कमियां एवं अपर्याप्तता:** विगत वर्षों में, जहाँ एक ओर आतंकी घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ इनकी **तीव्रता और भौगोलिक विस्तार में भी व्यापक वृद्धि** हुई है तथा जिन्हें **बाह्य कारकों द्वारा निरंतर बढ़ावा एवं सहयोग** मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाओं को कानून एवं व्यवस्था से संबद्ध कर निपटने की प्रवृत्ति विद्यमान रही है, जिसके कारण ये कानून अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं।
- **आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु:** ऐसे कानून प्रभावी रूप से आतंकवादी समूहों के संचालन स्थलों और गतिशीलता को सीमित कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों के निष्पादन को प्रतिबंधित करने में सक्षम होंगे।
  - **संघीय ढांचे में मौजूदा अंतराल को कम करने हेतु:** जांच एजेंसियों के मध्य अंतर-प्रचालन (inter-operability) को सुनिश्चित करने के लिए, जो राज्य सरकारों के साथ-साथ संघ सरकार के नियंत्रणाधीन हैं।
  - **सीमा-पार आतंकवाद से निपटने के संबंध में:** विदेशों में स्थित आतंकी केंद्रों से संबद्ध साक्ष्यों को जुटाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।

VISION IAS

- **आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता हेतु:** जिसमें इसकी परिभाषा, कार्यप्रणाली, साक्ष्य और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनका आतंकवाद से निपटने के दौरान पालन किया जा सकता है।

आतंकवाद-रोधी कानूनों से संबद्ध मुद्दे

- **असंबद्धता और दुरुपयोग:** आतंकवाद-रोधी कानूनों को जल्दबाजी में अधिनियमित किए जाने के कारण व्यापक असंगति देखने को मिली है, जहाँ **ऐसे कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रयुक्त भाषा में मामूली बदलाव** किए जाने एवं उनके **अनपेक्षित परिणामों पर पर्याप्त विचार नहीं** किया गया था।
  - TADA और POTA के दुरुपयोग तथा इनके नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किए बिना कई अन्य राज्यों द्वारा ऐसे समान कानून अधिनियमित किए गए हैं, इस प्रकार उनके दुरुपयोग संबंधी जोखिमों में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप उनमें संशोधन और बदलाव हुए हैं।
- **भारतीय संघवाद की जटिलताएँ:** विभिन्न राज्यों के कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है और इसी तरह, **राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (National Counter Terrorism Centre)** के सृजन संबंधी कानूनी प्रयासों को राज्य सरकारों द्वारा विफल कर दिया गया।
- **संघीय कानूनों के मध्य विधायी अंतराल:** वर्ष 2004 में POTA के निरसन और वर्ष 2008 में UAPA को संशोधित करने के मध्य चार वर्षों का एक दीर्घ अंतराल मौजूद था। इस अवधि के दौरान भारत में आतंकवाद-रोधी कोई विशेष संघीय कानून उपस्थित नहीं था, परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को वैकल्पिक सक्षम कानूनों को अधिनियमित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- **राज्य आधारित समस्याएं:** जैसे कि महाराष्ट्र एवं अरुणाचल प्रदेश में अंडरवर्ल्ड और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क की उपस्थिति के कारण संगठित अपराध के खिलाफ **MCOCA (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट)** व **APCOCA (अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट)** जैसे क़ानूनों का सृजन करना पड़ा।

4.1.1. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 {Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019: UAPA}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019** को भारतीय संसद द्वारा पारित कर दिया गया है।

इस अधिनियम में हुए प्रमुख संशोधन

- **आतंकी संस्था घोषित करने के दायरे को विस्तृत किया गया है:** पूर्व में केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती थी; यदि वह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित या संचालित करता है अथवा उसमें संलग्न है या बढ़ावा दे अथवा आतंकवादी गतिविधि में किसी भी तरीके से शामिल होता है।
  - अब सरकार को उन्हीं आधारों पर किसी भी **व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने** का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **संपत्ति जब्त करने की मंजूरी:** इससे पूर्व एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी।
  - अब, यदि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: NIA) के किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की सहमति की आवश्यकता होगी।
- **NIA को सशक्त बनाया गया है:** इससे पूर्व, मामलों की जांच उप-पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों द्वारा या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती थी।
  - इस विधेयक के माध्यम से इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक वाले NIA के अधिकारियों को भी मामलों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **संधियों की अनुसूची को शामिल करना:** इस अधिनियम की एक अनुसूची में नौ संधियाँ सूचीबद्ध थीं {जैसे- कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ़ टेररिस्ट (1997), कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ़ होस्टेज़ (1979) आदि}, जिसके अनुसार यह अधिनियम उन संधियों के तहत किए गए कृत्यों को शामिल करने हेतु आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करता है।

VISION IAS

- इस विधेयक के अंतर्गत **इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ़ एक्ट्स ऑफ़ न्यूक्लियर टेररिज्म (2005)** को भी सूची में शामिल किया गया है।

इन संशोधनों की आवश्यकता और लाभ

- **आतंकवाद के बढ़ते खतरे:** विशेष रूप से सीमा पार घुसपैठ के परिणामस्वरू भारत में अनेक नागरिकों के साथ-साथ सैन्य कर्मियों को भी क्षति का सामना करना पड़ा है।
- **अनेक लोगों का निगरानी प्रणाली से बचे रहना:** व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित नहीं करना, उन्हें कानून के दायरे से बचे रहने का अवसर प्रदान करता है और वे आसानी से एक अलग पहचान के साथ अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं।
- **मौजूदा प्रक्रिया में विलंब:** वर्तमान कानून के अनुसार NIA को संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक से आतंकवादी घटनाओं को रोकने संबंधी कार्यवाही करने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिसके कारण प्रक्रिया में विलंब होता है, क्योंकि प्राय: ऐसी संपत्तियां विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होती हैं।
- **मानव संसाधनों की आवश्यकता:** यह संशोधन निरीक्षकों (इंस्पेक्टर्स) और उनसे ऊपर की रैंक के अधिकारियों को जांच हेतु अधिकार प्रदान कर, NIA में मानव संसाधन संबंधी अभावों को कम करने का प्रयास करता है।

संशोधन से संबंधित चिंताएं

- **कठोर प्रावधान (Draconian Provisions):** इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने का अधिकार होगा, जो संभवतः जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना एक आतंकवादी के रूप में चिन्हित करने का अधिकार प्रदान करेगा।
- **दुरुपयोग की संभावना:** आतंकी प्रचार, आतंकवादी साहित्य आदि ऐसे अस्पष्ट शब्द हैं जिनका प्राधिकारी द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। जब कोई कानून इस तरह की कमजोर अवधारणाओं पर आधारित होता है, तो अधिकारियों द्वारा उसे किसी के भी विरुद्ध आसानी से आरोपित किया जा सकता है।
- **न्यायिक विवेक के विरुद्ध:** यदि किसी व्यक्ति को केवल भाषण और विचार के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जाता है, तो यह न्यायिक विवेक के विरुद्ध होगा। इसके बजाए, इसे केवल तभी आरोपित किया जाना चाहिए जब कोई भाषण प्रत्यक्ष एवं आसन्न हिंसा को बढ़ावा देता हो।

आगे की राह

- **दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय:** अधिनियम में किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किए जाने संबंधी निर्णय लेने से पूर्व **चार स्तरीय जांच** के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा करने के लिए उचित कानूनी और ठोस सबूतों के साथ प्रत्येक स्तर पर गहन जाँच की जानी चाहिए।
  - राज्य की विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों का निपटारा **विधि की सम्यक् प्रक्रिया** के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **अत्याधुनिक प्रशिक्षण:** युवा अधिकारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें जटिल मामलों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके।
- **साक्ष्य संग्रह की देखरेख हेतु एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता:** ताकि जांच प्रक्रिया में सहायता मिल सके, विशेषकर उन मामलों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबद्ध हैं।
- राज्य का प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों के **जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना** है और यह संशोधन राज्य को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है।

4.1.2. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 {NIA (Amendment) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 {National Investigation Agency (Amendment) Act 2019}** पारित किया है, जिसका लक्ष्य NIA की शक्तियों एवं अधिकार-क्षेत्र में विस्तार करना है।

VISION IAS

प्रमुख संशोधन

- **अपराधों के दायरे को विस्तृत किया गया है:** इसका उल्लेख इस अधिनियम की अनुसूचियों में किया गया है, जैसे- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 {The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967}।
  - इस संशोधन के माध्यम से मानव तस्करी; नकली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध; प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री; साइबर आतंकवाद; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत किए जाने वाले अपराधों जैसे अन्य अपराधों को सम्मिलित करने हेतु इसके दायरे को विस्तृत किया गया है।
- **NIA के क्षेत्राधिकार में वृद्धि:** NIA के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य राष्ट्रों के घरेलू कानूनों के अधीन, भारत से बाहर किए गए अधिसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति प्राप्त होगी।
  - केंद्र सरकार उन मामलों की जांच करने के लिए NIA को निर्देश दे सकती है, जिनमें अपराध भारत में किया गया हो।
  - नई दिल्ली स्थित **विशेष न्यायालय** को इन मामलों से संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
- **विशेष न्यायालयों के लिए अतिरिक्त प्रावधान:** NIA अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को अधिसूचित अपराधों के ट्रायल (जांच) के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
  - अब केंद्र सरकार अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए **सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित** कर सकती है, किन्तु ऐसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा, जिसके तहत उक्त सत्र न्यायालय कार्यरत है।
  - जब किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय नामित किए गए हों, तो उक्त स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा न्यायालयों के मध्य वादों का आवंटन किया जाएगा।
  - इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अधिसूचित अपराधों के ट्रॉयल हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में सत्र न्यायालयों को भी नामित कर सकती हैं।

इन संशोधनों के पक्ष में तर्क

- **आतंकी हमलों में वृद्धि:** आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act: POTA) को निरस्त किए जाने और NIA अधिनियम में इन कमियों के बने रहने के कारण, अन्य एजेंसियां ऐसी गतिविधियों से निपटने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थीं।
- **अस्पष्टता की स्थिति मामलों को कमजोर बनाती है:** इससे पूर्व, इन धाराओं के तहत NIA अभियुक्तों को केवल तभी दोषी ठहरा सकती थी, जब मूल अपराध उसकी अनुसूची में सम्मिलित हो। किन्तु, संशोधन अधिनियम के तहत अब NIA स्टैंडअलोन मामलों में लोगों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही कर सकती है। उदाहरण के लिए, **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019** के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर आयुध अधिनियम (आर्म्स एक्ट) की धाराएँ आरोपित की जा सकती हैं, किन्तु अभी तक NIA उस पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं कर सकती थी।
- **विश्व की सभी प्रमुख एजेंसियों (जैसे- अमेरिका की FBI) के पास इस प्रकार की शक्ति का होना:** 26/11 हमलों में डेविड कोलमैन हेडली के विरुद्ध मुकदमा चलाने में यह (FBI) सक्षम थी, क्योंकि उसके पास विदेश में घटित हुए आतंकवादी हमले में मामला दर्ज करने की शक्ति प्राप्त थी।
  - दूसरी तरफ, इन खामियों के बने रहने के कारण जब वर्ष 2012 में केरल के तट पर इटली के कुछ नौसैना अधिकारियों द्वारा एक भारतीय मछुआरे को गोली मार दी गयी थी, तब उन अधिकारियों के विरुद्ध मामले की जांच उपयुक्त तरीके से नहीं हो पायी थी। हालाँकि अपराध, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में घटित हुआ था किन्तु उस समय NIA के पास इससे संबंधित कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था।
- **तीव्र अधिनिर्णयन में सहायता:** इससे पूर्व, किसी भी राज्य में विशेष न्यायालयों को स्थापित करने में छह से नौ माह का समय लगता था, क्योंकि इसके लिए प्रस्ताव निर्मित करना होता था, उच्च न्यायालयों की सहमति प्राप्त करनी होती थी, एक न्यायाधीश को नामित करना होता था तथा एक न्यायालय स्थापित करना होता था। किन्तु अब मौजूदा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से, मुकदमे की सुनवाई शीघ्र प्रारंभ हो सकती है।

इन संशोधनों के विपक्ष में तर्क

- **दुरुपयोग की संभावना:** कई विपक्षी नेताओं द्वारा इन संशोधनों की आलोचना की गई है और सरकार पर **"राजनीतिक प्रतिशोध"** के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। कुछ सांसदों ने इस तथ्य को भी संदर्भित किया है कि किसी विशेष समुदाय के सदस्यों को लक्षित करने के लिए कई बार आतंकवाद विरोधी कानून का दुरुपयोग किया जाता रहा है।
- **न्यायपालिका पर पहले से ही अत्यधिक कार्यभार बना हुआ है** और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने से न्यायालयों की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित होगी।

आगे की राह

NIA की कार्यप्रणाली राजनीतिक अधिदेश पर नहीं, बल्कि विधि के शासन पर निर्भर होनी चाहिए। इसे मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।

4.2. "लोन वुल्फ" अटैक ("Lone Wolf" Attack)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लंदन में एक व्यक्ति द्वारा लोन वुल्फ हमले को अंजाम दिया गया।

लोन वुल्फ हमले के बारे में

- इस प्रकार के हमलों में किसी **एकल अपराधी** (या किसी लघु समूह) द्वारा धमकी या हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।
- "लोन वुल्फ" वह व्यक्ति होता है, जो किसी अन्य समूह या अन्य व्यक्ति के **प्रत्यक्ष सहयोग के बिना** हिंसक कार्यवाही की **योजनाओं को तैयार** करता है और उन्हें संपादित करता है।
- यद्यपि लोन वुल्फ आतंकी पूर्णतः अकेले ही हिंसक गतिविधियों को निष्पादित करते हैं, परन्तु हिंसक मीडिया छवियां, भड़काऊ पुस्तकें, घोषणापत्र और धार्मिक फतवे आदि उन्हें उनकी कट्टरपंथी कार्रवाइयों को अंजाम देने हेतु उत्तेजित कर सकते हैं।
- लोगों को धमकाने और भयभीत करने से लेकर **अंधाधुंध गोलीबारी, वाहन से कुचलने, धारदार हथियार से प्रहार करने और आत्मघाती बम विस्फोट** जैसी घटनाओं के रूप में लोन वुल्फ आतंकी हमला, एक गंभीर चुनौती बन गया है।
- दीर्घकालिक आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 1970 के दशक के मध्य में लोन वुल्फ हमलों का अनुपात लगभग पांच प्रतिशत से भी कम था, जो वर्ष 2014 और 2018 के मध्य की अवधि में बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
    - ब्रिटेन में, नवंबर 2019 से अब तक चाकू से हमला करने की 3 बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी हैं।

वर्तमान में लोन वुल्फ हमलों में वृद्धि के कारण

- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से अतिवाद:** ऐसे ऑनलाइन मंचों और सोशल मीडिया प्रोफाइलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो द्वेषपूर्ण-भाषण एवं आतंकवाद की भावना को विकसित एवं प्रोत्साहित करते हैं। वे समान विचारधारा वाले चरमपंथियों से संपर्क स्थापित करने हेतु **प्रेरणा और सहायता के स्रोत** के रूप में कार्य करते हैं।
- **मानसिक रोगी:** कुछ अनुमानों के अनुसार, 40 प्रतिशत से अधिक हमले मानसिक रूप से व्याधि ग्रस्त लोगों द्वारा किए गए थे।
- **चरमपंथी विचारधारा वाले आंदोलनों में वृद्धि:** कई यूरोपीय देशों में चरमपंथी विचारधारा वाले आंदोलन अत्यधिक मजबूत हुए हैं। आंदोलनकारियों द्वारा सरकार के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करने तथा उन्हें समाज के विरुद्ध करने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं शरणार्थियों के मध्य भय की भावना को उत्पन्न किया गया है।
- **सुगम संपादन:** आतंकवादी संगठनों द्वारा इस रणनीति का उपयोग, उन देशों में हिंसा के प्रसार के लिए किया गया है, जहां सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था के कारण समन्वित बड़े हमलों को अंजाम देने में कठिनाई आती है।
- **शिथिल बंदूक विनियामक (Gun Control) व्यवस्था:** इसके कारण लोन वुल्फ आतंकी व्यापक जन क्षति वाले हमलों को परिणत करने हेतु प्रोत्साहित हुए हैं।

VISION IAS

लोन वुल्फ हमलों से संबद्ध खतरे

- **इनकी पहचान एवं इन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई:** आसूचना एजेंसियों और विधि प्रवर्तन इकाइयों द्वारा किए जाने वाले गोपनीय रीति से सूचनाओं के संग्रहण और इंटरसेप्टेड संचार जैसे उपाय ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अत्यल्प प्रभावी होते हैं, जो अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को अन्य लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं।
- **इनकी पहचान में बाधाएं:** लोन वुल्फ आतंकवादियों द्वारा कई प्रकार की हिंसक चरमपंथी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इन कृत्यों में धार्मिक कट्टरपंथी, पर्यावरणीय एवं पशु अधिकार से संबंधित चरमपंथी घटनाएँ आदि शामिल हैं। यहां तक कि इन पर वैचारिक या धार्मिक पृष्ठभूमि का भी व्यापक प्रभाव रहता है। जिसके परिणामस्वरूप वैचारिक स्तर पर इनका विरोध करना अत्यधिक कठिन हो जाता है।
- **इंटरनेट पर दिखावा करने वाले और घटनाओं को अंजाम देने वाले चरमपंथियों के मध्य अंतर करना कठिन:** उन चरमपंथियों जिनका उद्देश्य आतंकी हमले को अंजाम देना होता है तथा ऐसे चरमपंथी जो केवल कट्टरपंथी विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं या केवल दिखावे की धमकी देते हैं, के मध्य अंतर करना अत्यंत कठिन होता है।
- **हिंसा के शिकार व्यक्ति के साथ अन्याय:** क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिन्हें वास्तव में आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए साधन एवं अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं या यहां तक कि वे इनमें सम्मिलित होने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, अपने आक्रोश और कथित अन्याय का प्रतिशोध लेने हेतु एक आकर्षक माध्यम के रूप में लोन-वुल्फ हमले को अंजाम दे सकते हैं।

भारत में लोन वुल्फ हमले

चुनौतियां

- **इराक एवं सीरिया में IS (इस्लामिक स्टेट) की कमजोर होती स्थिति:** इस आतंकवादी संगठन की पारंपरिक पुनर्गठन की संभावना को कम करती है। इसलिए, ये समूह भारत में अपने सदस्यों, समर्थकों, तथाकथित आतंकियों एवं विदेशी लड़ाकों द्वारा लोन वुल्फ हमलों को संपादित करा सकते हैं।
- **पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध राज्य प्रायोजित आतंकवाद में वृद्धि करने हेतु इसे एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।**
    - संपूर्ण भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चरमपंथी साहित्य तथा उसके प्रचार-प्रसार को व्यापक स्तर पर प्रायोजित करके पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाने हेतु इन लोन वुल्फ आतंकियों का उपयोग कर सकता है।
- भारत में सघन आबादी वाले क्षेत्रों तथा हथियारों को प्राप्त करने हेतु अवैध नेटवर्क की उपस्थिति के कारण लोन वुल्फ हमलों द्वारा **अत्यधिक क्षति** हो सकती है।
- **भ्रामक जानकारियों (fake news) और मिथ्या सूचनाओं का प्रसार:** सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रचारित फेक न्यूज़ द्वारा प्रेरित पक्षपातपूर्ण विचार "अन्य व्यक्तियों" के विरुद्ध हिंसा की इच्छा को वैधता और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं।

इसे रोकने हेतु उठाये गए कदम

- **भारत में कठोर विधियों के अधिनियमन द्वारा** विस्फोटक, हल्के हथियारों तथा अन्य गोला-बारूदों तक पहुंच को अत्यधिक कठिन बना दिया गया है।
- **भारत के सांस्कृतिक बहुलवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों** ने चरमपंथी विचारधाराओं को रोकने में सहयोग प्रदान किया है।
- वैश्विक स्तर पर भारत, मुस्लिम आबादी वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि, अब तक नगण्य युवाओं ने ही IS के साथ जुड़ने या इसमें सहानुभूति रखने में अपनी रुचि व्यक्त की है।
- वर्ष 2008 के मुंबई हमले के पश्चात् आतंकवाद-रोधी संरचना में किए गए सुधारों के साथ **सशक्त सुरक्षा उपकरण,** लोन वुल्फ के विरुद्ध व्यापक निवारक का कार्य करते हैं।

आगे की राह

- सुरक्षा एजेंसियों एवं सरकार द्वारा **कट्टरपंथीकरण के विरुद्ध एक बहुआयामी दृष्टिकोण** अपनाया जाना चाहिए, जैसे- मानव आसूचना-तंत्र का बेहतर उपयोग, समुदायों और उनके नेतृत्व के साथ सशक्त संबंध और कट्टरपंथ को समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम।

VISION IAS

- अधिकारियों द्वारा **सोशल मीडिया की निगरानी से** उन हमलावरों की पहचान की जा सकती है, जो पूर्व में किसी भी आतंकवादी समूह के संपर्क में नहीं थे।
- विस्फोटक पदार्थों, अर्द्ध-स्वचालक हथियारों आदि तक पहुंच को सीमित करके **लोन-वुल्फ हमलों के घातक प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए।**
- **ख़ुफ़िया जानकरी एकत्रित करने,** संदिग्ध गुट के नेताओं को गिरफ्तार करने और कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी कमान केंद्रों को विनष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करना एवं उन्हें हथियारों से लैस करना, ख़ुफ़िया विभाग तथा आतंकवाद-विरोधी संरचनाओं द्वारा आकस्मिक योजनाएं निर्मित करना व आतंकवाद की विभिन्न बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक **सुदृढ़ राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सिद्धांत विकसित करना आदि जैसे अग्रसक्रिय उपाए,** रणनीतिक रूप से लोन वुल्फ आतंकवाद के किसी भी प्रयास को विफल करने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
- संभावित भर्तियों, उनके नेटवर्क और सूचना के स्रोतों, वित्त पोषण एवं नेतृत्व के **कट्टरपंथीकरण** के स्तर को समझने के लिए **बिग डेटा एनालिटिक्स** का उपयोग किया जा सकता है ताकि कट्टरपंथीकरण को निर्मूल किया जा सके।

VISION IAS

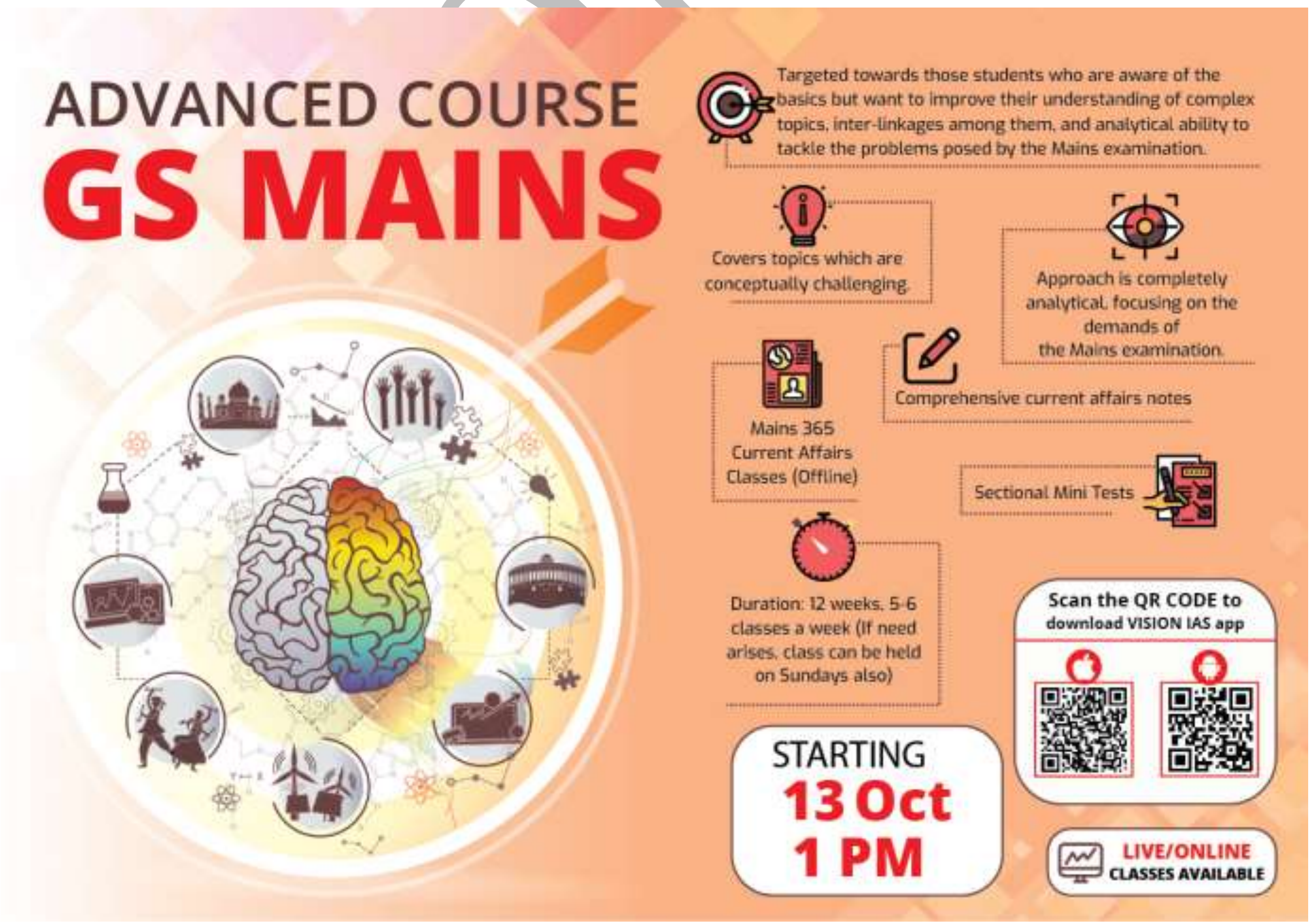

5. पूर्वोत्तर में विद्रोह (Insurgency in the Northeast)

परिचय

भारत में नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य गठन की प्रक्रिया के दौरान और उसके पश्चात् कई नृजातीय अलगाववादी विद्रोह हुए हैं।

इस क्षेत्र में व्याप्त संघर्ष के कारण

- **राष्ट्रीयता:** इसमें विशिष्ट 'मातृभूमि' की अवधारणा के साथ पृथक राष्ट्र की मांग और इसके पक्षधरों द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने से संबंधित मुद्दे सम्मिलित हैं।
- **नृजातीय कारण:** इसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सदृढ़ प्रभावशाली आदिवासी समूह की बजाए संख्यात्मक रूप से लघु और अल्प प्रभावी आदिवासी समूहों के दावों को समाहित करने संबंधी मुद्दे शामिल हैं। असम में, यह स्थानीय और प्रवासी समुदायों के मध्य तनाव के रूप में भी परिलक्षित होता है।
- **उप-क्षेत्रीय कारण:** इसमें उप-क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता देने की मांग करने वाले आंदोलन शामिल हैं। ये प्रायः राज्य सरकारों या यहां तक कि स्वशासी परिषदों से भी प्रत्यक्ष रूप से संघर्षरत रहते हैं।
- **विकासात्मक मुद्दे:** इस क्षेत्र में निर्धनता, बेरोजगारी, संपर्क की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सुविधाएं, अपने स्वयं के मामलों को शासित करने से संबंधित नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी से वंचना और उपेक्षित किए जाने की भावनाओं ने उग्रवाद को विकसित होने में योगदान दिया है।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने में क्या चुनौतियां हैं?

- **दोहरा उत्तरदायित्व:** उदाहरण के लिए, असम रायफ़ल्स (जो देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है) को भारत-म्यांमार की खुली सीमा की निगरानी करने और विद्रोहों से निपटने संबंधी दोहरे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है।
- **खुली सीमा की रक्षा करना:** यहां दोनों देशों के लोगों को एक-दूसरे के क्षेत्रों में निर्बाध रूप से मुक्त आवागमन की सुविधा प्राप्त है।
- **राजनयिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि** म्यांमार, भूटान आदि भारत के मित्र देश हैं।
- **अन्य राष्ट्र राज्यों द्वारा बाह्य समर्थन:** उदाहरणस्वरूप, पूर्वोत्तर में चीन द्वारा कथित रूप से हथियारों की तस्करी किया जाना।
- **निकायों और संस्थाओं की बहुलता:** पूर्वोत्तर परिषद (NEC), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) और हाल ही में गठित पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच (North East Forum) जैसे निकायों की भूमिकाओं में स्पष्टता की आवश्यकता है।
- **अन्य मुद्दे:** परियोजना कार्यान्वयन में विलंब, धन की कमी आदि।

सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए समग्र रूप से क्या कदम उठाए गए हैं?

- **इन्हें छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण** प्रदान किया गया है। इसमें न केवल जनजातीय विधियों, रीति रिवाज़ों और भूमि अधिकारों को संरक्षित किया गया है, बल्कि जनजातियों को न्यूनतम बाह्य हस्तक्षेप के साथ स्वयं को प्रशासित करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता भी प्रदान की गई है।
- **संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश हेतु अनुमति:** सुरक्षा संबंधी कारणों से कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि, यहां सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश या निवास नहीं कर सकता है।
- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए **एक्ट-ईस्ट नीति** से पूर्वोत्तर क्षेत्र लाभांवित होगा।

VISION

- **अवसंरचनात्मक विकास:**
  - मिज़ोरम के माध्यम से शेष भारत के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए **कलादान बहुविध परियोजना** आरम्भ की गई है।
  - **त्रिपक्षीय राजमार्ग** {मोरेह (मणिपुर)-माण्डले-थाईलैंड}, पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा।
  - **पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना**, भारत में क्षेत्र आधारित सड़क विकास कार्यक्रम है।

और क्या किया जा सकता है?

- **पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern council: NEC) का एक मंच के रूप उपयोग:** NEC में सदस्यों के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं। यह व्यापक स्तर पर सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा के लिए एक साझा मंच प्रदान कर सकती है।
- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित समस्यायों का समाधान करने वाले किसी भी मंच पर नागरिक समाज, विख्यात विद्वानों और अन्य लोगों के साथ पेशेवर व्यक्तियों का व्यापक प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है।
- **पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों की समस्याओं के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना:** पूर्वोत्तर के लिए किसी भी सार्थक नीति का निर्माण करते समय प्रत्येक राज्य और क्षेत्र विशेष की बारीकियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **आर्थिक विकास:** इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने से नए निवेश, उत्पादक संपत्तियों के अधिग्रहण करने के साथ-साथ पर्यटन उद्योग की क्षमता का विकास करने आदि जैसी आर्थिक विकास की गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- **पड़ोसी देशों से होने वाले अवैध आव्रजन से निपटना:** इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु आने वाले लोगों के लिए पहचान पत्र और वर्क परमिट अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।
- इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए चल रही वार्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और ठोस समाधान सुनिश्चित करने के लिए केवल एक समूह को ही नहीं बल्कि सभी हितधारकों को समाविष्ट करना चाहिए।

5.1. नागा शांति वार्ता (Naga Peace Talks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा नागा शांति वार्ता पर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए निर्धारित 31 अक्टूबर की समय सीमा कुछ बिंदुओं पर अस्पष्टता के साथ समाप्त हो गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- **एक पृथक नागा ध्वज** तथा **संविधान** के मुद्दे, सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (इसाक मुइवाह) (NSCN-IM) के मध्य अंतिम समझौते पर सहमति बनने में अवरोधक रहे।
  - अब, NSCN (IM), **पृथक संविधान के बगैर एवं एक सशर्त ध्वज** (जिसका उपयोग केवल गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है) के साथ समझौता करने के लिए सहमत हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया कि नागा समूहों के साथ किसी भी समझौते को संपन्न करने से पूर्व **असम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश सहित सभी हितधारकों** से विधिवत परामर्श किया जाएगा तथा उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा।

नागा संघर्ष और शांति वार्ता का कालानुक्रम

- **वर्ष 1946:** अंगामी झापू फिज़ो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल (NNC) का गठन, जिसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया।
- **वर्ष 1952:** फिज़ो ने भूमिगत नागा संघीय सरकार (NFG) तथा नागा संघीय सेना (NFA) का गठन किया।
- **वर्ष 1958:** भारत सरकार ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए सेना को भेजा तथा सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को अधिनियमित किया।
- **वर्ष 1975:** NNC नेताओं के एक समूह ने शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत NNC और NFG के इस समूह ने हथियार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की।

VISION IAS

- थ्यूइंगालेंग मुइवा (जो उस समय चीन में थे) के नेतृत्व में लगभग 140 सदस्यों के एक समूह ने शिलांग समझौते को अस्वीकृत कर दिया तथा वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया।
- **वर्ष 1988:** NSCN, NSCN (इसाक-मुइवा)/(IM) तथा NSCN (खापलांग)/(K) में विभाजित हो गया।
- **वर्ष 1997:** भारत सरकार ने 80 दौर की वार्ता के पश्चात् **NSCN (IM) के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए।**
- **वर्ष 2015: NSCN-IM, ने नागा संप्रभुता के विचार को त्याग दिया** तथा **"भारतीय संघ के भीतर एक समझौते के लिए सहमत" हो गया।**
- **NSCN (IM) की मांग: एक "ग्रेटर नागालिम",** जिसमें नागालैंड के साथ-साथ "सभी समीपवर्ती नागा अधिवासित क्षेत्र" सम्मिलित होंगे। इसमें असम, अरुणाचल एवं मणिपुर के कई जिले भी शामिल हैं, साथ ही, म्यांमार का एक बड़ा भू-भाग भी इसमें सम्मिलित है।
- **NSCN (K) इस वार्ता का विरोध करता है** तथा उसने हिंसक प्रतिरोध जारी रखे हैं, हालांकि, वर्ष 2017 में खापलांग की मृत्यु के पश्चात् यह कमजोर हुआ है।

नागा शांति वार्ता के मार्ग में अवरोध

- **मांग की प्रकृति:** NSCN (IM), एक पृथक ध्वज एवं संविधान के मुद्दे को शांति वार्ता प्रक्रिया के अभिन्न भाग के रूप में मानता है। इसका कहना है कि, इन मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किए बिना समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।
  - इसके लिए देश की संघीय गतिशीलता में मूलभूत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी।

- **अनुच्छेद 371A का अस्तित्व:** इस **अनुच्छेद में संशोधन चल रही नागा शांति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है** ताकि इस प्रश्न का समाधान किया सके कि नागा लोगों का भूमि एवं संसाधनों पर (धरातल के ऊपर एवं नीचे स्थित) अधिकार है अथवा नहीं?
- **अन्य राज्यों की अखंडता:** यदि समझौते में अन्य राज्यों से भूमि लेने का कोई प्रावधान शामिल किया जाता है, तो भी शायद संबंधित तीन राज्यों अर्थात् मणिपुर, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में से कोई भी राज्य अपनी भूमि का एक इंच भी 'ग्रेटर नागालिम' में जोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
  - मणिपुर में, **मेइती** (इंफाल घाटी में अधिकांश जनसंख्या), नागा एवं कुकी जनजातीय समूह पर्वतीय जनजातीय जिलों में बहुतायत में निवास करते हैं। दशकों से, इन समुदायों ने **नृजातीय मातृभूमि (ethnic homelands) के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मांग** की है।
- **अन्य समूहों द्वारा की जाने वाली समान मांगें:** राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य में लोकतंत्र की भूमिका को कमजोर किया है तथा विभिन्न गुटों एवं संगठनों के अलग-अलग एजेंडे और मांगों के संबंध में आशंकाओं को प्रेरित किया है। सरकार के साथ पहले से ही वार्तारत कूकी समूहों को आशंका है कि नागा समस्या का समाधान उन्हें उनकी कल्पित मातृभूमि से पृथक करेगा।
- क्षेत्र में जारी हिंसा और **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम** की निरंतरता तथा संघर्ष के समग्र प्रबंधन में लोगों के विश्वास की कमी के कारण **स्थिति एवं वार्ताएं और अधिक जटिल** होती जा रही हैं।

आगे की राह

- सरकार को वर्ष 2015 के समझौते में निहित "विशेष व्यवस्था" की **कई व्याख्याओं के कारण उत्पन्न अव्यवस्था** को संबोधित करना चाहिए, विशेष रूप से इस पर कि 'सहभाजित संप्रभुता' (shared sovereignty) का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा।
- सरकार को समय सीमा घोषित करके समाधान निकालने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें नागालैंड राज्य के **आतंरिक एवं बाह्य सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए** तथा सभी को संतुष्ट करने वाली शांतिपूर्ण वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

- **अन्य वर्गों की संवेदनशीलता** को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, उदाहरण के लिए- **कुकी जनजाति** (जो मणिपुर पहाड़ियों में नागाओं के साथ संघर्ष की स्थिति में हैं) द्वारा अपने क्षेत्रों पर नागा प्रभुत्व को स्वीकार करने की संभावना नहीं है।
    - हाल ही में, **नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPGs)** और **कूकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO)** ने पहली बार एक साथ कार्य करने के लिए एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि, इससे पूर्व अपने राजनीतिक मुद्दों के समाधान हेतु वे भारत सरकार के साथ पृथक-पृथक वार्ता में संलग्न थे।
- अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर भी NSCN-IM की ग्रेटर नागालिम की अवधारणा के प्रति सतर्क हैं, क्योंकि इसके कारण उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो सकता है। सरकार और NSCN (IM) को अपने दृष्टिकोण में पूर्णतया पारदर्शी होना चाहिए। साथ ही, किसी भी अंतिम समझौते पर पहुँचने से पूर्व **सभी वास्तविक राजनीतिक संरचनाओं, नागरिक समाज तथा जातीय समूहों को विश्वास में लेना चाहिए।**
- **लोगों के मध्य परस्पर संपर्क** स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की वास्तविक समस्याओं को एक बड़े मंच पर पहुंचाया जा सके। न केवल भारत और पूर्वोत्तर के मध्य, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों के मध्य भी अधिक **पार-सांस्कृतिक खुलेपन (cross-cultural openness)** की आवश्यकता है।

5.2. बोडोलैंड विवाद (The Bodoland Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 {The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967}** के प्रावधानों के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) पर लागू प्रतिबंधों को और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 1986 में गठित NDFB, एक **नृजातीय विद्रोही संगठन** है, जो असम में बोडो नृजातीय समूह के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करता है।
- **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)** के साथ भी इसके घनिष्ठ संबंध हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, NDFB, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है तथा यह अवैध एवं हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है, जैसे- जबरन वसूली, आतंकवाद, भारत विरोधी ताक़तों से सहायता प्राप्त करना, नृजातीय हिंसा, अलगाववादी गतिविधियों में संलग्नता आदि।

बोडोलैंड के बारे में

- यह असम के **बोडो** नामक एक **आदिवासी समुदाय** द्वारा की जाने वाली एक अलग राज्य की मांग को संदर्भित करता है। बोडो समुदाय की संख्या, असम की जनसंख्या का 5-6 प्रतिशत है।
- बोडोलैंड के तहत असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ बैंक के उत्तर में अवस्थित क्षेत्र (भूटान और अरुणाचल प्रदेश के गिरिपाद तक) शामिल हैं।

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council: BTC)

- इसे **बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD)** में 40 से अधिक नीतिगत क्षेत्रों में विधायी, प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- BTAD के अंतर्गत असम के चार जिले **(कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुरी)** शामिल हैं।
- यह **भारतीय संविधान की छठी अनुसूची** के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।

Mains 365 - सुरक्षा

बोडोलैंड विवाद का विकासक्रम

- **1960 और 1970 का दशक:** बोडो-आबादी बहुल क्षेत्रों पर आप्रवासियों द्वारा अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बोडो और अन्य जनजातियों द्वारा **'उदयाचल'** के रूप में एक अलग राज्य की माँग की गई थी। हालाँकि, यह मांग **प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम** (एक राजनीतिक संगठन) के तत्वावधान में उठाई गई थी।
- **फरवरी 1993:** केंद्र, असम सरकार और ABSU द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके पश्चात् **बोडोलैंड स्वायत्त परिषद (Bodoland Autonomous Council: BAC)** का गठन किया गया। हालांकि, समझौते के विभिन्न प्रावधानों को लागू नहीं करने के कारण BAC अपने गठन के उदेश्यों की प्राप्ति में विफल रही।
- **फरवरी 2003:** केंद्र, असम सरकार और BLT के मध्य हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के उपरांत **बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC)** का गठन किया गया तथा BLT को भंग कर दिया गया।
- **वर्ष 2005:** NDFB समूह द्वारा युद्ध-विराम (असम सरकार और केंद्र के साथ) की घोषणा की गई। इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, यह समूह तीन गुटों में विभाजित हो गया। उन गुटों में से एक, NDFB (S) द्वारा हिंसक हमलें किए जाते रहे हैं।
- **वर्ष 2020:** असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए **केंद्र सरकार, असम सरकार** और असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन **नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB)** के मध्य **त्रिपक्षीय समझौते** के रूप में (27 जनवरी 2020 को) **तृतीय बोडो शांति समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वर्तमान बोडो शांति समझौते के प्रमुख परिणाम

- **BTAD में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना:** NDFB के विभिन्न गुटों के 1,615 से अधिक विद्रोहियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया तथा वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो दिनों के भीतर मुख्यधारा में शामिल हो गए।
- **बोडो लोगों की भावनाओं का सम्मान करना:** BTAD, अब **BTR** के रूप में जाना जाएगा। असम से पृथक हुए बिना, **असम राज्य के भीतर बोडो मातृभूमि** को स्वीकार करने के साथ-साथ जिलों से लेकर क्षेत्र तक होने वाले परिवर्तन के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- **सभी की आकांक्षाओं को संतुलित करना:** नए समझौते में BTR की **सीमा का सीमांकन** करने का निर्णय किया गया है। इससे **इस क्षेत्र के बाहर निवास करने वाली जनजाति** के साथ-साथ वर्तमान में इसके भीतर निवास करने वाले गैर-जनजातियों दोनों के **मुद्दों का समाधान करने की अपेक्षा** है।
- **BTC को सशक्त बनाना:** इस समझौते के अंतर्गत BTC को अधिक **विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां** प्रदान की गई हैं तथा इसके लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन प्रस्तावित है।
- **बोडो संस्कृति का संरक्षण और कल्याणकारी उपाय:** इस समझौते के अंतर्गत बोडो परिषद क्षेत्र के बाहर स्थित बोडो बाहुल्य गाँवों के विकास के लिए **'बोडो-कछारी कल्याण परिषद'** की स्थापना की जाएगी।
    - असम सरकार द्वारा देवनागरी लिपि में बोडो भाषा को राज्य में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

स्वतंत्र राज्य की मांग के कारण

- **बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासन:** इसने बोडो समुदाय के सम्मुख निम्नलिखित चुनौतियों को प्रस्तुत किया है-
    - **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** यह उन्हें अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक समुदाय में परिवर्तित कर सकता है।
    - **मतदाता सूची में अवैध आप्रवासियों को शामिल करना:** इसे एक बाहरी समूह को सशक्त बनाने के लिए जानबूझकर किए गए कृत्य के रूप में देखा जाता है, ताकि बोडो अपनी राजनीतिक शक्ति खो दें।
- **विशिष्ट भाषा और संस्कृति की क्षति संबंधी जोखिम:** जबरन आत्मसात कराए जाने के कारण।
- **बढ़ता असंतोष:** हाल के वर्षों में BTAD में अल्पसंख्यक समुदायों के राजनीतिक सशक्तिकरण के कारण।
- **BTC की विफलता:** कमजोर प्रशासनिक संस्थाओं और BTC के सदस्यों की विभाजनकारी राजनीति के कारण भी उनकी असुरक्षा को बढ़ावा मिला है।

आगे की राह

- सरकार को संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर असम में स्थापित स्वायत्त एवं प्रशासनिक प्रभागों को मजबूत करना चाहिए।

- स्थानीय लोगों के लिए **कम्प्यूटरीकृत और पहुंच योग्य भूमि रिकॉर्ड प्रणाली** स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे बाह्य लोगों के कारण उत्पन्न होने वाली भूमि अतिक्रमण की आशंका को समाप्त किया जा सके।
- नृजातीय हिंसा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में राज्य नागरिक प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों दोनों की उपस्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।
- सरकार को इस क्षेत्र के अन्य आर्थिक क्षेत्रों, जैसे- कृषि आधारित उद्योगों के विकास, पर्यटन और जल विद्युत आदि के सुधार के लिए उपाय करना चाहिए।
- उनकी भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

5.3. ब्रू शरणार्थी संकट (Bru Refugee Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 23 वर्षों से चले आ रहे ब्रू-रियांग शरणार्थी संकट को समाप्त करने के लिए एक **चार-पक्षीय समझौते पर केंद्र सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू समुदाय** के नेताओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

इस संकट के बारे में

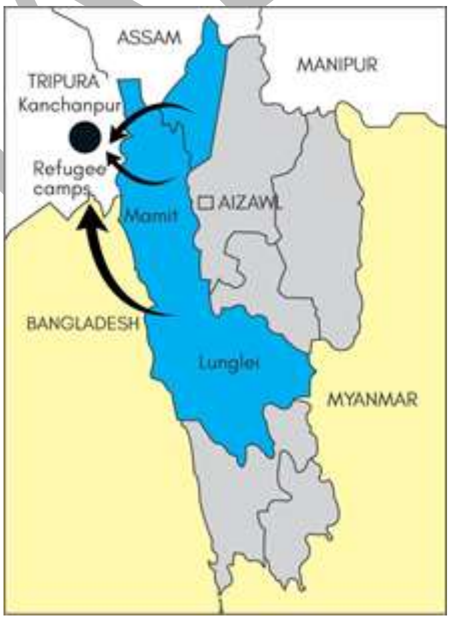

- ब्रू समुदाय, जिसे रियांग (Reang) के रूप में भी जाना जाता है, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ भागों में निवास करने वाला एक जनजातीय समूह है तथा यह मिज़ोरम के मिज़ो से नृजातीय रूप से अलग है।
- मिजोरम के चार जिलों में 40,000 से अधिक ब्रू समुदाय के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में, 30,000 से अधिक **ब्रू समुदाय के लोग त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में निवास** कर रहे हैं। ये लोग वर्ष 1997 में मिजो जनजाति के साथ नृजातीय संघर्ष के पश्चात् मिजोरम से पलायन कर त्रिपुरा आ गए थे।
- ब्रू और मिज़ो दोनों समुदायों के मध्य **प्रथम बार संघर्ष** वर्ष 1995 में आरंभ हुआ, जब मिज़ो संगठनों, यथा- यंग मिज़ो एसोसिएशन एवं मिज़ो स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा मांग की गई कि **ब्रू समुदाय के लोगों को मिजोरम की मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाना चाहिए** क्योंकि वे एक स्थानिक जनजाति नहीं थे।
- ब्रू लोगो ने प्रतिकार करते हुए एक सशस्त्र संगठन, **ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट** तथा एक राजनीतिक निकाय, **ब्रू नेशनल यूनियन** का गठन किया। दोनों ने मिजोरम के ब्रू समुदाय के लिए अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और मिजोरम के पश्चिमी क्षेत्रों में **संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत ब्रू स्वायत्त जिला परिषद के गठन** की मांग की, जहां उनकी जनसांख्यिकी पर्याप्त संख्या में थी। हालाँकि, इन क्षेत्रों में भी मिज़ो समूह बाहुल्य में था।
- वर्ष 1997 में, मिजोरम में एक घटना पर नृजातीय तनाव के पश्चात्, 30,000 से अधिक ब्रू जनजातियों के लगभग 5,000 परिवार राज्य से पलायन करने और त्रिपुरा में शरण लेने के लिए बाध्य हुए, जहां उन्हें **उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर में अस्थायी शिविरों** में रखा गया।

शांति के लिए किए गए प्रयास

- भारत सरकार **वर्ष 2010** से इन **आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रू लोगों** को स्थायी रूप से पुनर्वासित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शरणार्थियों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार दोनों राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2014 तक, 1,622 ब्रू-रियांग परिवार अलग-अलग समूहों में मिजोरम लौट आए।
- जुलाई 2018 को, केंद्र सरकार, दोनों राज्य सरकारों और ब्रू-रियांग शरणार्थियों के प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप इन परिवारों को प्रदत्त सहायता में पर्याप्त वृद्धि की गई।
- इस समझौते के पश्चात् 1,369 व्यक्तियों के 328 परिवार वापस मिजोरम लौट आए। अधिकांश ब्रू-रियांग परिवारों द्वारा निरंतर यह मांग की जाती रही है कि उनकी सुरक्षा से संबंधित आशंकाओं को देखते हुए उन्हें त्रिपुरा में बसने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

वर्तमान समझौते की मुख्य विशेषताएं

- **आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रु समुदाय के लगभग 34,000 लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा** तथा उनके पुनर्वास और सर्वांगीण विकास में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा **लगभग 600 करोड़ रुपये के पैकेज** के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- इन लोगों को राज्य के सामान्य निवासियों को मिलने वाले **सभी अधिकार प्राप्त होंगे** तथा वे अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की **सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ** उठा सकेंगे।
    - त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों को उनके पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी तथा उन्हें **जनजातीय समुदाय का दर्जा प्रदान किया** जाएगा और उन्हें **राज्य की मतदाता सूची** में शामिल किया जाएगा।

कार्यान्वयन में चुनौतियां

- यह संदेहपूर्ण है कि त्रिपुरा में ब्रू लोगों को जो भूखंड आवंटित किया जाना है, क्या उसे त्रिपुरा के मूल जनजातियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- इस समझौते के सम्पन्न होने के पूर्व तक, त्रिपुरा सरकार ब्रू को मिजोरम में वापस भेजने के लिए उत्सुक थी। जबकि **नया समझौता ब्रू समुदाय को त्रिपुरा में ही बसने की अनुमति प्रदान करता है,** ऐसे में ब्रू समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने हेतु त्रिपुरा सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति की अति आवश्यकता होगी।
- मिजोरम में अभी भी निवास कर रहे ब्रू परिवारों को कुछ मिजो नृजातीय संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मुख्य संघर्ष स्थल पर किसी समझौते का लागू नहीं होना एक और पलायन का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष

इस समझौते को पूर्वोत्तर की जनजातियों के मध्य 2 दशक से अधिक समय से चली आ रही नृजातीय अशांति की समस्या के समाधान तथा एक शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के लिए एक निरंतर दृष्टिकोण के रूप में रेखांकित किया गया है। यह आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की समस्या से निपटने के लिए एक मॉडल भी प्रदान करता है।

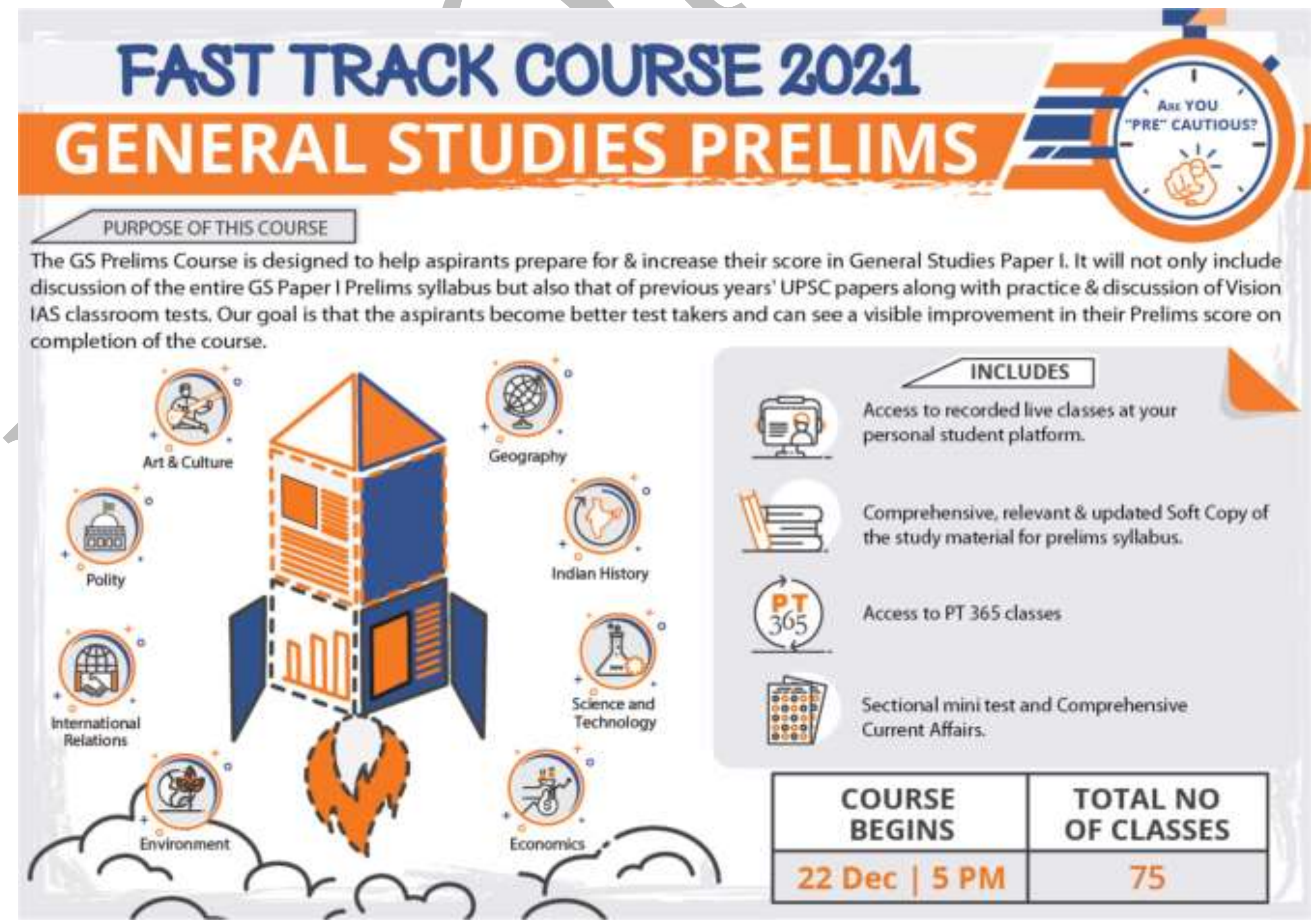

6. पुलिस का आधुनिकीकरण (Police Modernization)

परिचय

पुलिस संगठन मूलतः वर्ष 1861 के पुलिस अधिनियम पर आधारित है। तब से अब तक, पुलिस संगठन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं भी अपराधों की बदलती प्रकृति के साथ जटिल हो गई हैं। इसलिए, पुलिस बल की क्षमता में सुधार करने एवं इसके अधिक लोकतंत्रीकरण करने की मांग ने संस्थान के रूप में पुलिस के प्रगतिशील आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है।

पुलिस बल की कार्यप्रणाली से संबंधित समस्याएं

- **पुलिस बल पर अत्यधिक बोझ: पुलिस बल की औसत संख्या प्रति एक लाख जनसंख्या पर लगभग 137 है,** जो पुलिस हेतु मानक/स्वीकृत संख्या (sanctioned strength) एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित संख्या की तुलना में बहुत कम है। पुलिस हेतु मानक/स्वीकृत संख्या प्रति एक लाख जनसंख्या पर 181 एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित संख्या प्रति एक लाख जनसंख्या पर 222 निर्धारित की गई है।
- **जांच की गुणवत्ता: अपराध के जांच की निम्नस्तरीय गुणवत्ता के कारण** अपराधों के सन्दर्भ में **केवल 47% अपराधियों को ही दोषसिद्ध ठहराया जा सका है (विधि आयोग 2012)।** पुलिस आवश्यक प्रशिक्षण एवं दक्षता अभाव के चलते पेशेवर जांच प्रक्रिया को बनाए रखने में असफल रही है। साथ ही उनके पास कानूनों के विषय में उपलब्ध जानकारी भी अपर्याप्त रही है। इसके अतिरिक्त, फॉरेंसिक एवं साइबर अवसंरचना की अपर्याप्त उपलब्धता भी उनके लिए एक चुनौती है।
- **पुलिस की जवाबदेही:** पुलिस पर राजनेताओं के नियंत्रण के कारण पुलिस कर्मियों के दुरुपयोग एवं उनके अपराधीकरण की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, उनके निर्णय लेने के अधिकार में भी हस्तक्षेप होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रकाश सिंह वाद** में दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।
- **पुलिसकर्मियों की क्षमता के उन्नयन की आवश्यकता:** अधिकतर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कॉन्स्टेबल रैंक (86%) पर होती है। जहां उनको निम्नस्तरीय और अपर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध हो पाता है। इससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का बेहतर प्रबंधन कठिन हो जाता है। अत्यधिक तनाव, काम की दीर्घ अवधि, पारिवारिक समस्याएं या कड़ी मेहनत तथा कम पारितोष वाली कार्यप्रकृति आदि के कारण पुलिसकर्मियों के मध्य आत्महत्या की प्रवृत्ति और सहकर्मियों के साथ विवाद संबंधी घटनाओं को बढ़ावा मिला है।
- **अवसंरचना का अभाव:**
    - **नई अवसंरचनाओं जैसे गाड़ियों की खरीदारी में अत्यधिक विलंब।**
    - **फॉरेंसिक लैब एवं फिंगरप्रिंट ब्यूरो जैसी मूलभूत सुविधाओं** की अनुपलब्धता।
    - अधिकतर राज्यों की **प्रशिक्षण अकादमियों** में उन्नत अवसंरचना का अभाव है। साथ ही, पुलिस प्रशिक्षण में आधुनिक उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का अत्यल्प प्रयोग किया जाता है।
- **पुलिस का आम लोगों से संबंध:** आम लोगों के बीच पुलिस को लेकर यह धारणा बनी हुई है कि पुलिस, संकट/समस्याओं को दूर करने की बजाय समस्याओं को बढ़ाने में सहयोगी रही है। हालांकि इन चुनौतियों के समाधान की दिशा में सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल सहयोगी हो सकता है। कई राज्यों ने इस दिशा में ऐसे पहलों को कार्यान्वित किया है, जैसे- केरल में **'जनमैत्री सुरक्षा परियोजना'**, राजस्थान में **'संयुक्त गश्त समितियां'**, असम में **'मीरा पैबी'**, महाराष्ट्र में **'मोहल्ला समितियां'** आदि।

सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के कई प्रयास किए गए हैं। इनमें **राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-81, रिबेरो समिति 1988, पद्मनाभैया समिति 2000, मलिमथ समिति 2002-03, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय का निर्णय 2006 एवं पुलिस अधिनियम प्रारूप समिति II 2015** सम्मिलित हैं।

VISION IAS

प्रकाश सिंह वाद में जारी दिशा-निर्देश

- **वर्ष 2006 के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस संगठन के लिए निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना हेतु निर्देश दिए थे:**
  1. **राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission: SSC) का गठन-** ताकि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न बना पाए।
  2. **पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board: PEB) का गठन- पुलिस उप-अधीक्षक** की रैंक और उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों के निर्णय करने के लिए।
  3. **पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority: PCA) की स्थापना-** गंभीर दुराचार के मामलों में पुलिस उपाधीक्षक और प्रवर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए।
  4. **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (National Security Commission: NSC):** केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन करने के लिए केंद्र स्तर पर एक NSC की स्थापना करना।
- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए सूची में सम्मिलित राज्य के **तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से पुलिस महानिदेशक (DGP) का चयन** किया जाना चाहिए और उनका कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष निर्धारित कर देना चाहिए।
- फील्ड में अहम पदों पर तैनात अधिकारियों (महानिरीक्षक प्रभारी, थानाध्यक्ष) का **कार्यकाल दो वर्ष किया जाना चाहिए।**
- जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए, **जांच करने वाली पुलिस को कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस से अलग किया जाना चाहिए।**

हाल ही में पुलिस सुधार की दिशा में की गईं पहलें

- **पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना:** यह योजना सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों, पुलिस हाउसिंग (आवासीय) के निर्माण और आवश्यक गतिशीलता, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण तथा फोरेंसिक सेट-अप आदि के साथ पुलिस स्टेशनों को सुसज्जित करके पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- **प्रशासनिक परिवर्तन:** प्रशासनिक दृष्टिकोण से, विभिन्न राज्यों में **कानून और व्यवस्था से जांच प्रक्रिया को पृथक करने** तथा सामाजिक एवं साइबर अपराधों के लिए **विशेषीकृत विंग के निर्माण सहित विविध परिवर्तन** सम्पादित किए गए हैं।
- **तकनीकी सुधार:** नियंत्रण कक्ष के आधुनिकीकरण, त्वरित ट्रैकिंग **अर्थात् क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS), नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID)** को आगे बढ़ाना और पुलिसिंग में नव प्रौद्योगिकियों को शामिल करने पर बल देने सहित विभिन्न तकनीकी सुधार किए गए हैं।
- **जहां संभव हो, वहां कमिश्नरी प्रणाली को अपनाने पर बल देना:** हाल ही में, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दो शहरों, लखनऊ एवं नोएडा के लिए कमिश्नर प्रणाली को कार्यान्वित करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे, वहां के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी।

दोहरी प्रणाली	कमिश्नरी प्रणाली
जिला पुलिस में दोहरी कमान संरचना से तात्पर्य यह है कि, जिले में पुलिस पर नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार **पुलिस अधीक्षक (जिला पुलिस के प्रमुख) और जिलाधिकारी (कार्यकारी)** में निहित होता है।	शहर में पुलिस बल के एकमात्र प्रमुख के रूप में **पुलिस आयुक्त** {जो कि उप महानिरीक्षक (DIG) या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होता है} के नेतृत्व में **एकीकृत कमान संरचना।**
इस व्यवस्था में जिलाधिकारी की शक्तियों (उदाहरणार्थ- गिरफ्तारी वारंट और लाइसेंस जारी करना) और पुलिस	इस प्रणाली में **पुलिस विभाग (policing) और दाण्डिक शक्तियां**

की शक्तियों (उदाहरणार्थ- अपराधों की जांच करना और गिरफ्तारी करना) का पृथक्करण होता है। अतः, **जिला स्तर पर पुलिस के पास शक्तियों का संकेद्रण कम होता है तथा जिलाधिकारी (DM) के प्रति उनकी जवाबदेही भी होती है।**	**आयुक्त में निहित होती हैं,** जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। पुलिस की स्थानीय प्रशासन के प्रति जवाबदेही कम होती है। • यह प्रणाली एक एकीकृत कमांड संरचना प्रदान करती है जो त्वरित निर्णय निर्माण में सहायक होती है। • **यह प्रणाली जिलाधिकारी के कार्यभार को कम करती है।**

- **नेटग्रिड अथवा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID):** नेटग्रिड, गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह एक एकीकृत खुफ़िया ग्रिड है जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को संयोजित या एकीकृत करता है। इसे **वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के पश्चात् प्रस्तावित किया गया** था।
    - नेटग्रिड खुफ़िया संवाद या सूचना को एकत्र करने में अधिक प्रभावी है। यह खुफ़िया अलर्ट के सम्पूर्ण डेटा को बनाए रखने, वास्तविक समय में आंकड़े उपलब्ध कराने तथा सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नए उभरते खतरों (जैसे- कट्टरता संबंधी मामलें) के समाधान में मदद करता है।

स्मार्ट पुलिसिंग क्या है?

- स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा गुवाहाटी में आयोजित DGP/IGP सम्मेलन, 2014 में प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त की गई थी।
- व्यापक रूप से, स्मार्ट पुलिसिंग में अपराध की **रोकथाम एवं नियंत्रण** हेतु **साक्ष्य-आधारित** और **आंकड़ा-संचालित** पुलिसिंग प्रथाओं, रणनीतियों तथा कार्यनीतियों के अनुप्रयोग को समाविष्ट करने वाले हस्तक्षेप सम्मिलित हैं।

स्मार्ट पुलिसिंग के लाभ

- यह पुलिस की सतर्कता और सार्वजनिक संलग्नता में वृद्धि के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम द्वारा **अग्र-सक्रिय पुलिसिंग को बढ़ावा** देती है।
- स्मार्ट पुलिसिंग, पुलिस परिचालन के एक **व्यापक प्रणालीगत और रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित** करती है।
- **यह परिणामों** अर्थात् लागत प्रभावी तरीके से अपराधों में कमी एवं समुदायों की सुरक्षा **पर ध्यान केंद्रण को प्रोत्साहित करती है।**
- स्मार्ट पुलिसिंग प्रतिमान, **सूचना और संचार प्रणालियों के एकीकरण तथा अन्तर्संचालनीयता (interoperability) को बढ़ावा देता है।**
- यह पहल **नागरिक अधिकारों की रक्षा करने और पुलिस बल को अधिक नागरिक अनुकूल बनाने** में सहायता करती है।

‘SMART’

S - Strict and Sensitive (मजबूत और संवेदनशील)

M - Modern and Mobile (आधुनिक और गतिशील)

A - Alert and Accountable (सतर्क और जवाबदेह)

R - Reliable and Responsive (विश्वसनीय और उत्तरदायी)

T - Techno-savvy and Trained (तकनीकी-कुशल और प्रशिक्षित)

6.1. कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस की तत्परता (Police Preparedness During Covid-19 Pandemic)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 के कारण विद्यमान स्वास्थ्य संकट ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन और आर्थिक विपत्तियों के साथ कानून और व्यवस्था के समक्ष एक कठिन चुनौती उत्पन्न की है। इसलिए, पुलिस इस महामारी का सामना करने के लिए अग्रिम पंक्ति के उत्तरदाताओं में से एक है, जिसे अपने निर्धारित कर्तव्यों के निष्पादन के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट कृत्यों का संपादन भी करना पड़ता है।

VISION IAS

महामारी के दौरान पुलिस की परिवर्तित भूमिका

सामान्यतः, पुलिस को एक राज्य इकाई के रूप में देखा जाता है जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा और सामुदायिक सुरक्षा को बनाए रखने की शक्ति प्राप्त है। हालाँकि, इस महामारी ने मानव सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा (स्वच्छता) के अन्य पहलुओं में शामिल होने के लिए पुलिस की आवश्यकता को अपरिहार्य और तीव्र कर दिया है। विशेष रूप से, महामारी के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है:

- **निगरानी और प्रवर्तन:**
  - इस दौरान पुलिस को अस्थायी क्वारंटाइन व होम क्वारंटाइन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन कराने का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ा। उदाहरण के लिए, कासरगोड पुलिस ने 'ट्रिपल-लॉक' (triple-lock) रणनीति का अनुपालन किया है। इस रणनीति में पुलिस ने लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित करने के लिए बैरिकेड्स लगाना, मानव निगरानी और ऐप-आधारित ट्रेसिंग तथा आवश्यक वस्तुओं एवं दवाओं के वितरण जैसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया है।
  - पुलिस ने प्रभावित लोगों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) निकलवाकर और अन्य साइबर फोरेंसिक उपकरणों की सहायता से प्रभावित व्यक्तियों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाकर इस महामारी के प्रसार को रोकने में सहायता की है।
- **जन जागरूकता:** सोशल मीडिया, स्पीकर्स जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सूचना का प्रसार करना और मिथ्या सूचना (misinformation) के प्रसार को रोकना। उदाहरण के लिए, जागरूकता का प्रचार करने और स्वच्छता के महत्व को दर्शाने के लिए सड़कों पर चित्रकारी या कोरोनावायरस के आकार के हेलमेट का उपयोग किया गया था।
- **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:**
  - आपूर्ति के निर्बाध संचालन हेतु ई-पास जारी करना।
  - अंतिम गंतव्य तक वितरण की सुविधा प्रदान करने हेतु पुलिस नियंत्रण कक्ष (police control room: PCR) वैन का उपयोग करना।
- **प्रवासी:**
  - फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को सामुदायिक स्थलों तथा आश्रय गृहों के रूप में परिवर्तित सरकारी विद्यालयों तक ले जाने में स्थानीय प्राधिकरणों की सहायता करना।
  - खाद्य पदार्थों का वितरण, परिवहन वाहनों को निस्संक्रामक करना, स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना इत्यादि।
- **उद्योगों को पुन: आरंभ करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था:**
  - निर्माण, कृषि या विनिर्माण जैसे सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों को पुनः आरम्भ करने के दौरान सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना।
  - कार्य स्थलों पर इष्ट संख्या जाँच (स्पॉट चेकिंग) में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करना तथा स्थलों पर कार्यों के पुन: संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता को प्रबंधित करने के लिए आरक्षित बल, होम गार्ड्स, नेशनल कैडेट कोर तथा अन्य रक्षा या पुलिस बलों के समर्थन को सहयोग प्रदान करना।
- **पुलिस स्वास्थ्य:** वृद्ध कर्मियों को अग्रपंक्ति से दूर रखना, आवर्तनशील (रोटेशनल) शिफ्ट की योजना बनाना, रोगी कर्मियों को क्वारंटाइन में बनाए रखना। साथ ही, मास्क, दस्ताने एवं हैंड सैनिटाइज़र सहित पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की खरीद करना और उनका रखरखाव करना।
- **संगठनात्मक संरचना:**
  - **नोडल प्राधिकरण:** 24x7 शिफ्ट में पर्याप्त दल रखना, अन्य विभागों के साथ समन्वय करना, बेहतर दृश्य चित्रण (visualisation) के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना आदि।
  - **आंतरिक संचार:** ब्रीफिंग (पत्रसार) और डिब्रीफिंग सत्रों का संचालन करना, रिकॉर्ड किए गए संदेशों का उपयोग करना और अग्रपंक्ति के अधिकारियों को नियमित रूप से नवीनतम आदेशों और उसके कार्यान्वयन के बारे में सूचित करना।

- **अग्रसक्रिय सामुदायिक पुलिसिंग:**
  - निवासी कल्याण संघों और पंचायतों के साथ समन्वय करना।
  - सूचना प्रदायगी और आवश्यक सेवाओं व किराने के सामान की घर तक आपूर्ति करके वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना।
- **अपराध:**
  - नियमित अपराध की रोकथाम और जांच कर्तव्यों के लिए कुछ कर्मियों की उपलब्धता को बनाए रखना तथा अपराध की परिवर्तित प्रकृति एवं तीव्रता पर प्रतिक्रिया करना। उदाहरण के लिए, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है।
  - साइबर अपराध प्रकोष्ठ के माध्यम से सोशल मीडिया की सक्रिय निगरानी करना तथा साइबर अपराधों (जिसमें अफ़वाह फैलाना, साइबर बुलिंग, हेट स्पीच और फेक न्यूज़ शामिल हैं) की रिपोर्ट करने व उन्हें रोकने के लिए नागरिक आधारित अभियान का संचालन करना।
- **कारागार और किशोर सुधार गृह:**
  - हिरासत में लिए गए लोगों के मध्य संक्रमण के प्रसार की निगरानी करना और उनके मध्य स्वच्छता व सोशल डिस्टैन्सिंग से संबंधित जागरूकता का प्रसार करना।
  - विधिवक्ताओं के साथ वीडियो कॉल की व्यवस्था करना।
  - विचाराधीन (undertrials)/ चुनिंदा कैदियों को पैरोल या जमानत पर रिहा करना।
  - गौण अपराधों के लिए गिरफ्तारी जैसी प्रक्रियाओं में कमी करना।

पुलिस द्वारा अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **स्टाफिंग:** यदि बल के सदस्यों या उनके परिवारों में व्यापक पैमाने पर वायरस प्रसारित होता है, तो बल की उपलब्ध कार्मिक संख्या में काफी गिरावट हो सकती है, जो पहले से ही वांछनीय स्तरों से बहुत कम है।
- **संसाधनों/उपकरणों का अभाव:**
  - उन्हें या तो शून्य या अत्यल्प सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं तथा वे कई दिनों तक अवमानक (substandard) मास्क का ही प्रयोग करते हैं।
  - **आधारभूत अवसंरचना** (विशेष रूप से पुलिस प्रतिक्रिया वाहनों) को आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ सुसज्जित नहीं किया गया है।
- **प्रशिक्षण का अभाव:**
  - स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, विगत पांच वर्षों में, औसतन **केवल 6.4% पुलिस बल को ही सेवा के दौरान प्रशिक्षण (in-service training) प्रदान** किया गया है। महामारी के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में शामिल अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स और जोखिमों को देखते हुए, यह प्रशिक्षण अत्यधिक अपर्याप्त है।
  - पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए आवश्यक कठोर एवं उदार कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, परन्तु मानसिक आघात से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति अनुक्रिया में उनमें अनुभवहीनता विद्यमान है।
- **नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए व्यापक जन अस्वीकृति** उनके कार्य को और भी कठिन बना रही है।
- महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने हेतु विभिन्न पुलिस विभागों में एक मानक परिचालन प्रक्रिया का अभाव है। उदाहरण के लिए: कोविड-19 के कारण शवों के निपटान और प्रबंधन को लेकर अधिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

आगे की राह

- **वित्त:** पुलिस के वित्त-पोषण में किसी भी प्रकार की कमी के निवारणार्थ स्वतंत्र निरीक्षण के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन (special purpose vehicle) के माध्यम से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (corporate social responsibility) साधन द्वारा निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

VISION IAS

- **घरेलू और लैंगिक हिंसा एवं बाल शोषण:** ऐसे मामलों से निपटने के लिए स्थानीय आसूचना नेटवर्क का निर्माण करना; हेल्पलाइन नंबरों पर सक्रिय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना तथा NGOs और चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ परामर्श समर्थन भी आवश्यक है।
- **पुलिस द्वारा की गई मनमानी (high-handedness) को संज्ञान में लेना:** इस पथभ्रष्टता के निवारण हेतु अधिक पेशेवर मानक व्यवस्था, व्यवहारिक और नैतिक मानक मुख्य विचारधारा और प्रशिक्षण इनपुट की आवश्यकता है।
- **लोक विश्वास प्राप्त करना:** महामारी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अंतर्गत और उनके मध्य कार्य करने एवं साझेदारी के अधिक सहयोगी उपायों की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रवर्तित करने वाले अधिक समावेशी दृष्टिकोण की ओर अग्रेसित है।

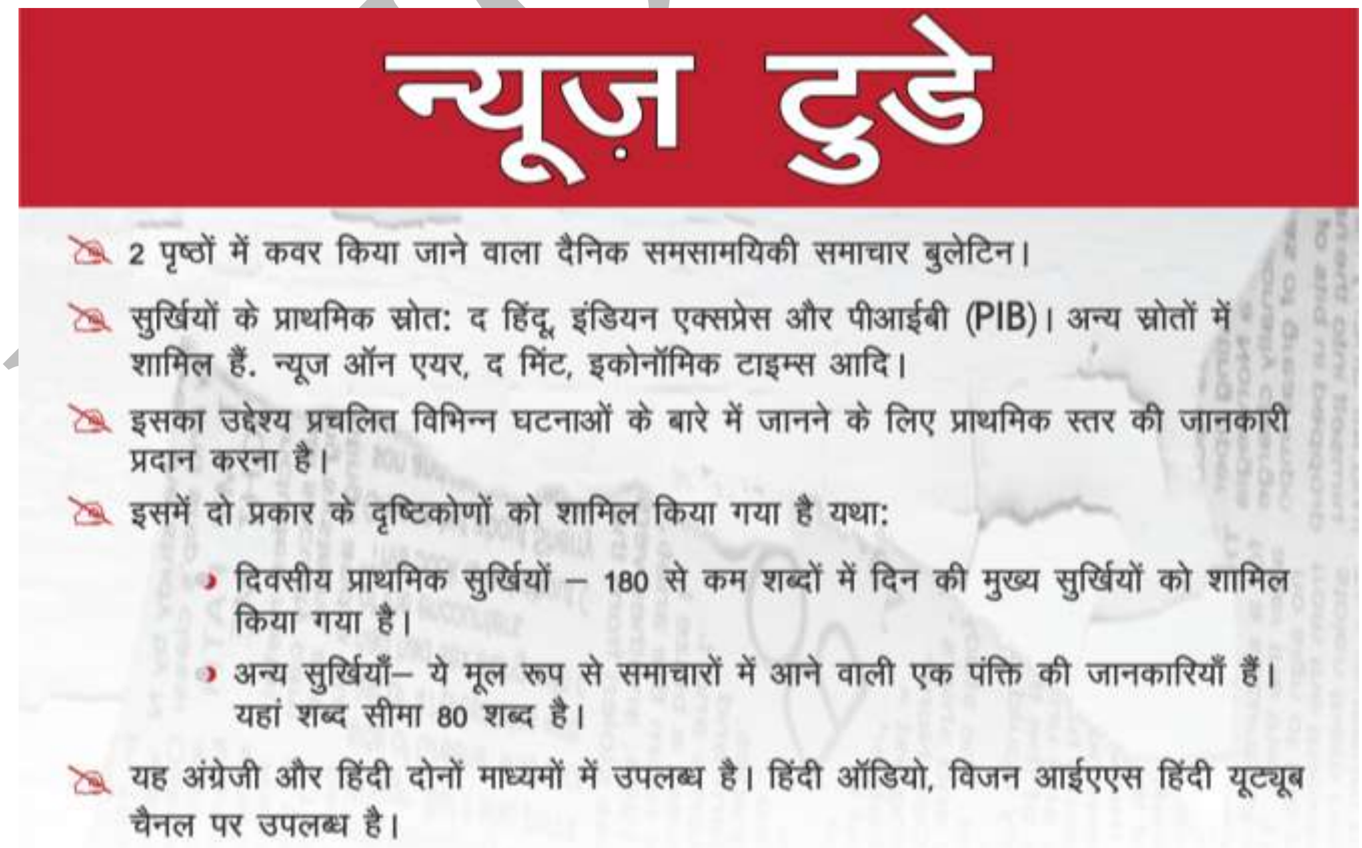

VISION IAS

7. सैन्य आधुनिकीकरण (Military Modernization)

7.1. रक्षा उत्पादन (Defence Production)

परिचय

भारत, परंपरागत रक्षा संबंधी उपकरणों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है और अपने कुल रक्षा बजट का लगभग 30% पूंजीगत अधिग्रहण पर व्यय करता है। इसे देखते हुए रक्षा उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत में रक्षा उत्पादन की वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2015-19 के दौरान भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आयातक** देश रहा है तथा रूस इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है।
  - यद्यपि, भारतीय शस्त्र बाजार में **रूस की हिस्सेदारी 72% से घटकर 56% रह गई** है।
- ऐसा अनुमान है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आगामी पांच वर्षों में रक्षा खरीद पर लगभग 130 बिलियन डॉलर का व्यय किया जा सकता है। कुल रक्षा खरीद में घरेलू खरीद का हिस्सा लगभग **60 प्रतिशत है।**
- भारत के रक्षा उद्योग का आकार **80,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।** इसमें **सार्वजनिक क्षेत्रक** का योगदान **63,000 करोड़ रुपये** अनुमानित है। ज्ञातव्य है कि विगत कुछ वर्षों में **निजी क्षेत्रक** की हिस्सेदारी लगातार बढ़कर **17,000 करोड़ रुपये** हो गई है।
- **रक्षा निर्यात:** वर्ष 2018-19 में रक्षा निर्यात 10,745 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2016-17 के पश्चात् से इसमें 700 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत 40 से अधिक देशों को शस्त्र एवं अन्य रक्षा उत्पादों का निर्यात करता है।
- रक्षा उद्योग को **8,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के सुदृढ़ आधार का समर्थन प्राप्त है।** MSMEs रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ता और व्यवसायिकता प्रदान करते हैं।

रक्षा उत्पादन के सुधार में व्याप्त चुनौतियाँ

- **रक्षा उत्पादों के डिज़ाइन और संबद्ध विकास क्षमताओं की अनुपस्थिति** के कारण रक्षा प्रौद्योगिकी से संबद्ध डिज़ाइन अधिकारों और पेटेंट का अभाव विद्यमान है।
- उपर्युक्त आंकड़ों से **निजी क्षेत्रकों की सीमित भागीदारी** परिलक्षित होती है।
- **उद्योग, शिक्षा एवं रक्षा क्षेत्र के मध्य परस्पर संपर्क के अभाव** के कारण औद्योगिक क्षमताओं और शैक्षिक अनुसंधानों तथा रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित होने में बाधा उत्पन्न होती है।
- रक्षा खरीद एक **अत्यधिक विशिष्ट गतिविधि है।** इसमें विकास और उत्पादन के समय क्रम का **पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है,** जो अत्यंत कठिन कार्य है।
- **भारत का रक्षा निर्यात बाजार** इसके घरेलू उद्योग के आकार की तुलना में **बहुत सीमित है।**

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की भूमिका

- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की भूमिका बहुत सीमित है। **(भारत में कुल रक्षा उत्पादन में लगभग 23%)**
- **निजी क्षेत्रक की बढ़ी हुई भागीदारी से लाभ की संभावना:**
  - सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को दोगुना और निर्यात को चौगुना करना है। यह संभवतः निजी क्षेत्रक के **निवेश एवं उत्पादन क्षमता के बिना संभव नहीं है।**
  - निजी क्षेत्रक के सम्मिलित होने से **व्यापक संख्या में मानव संसाधन भी प्राप्त होगा।**
  - रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से **संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे निर्यात में वृद्धि,**

रोज़गार का सृजन तथा रक्षा संबंधी उत्पादन के लिए सहायक उद्योगों का भी सृजन होगा।
- हाल के दिनों में, **निजी क्षेत्रक ने विदेशी कंपनियों/उत्पादन सुविधाओं के अधिग्रहण** एवं प्रमुख वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ **संयुक्त उद्यम स्थापित** करके सार्वजनिक क्षेत्रक की तुलना में **अधिक सक्रियता प्रदर्शित की है।**

- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी के समक्ष वर्तमान बाधाएं:**
  - **आय से संबंधित अत्यधिक जोखिम होने** तथा **रक्षा निर्माण सुविधाओं के अत्यधिक पूँजी एवं तकनीक गहन** होने के कारण निजी क्षेत्रक के कर्ता रक्षा बाजार में प्रवेश करने से बचते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **उत्पादन में आकारिक मितव्ययिता के अभाव** के साथ-साथ निवेश के लिए पूर्व उत्पादन अवधि का लंबा होना, आदेशों के अनियमित प्रवाह तथा कठोर नीति/कर प्रणाली से निजी क्षेत्रक के कर्ता अधिक हतोत्साहित होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **सरकार का झुकाव सार्वजनिक क्षेत्रक की इकाइयों के प्रति अधिक है,** क्योंकि उनके पास व्यापक अवसंरचना, नामनिर्देशन संबंधी आदेश, निवेश, एवं तकनीकी सहभागिता में सरकारी सहायता उपलब्ध होती है। इस कारण निजी क्षेत्रक को समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं।

7.1.1. प्रारूप रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020 {Draft Defence Production and Export Promotion Policy (DPEPP) 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020 का प्रारूप प्रस्तावित किया है। इसका लक्ष्य भारत के रक्षा उत्पादन को आगामी पांच वर्षों में दोगुना करना है।

इस नीति के साथ प्रारंभ की गईं अन्य पहलें

नौसेना नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण संगठन (Naval Innovation and Indigenisation Organisation: NIIO)

- NIIO रक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के लिए **नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण को प्रेरित करने की दिशा में शिक्षा क्षेत्र और उद्योग के साथ परस्पर संवाद हेतु अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए समर्पित संरचनाओं का निर्माण** करेगा।
- इस अवसर पर **'स्वाबलंबन'** नाम से भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण परिप्रेक्ष्य योजना की भी शुरुआत की गयी।

सृजन (SRIJAN)

- यह एक **'वन स्टॉप शॉप' ऑनलाइन पोर्टल** है तथा यह वेंडर्स (कंपनियों) को ऐसे सामानों की जानकारी प्रदान करता है, जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है।
- 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली ऐसी 3,000 विशिष्ट वस्तुएँ हैं, जो इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं।

एक प्रभावी रक्षा नीति की आवश्यकता

- श्रेष्ठ उत्पादों के साथ सैन्य बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एयरोस्पेस एवं नौसैनिक पोत निर्माण उद्योग सहित एक **गतिमान, सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग का विकास करना।**
- घरेलू डिज़ाइन और विकास के माध्यम से **आयात निर्भरता को कम करना** तथा **"मेक इन इंडिया"** पहल को आगे बढ़ाना।
- **रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना** तथा वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना।
- **ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता हो,** नवोन्मेष को पुरस्कृत करता हो, भारतीय बौद्धिक सम्पदा स्वामित्व की रचना करता हो तथा एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देता हो।

इस नीति में घोषित प्रमुख दिशा-निर्देश

- **खरीद/प्रापण सुधार (Procurement Reforms):** इसमें सम्मिलित हैं:
  - **परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit):** अधिग्रहण प्रकिया को समर्थन और अनुबंधों के प्रबंधन को सुविधा प्रदान करने के लिए।

VISION IAS

- **प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ (Technology Assessment Cell: TAC):** इसके द्वारा देश की सभी प्रमुख प्रणालियों/ प्लेटफार्मों के लिए **प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों (Technology Readiness Levels: TRLs)** का आकलन किया जाएगा।

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)/ स्टार्ट-अप्स को सहयोग:**
  - **आयात प्रतिस्थापन हेतु** MSMEs/ स्टार्ट-अप्स/ उद्योग को विकासात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए **उद्योगों से आंतरिक रूप से संबद्ध एक स्वदेशी पोर्टल की स्थापना करना।**
  - **रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production)** में **रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (Defence Investor Cell),** समस्याओं को हल करने के लिए MSMEs के साथ-साथ निवेशकों और विक्रेताओं को प्रारंभिक सहायता प्रदान करेगा।
- **निवेश को बढ़ावा देना और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करना: एयरो इंजन कॉम्प्लेक्स** के विकास, **मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और समाग्री (Critical Technologies & Materials)** जैसे कुछ निर्दिष्ट खंडों (segments) एवं तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए **निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।**
- **नवोन्मेष तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D): रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** सेनाओं के साथ विचार-विमर्श करके तथा अन्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अवस्थापनाओं के साथ मिलकर चयनित क्षेत्रों में मिशनों की स्थापना करेगा, **जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक और उपयोगी प्रणालियों/ प्लेटफॉर्म्स/ समाग्रियों को विकसित करना है।**
- **रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (Defence Public Sector Undertakings: DPSUs) और आयुध फैक्ट्रियों में सुधार करना:** रक्षा पारितंत्र में DPSUs को प्रणाली को व्यवस्थित करने वाले के रूप में व्यक्त करना और आयुध कारखानों के निगमीकरण को बढ़ावा देना।
- **गुणवत्ता आश्वासन एवं परीक्षण अवसंरचना:**
  - **रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (Defence Testing Infrastructure Scheme: DTIS)** के माध्यम से परीक्षण अवसंरचना का सृजन करना।
- **निर्यात प्रोत्साहन:** रक्षा निर्यात को बढ़ावा प्रदान करने हेतु **निर्यात प्रोत्साहन प्रकोष्ठ (Export Promotion Cell)** की स्थापना करना तथा एक **ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL) व्यवस्था** का निर्माण करना।

संबंधित तथ्य

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (Defence Testing Infrastructure Scheme: DTIS)

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने **रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण** के लिए परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपये के व्यय से DTIS के शुभारंभ को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- इसका उद्देश्य **MSMEs और स्टार्ट-अप्स** की भागीदारी पर विशेष ध्यान देते हुए **स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा** देना है।
- इस योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित हेतु परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गयी है: ड्रोन और मानवरहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs), रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार उपकरण, रबर परीक्षण, ध्वनि और विक्षोभ (shock) परीक्षण, विशेषीकृत ड्राइविंग ट्रैक्स, बैलिस्टिक और ब्लास्ट परीक्षण, पर्यावरणीय परिक्षण सुविधाएं आदि।

7.2. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 {Defence Acquisition Procedure (DAP), 2020)} का अनावरण किया गया। इसे पहले 'रक्षा खरीद प्रक्रिया' (Defence Procurement Procedure: DPP) के नाम से जाना जाता था।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 को **आत्मनिर्भर भारत अभियान** तथा **"मेक इन इंडिया"** पहल के साथ संरेखित किया गया है। इसे भारत को वैश्विक विनिर्माण हब (केंद्र) के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
- यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गई है और यह वर्ष **2016 की रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) को प्रतिस्थापित** करेगी।
  - **प्रथम DPP को वर्ष 2002** में जारी किया गया था और तब से इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है ताकि घरेलू उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके।
- इससे पूर्व अगस्त 2019 में, रक्षा मंत्रालय ने DAP-2020 के मसौदे को तैयार करने हेतु **अपूर्व चंद्र** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

इस नीति का महत्व

- **आयात पर निर्भरता कम होगी:** भारत विश्व के शीर्ष रक्षा उपकरण खरीदारों में से एक है, जो विभिन्न अनुमानों के अनुसार इन पर प्रति वर्ष अरबों डॉलर व्यय करता है।
- **समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्राप्त होगा:** रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रूपये के टर्न ओवर को प्राप्त करना है। ज्ञातव्य है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की पहचान समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले एक क्षेत्रक के रूप में की गई है।
- **सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा:** DAP, 2020 सशस्त्र बलों की भविष्य की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करेगी और नई प्रौद्योगिकियों के समावेशन को सुविधाजनक बनाएगी।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका परिभाषित करेगी:** विनिर्माण के माध्यम से औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने और पूंजीगत एवं प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए "मेक इन इंडिया" पहल में निजी निवेश का प्रमुख योगदान होगा।
- DAP आवंटित बजट संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों और प्लेटफार्मों की समय पर अधिग्रहण/खरीद सुनिश्चित करेगी।
- **जटिल और विशिष्ट निर्णयन की स्थिति में सहायक:** रक्षा अधिग्रहण में कुछ विशिष्ट जटिलताएँ शामिल होती हैं, जैसे कि आपूर्तिकर्ताओं का अभाव, तकनीकी जटिलता, विदेशी आपूर्तिकर्ता, उच्च लागत, विदेशी मुद्रा संबंधी निहितार्थ, भू-राजनीतिक प्रभाव आदि। ऐसे में DAP, 2020 के अमल में आने से इनसे बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा।
- **सुव्यवस्थित और सरलीकृत प्रक्रिया:** DAP, 2020 में त्वरित निर्णयन प्रक्रिया पर बल देते हुए उचित समय सीमा में रक्षा खरीद की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही गयी है। इसमें खरीद प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को शक्तियों का हस्तांतरण कर उन्हें सशक्त किया गया है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 के प्रमुख बिंदु

- **ऑफसेट नीति में संशोधन:** सशस्त्र बलों के लिए हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों की खरीद हेतु किए जाने वाले अंतर-सरकारी समझौतों (Inter-Government Agreement: IGAs), गवर्नमेंट-टू गवर्नमेंट समझौतों (सरकारों के परस्पर रक्षा सौदे) और एकल-विक्रेता अनुबंध (single-vendor contracts) के संदर्भ में मौजूदा **ऑफसेट खंड का लोप** कर 15 वर्ष पुरानी नीति को परिवर्तित किया गया है।
  - ऑफसेट नीति के तहत विदेशी रक्षा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे रक्षा उपकरणों के घटकों (पार्ट्स) की खरीद अथवा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण या अनुसंधान और विकास सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से **भारत में कुल अनुबंध मूल्य का कम से कम 30% व्यय करेंगी।**
- **आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों/ प्लेटफॉर्मों की एक सूची जारी की गई है।** DAP, 2020 के जारी होने के बाद अब इस सूची के तहत प्रतिबंधित हथियारों/ प्लेटफॉर्मों का आयात नहीं किया जा सकता है।
- **आयातित पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए:**
  - **"बाय (ग्लोबल-भारत में विनिर्माण)" {Buy (Global-Manufacture in India)} नामक एक नई श्रेणी:** इसे नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के अनुरूप बनाया गया है। इसे घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए

VISION IAS

विदेशी **मूल उपकरण विनिर्माताओं (Original Equipment Manufacturers: OEMs)** को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से "विनिर्माण या रखरखाव करने वाली कंपनियों" की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया है।

- हाल ही में, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को **49% से बढ़ाकर 74% किया गया था।**

- **सूचना के लिए अनुरोध (Request For Information: RFI):** इसके चलते, विदेशी विक्रेता कलपुर्जों / लघु उपकरणों के विनिर्माण के संबंध में जानकारी जुटा पाएंगे और स्थानीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाने में सक्षम हो पाएंगे।
- **भारतीय विक्रेताओं (वेंडर्स) के लिए कुछ श्रेणियों में आरक्षण:** बाय (इंडियन-IDDM), मेक-I (70% तक सरकार द्वारा वित्त पोषित), मेक-II (उद्योग द्वारा वित्त पोषित), डिज़ाइन एवं विकास हेतु उत्पादन एजेंसी, रणनीतिक साझेदारी मॉडल आदि जैसी श्रेणियाँ केवल भारतीय विक्रेताओं (वेंडर्स) के लिए आरक्षित रहेंगी, जिनके लिए 49% से अधिक FDI की अनुमति नहीं है।

- **समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया के लिए, त्वरित निर्णयन और व्यवसाय करने की सुगमता:**
  - **परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना:** यह इकाई अधिग्रहण प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और अनुबंध को सुगम बनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में परामर्श आधारित समर्थन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी।
  - **परीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Simplification of Trial Procedures):** DAP-2020 पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी के लिए समान अवसरों के आधार पर प्रतियोगिता को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य के साथ परीक्षण करने की आवश्यकता पर बल देती है। इसमें उन्मूलन की प्रक्रिया को लागू नहीं किया जाता है।
  - इस नीति में अधिग्रहण प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब से बचने के लिए 500 करोड़ तक के सभी मामलों में **आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity: AoN)** के एकल चरण समझौते का भी प्रावधान हैं।
- **लीजिंग (पट्टे पर देना):** लीजिंग को आरंभ में ही बहुत अधिक मात्रा में होने वाले पूंजीगत व्यय के प्रतिस्थापन हेतु आवधिक किराये के भुगतान के साथ मौजूदा 'बाय' और 'मेक' श्रेणियों के अतिरिक्त अधिग्रहण की एक नई श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  - यह उन सैन्य उपकरणों के लिए उपयोगी होगा, जो वास्तविक युद्ध में उपयोग नहीं किए जाते हैं, यथा- परिवहन बेड़े, प्रशिक्षक, सिम्यूलेटर आदि जैसे उपकरण।
- **रणनीतिक साझेदारी मॉडल (Strategic Partnership Model: SPM):** रणनीतिक साझेदारी मॉडल के अंतर्गत अधिग्रहण, रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल में विदेशी OEM के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों की भागीदारी को संदर्भित करता है। ये एक व्यापक पारिस्थितिक तंत्र के विकास का निर्माण करके तंत्र को एकीकृत करने की भूमिका निभाते हैं, जिसमें विशेष रूप से MSME क्षेत्र से विकास भागीदार, विशेष विक्रेता व आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।

संबंधित तथ्य

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (Integrated Air Defence Weapon System: IADWS)

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 1.9 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाली IADWS की बिक्री की स्वीकृति प्रदान की है।
- **IADWS के बारे में**
  - IADWS को **"नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS-II)"** के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिकी कंपनी रेथियॉन द्वारा विकसित **NASAMS का उन्नत संस्करण** है।
  - यह स्टिंगर मिसाइलों, बंदूक प्रणालियों और उन्नत मध्यम-श्रेणी की एयर-टू-एयर मिसाइल (AMRAAMs) जैसे विभिन्न हथियारों से युक्त होगा, जो 3D सेंटिनल रडार, फायर-डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और कमांड-एंड-कंट्रोल इकाइयों द्वारा समर्थित है।

7.3. महिला सैन्य अधिकारियों हेतु स्थायी कमीशन और कमांड नियुक्तियां (Permanent Commission and Command positions to Women Army Officers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया एवं अन्य वाद (वर्ष 2011-20)** में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए भारतीय सशस्त्र बलों में **शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC)** में **महिला अधिकारियों हेतु स्थायी कमीशन** की अनुमति प्रदान की है तथा उन्हें कमांड नियुक्तियों हेतु योग्य माना है।

भारतीय थल सेना का संगठन (Organization of Indian Army)

- भारतीय थल सेना दो भागों नामतः **कॉम्बैट आर्म्स** और **सर्विसेज** के तहत कार्य करती है।
- **कॉम्बैट आर्म्स** (पूर्णतः) **युद्धक भूमिकाओं** (combat roles) वाली सेना इकाईयों, यथा- बख्तरबंद कोर, इन्फेंट्री (पैदल सेना) और मैकेनाइज्ड इंफेंट्री के साथ-साथ **कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स,** यथा- सेना की वायु रक्षा कोर, सेना उड्डयन कोर, कोर ऑफ़ इंजीनियर्स एवं कोर ऑफ़ सिग्नल्स से मिलकर गठित होती है।
  - गोरखा राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट आदि पैदल सेना (इन्फेंट्री) के अंतर्गत शामिल हैं।
- **सर्विसेज** वस्तुतः सेना सेवा कोर (राशन, परिवहन और क्लर्क), सेना चिकित्सा कोर, आर्मी ऑर्डनेन्स कोर (आयुध, गोलाबारूद, वाहन, परिधान और सभी उपकरण), आसूचना कोर आदि से मिलकर गठित होती है।
- **कमीशन अधिकारी** वस्तुतः सेना के नेतृत्वकर्ता होते हैं तथा प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीज़न, कोर (कॉर्प्स) एवं संपूर्ण सेना में कहीं से भी कमान कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- ज्ञातव्य है कि महिला अधिकारी सशस्त्र बलों में लगभग 80 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्हें **वर्ष 1927 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस** में तथा **वर्ष 1943 में मेडिकल ऑफिसर्स कैडर** में भर्ती किया गया था।
- वर्ष 1992 से **आर्मी ऑर्डनेन्स कोर, सेना शिक्षा कोर (Army Education Corps: AEC)** तथा **जज एडवोकेट जनरल (JAG)** जैसी शाखाओं में उन्हें भर्ती किया जा रहा है। कालांतर में और अधिक आर्म्स/सर्विसेज़ में उन्हें भर्ती किया जाने लगा।
- प्रारंभ में, महिलाओं को **"महिला विशेष प्रवेश योजना"** (Women Special Entry Scheme) के तहत 5 वर्ष की सेवा हेतु सेना में भर्ती किया जाता था, जिसे **वर्ष 2006 में SSC** के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। सेवा की अवधि को वर्ष 1996 में बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया था तथा वर्ष 2004 में इसे बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया।
- वर्ष 2008 में महिलाओं को **सेना शिक्षा कोर** और **जज एडवोकेट जनरल विभाग में स्थायी कमीशन** हेतु योग्य स्वीकार कर लिया गया था। हालाँकि, उन्हें अभी भी **पैदल सेना** और **बख्तरबंद कोर** जैसी कॉम्बैट आर्म्स से बाहर रखा गया है।
- ज्ञातव्य है कि, इस संबंध में प्रथम वाद एक महिला अधिकारी द्वारा वर्ष 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। **वर्ष 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में** SSC में सेवारत महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने हेतु सरकार को निर्देशित किया था। परन्तु न्यायालय के इस आदेश को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया तथा तत्कालीन सरकार द्वारा इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- इस निर्णय के पश्चात् वर्ष 2010 में, **नौसेना** और **वायु सेना** द्वारा क्रमशः **नौसेना आयुध निरीक्षणालय (NAI)** तथा फाइटर पायलट्स जैसी शाखाओं में **महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की अनुमति** प्रदान की गई थी। परन्तु थल सेना ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया था।
- विगत वर्ष, **रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की 8 आर्म्स/सर्विसेज में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने का निर्णय लिया था** (जहां उन्हें SSC के माध्यम से भर्ती किया गया था), यथा- सिग्नल्स, इंजीनियर्स, सेना उड्डयन, सेना वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, सेना सेवा कोर, आर्मी ऑर्डनेन्स कोर तथा आसूचना।

VISION IAS

- **विद्यमान प्रमुख चिंताएं:**
  - **रक्षा मंत्रालय का वर्ष 2019 का आदेश**
    - यह सुविधा केवल 14 वर्ष से कमतर सेवारत अधिकारियों हेतु ही उपलब्ध थी। इस प्रकार, उन महिला अधिकारियों को बाहर रखा गया था, जिन्होंने नियत वर्षों से अधिक समय तक सेवा प्रदान की थीं अथवा जो याचिकाकर्ता थी।
    - उन्हें केवल कार्मिक नियुक्ति में ही रखा जाएगा तथा कमान पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  - स्थायी कमीशन अधिकारियों के विपरीत SSC में महिला अधिकारी कर्नल या उससे ऊपर के पद पर पदोन्नत नहीं हो सकती थीं।
  - SSC में महिलाओं को पेंशन सुविधा प्रदान नहीं की गई थी, क्योंकि वे 20 से 24 वर्षों की सेवा के उपरांत ही पेंशन हेतु पात्र होती थीं।

उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के बारे में

प्रदत्त अनुमति	अनुमति नहीं
• SSC के रूप में भर्ती सभी महिला अधिकारी स्थायी कमीशन (PC) के चयन हेतु अधिकृत हैं अर्थात् महिलाएं भी पुरुष अधिकारियों की भांति PC के चयन हेतु पात्र हैं। • वे महिलाएं भी पात्र हैं, जो सेना की आर्म्स/सर्विसेज की सभी 10 शाखाओं में सेवारत हैं- कोई अपवाद नहीं है। • न्यायालय ने उन महिला अधिकारियों के पेंशन संबंधी मामले में विसंगतियों के निवारण हेतु भी निर्देश दिए हैं, जो सेवारत हैं तथा सेवा में 14 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत कर लिया है। • जिन्होंने 20 या अधिक वर्षों तक सेवा की है (चाहे उन्हें स्थायी कमीशन प्राप्त हुआ है या नहीं) उन्हें पेंशन लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। • उल्लेखनीय है कि, महिलाओं को पहले से ही प्लाटून और कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्त होने की अनुमति प्रदान की जा चुकी थी, परन्तु स्थायी कमीशन नहीं मिलने के कारण उन्हें कभी भी एक यूनिट की कमान प्रदान नहीं की गई थी। यह निर्णय उन्हें **यूनिट्स और बड़े समूहों में कमान अधिकारी बनने में सक्षम बनाता है,** जिनका नेतृत्व क्रमश: कर्नल और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। • अब महिलाओं को कमान नियुक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। हालांकि, इसका अर्थ अनिवार्यत: युद्धक बटालियन की कमान सौंपना नहीं है। इसके अतिरिक्त, **कर्नल** के पद पर एक महिला अधिकारी की नियुक्ति हेतु 15 वर्षों की सेवा आवश्यक है। **यह कमान किसी नॉन-फाइटिंग यूनिट की भी हो सकती है।**	• **कॉम्बैट आर्म्स (पैदल सेना और बख्तरबंद कोर) में महिला अधिकारियों को अनुमति नहीं-** न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि यह निर्णय वर्तमान सरकार के विवेकाधीन है। • यह निर्णय स्थायी कमीशन को अनिवार्य नहीं बनाता है अर्थात् एक महिला अधिकारी द्वारा इसका चयन किया जा सकता है, **परन्तु इसे अनिवार्य रूप से या अधिकार के तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।** • किसी भी यूनिट आदि की कमान करने के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है - कमान नियुक्तियां रिक्तियों, योग्यताओं (शैक्षणिक, प्रदर्शन व मेडिकल) आदि के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। ज्ञातव्य है कि इस स्तर को प्राप्त करने हेतु एक अधिकारी को सामान्यतया 20 वर्षों तक का समय लग जाता है। • स्थायी कमीशन या कमान पद पर नियुक्ति के लिए सकारात्मक कार्यवाही/नौकरियों में आरक्षण का हवाला नहीं दिया जा सकता है - यद्यपि यह समतापूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करता है, परन्तु **कमान और स्थायी कमीशन पदों पर नियुक्ति सेना तथा सरकार के विवेकाधीन है। पुनः इस संबंध में किसी भी निर्णय के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।**

आगे की राह

भारत द्वारा सशस्त्र बलों में गैर-चिकित्सीय पदों पर महिलाओं की भर्ती की शुरुआत वर्ष 1992 में आरंभ की गयी थी। अत: नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या सेना के दस लाख से अधिक कर्मियों का लगभग 4% है। इसके अतिरिक्त, जून 2019

तक नौसेना और वायुसेना में महिला कर्मियों की संख्या क्रमश: 6.7% तथा 13.28% थी। इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि सेना और उसकी अन्य शाखाओं में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व हेतु भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

- विद्यालयी शिक्षा के पश्चात् राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में लड़कियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करने जैसे उपाय किए जाने चाहिए, जो अभी तक केवल लड़कों के लिए ही आरक्षित है। इसके अतिरिक्त, सामान्य सैन्यकर्मियों (जिस प्रकार पुलिस में महिला सिपाही होती है) के रूप में महिलाओं की भर्ती करना उनकी योग्यता के अनुरूप उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु भी आवश्यक है।
- नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कुछ युद्धक भूमिकाएं प्रदान की जाती हैं, परन्तु थल सेना में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। भारत को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों का अनुसरण करना चाहिए, जहां महिलाओं को युद्धक भूमिका के निष्पादन की अनुमति प्राप्त है।
  - महिलाओं को सेना में उचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि **30% महिला अधिकारी संघर्षरत क्षेत्रों में नियुक्त हैं,** जिससे यह धारणा मिथ्या सिद्ध होती है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और दुर्गम क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अक्षम होती हैं।

7.3.1. युद्धक भूमिका में महिलाएं (Women in Combat Role)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में महिलाओं को युद्धक भूमिकाओं में शामिल करने पर बल नहीं देते हुए इसे परोक्ष रूप से एक कार्यकारी निर्णय बताया है।

महिलाओं को युद्धक भूमिकाओं में शामिल करने के क्या लाभ हैं?

- **लैंगिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि:** यह विश्व के सर्वाधिक पुरुष वर्चस्ववादी संव्यवसायों में से एक में लैंगिक समता हेतु एक सुधारवादी कदम सिद्ध होगा। विश्व स्तर पर भी यह प्रवृत्ति प्रचलित है।
- **सैन्य तत्परता:** एक मिश्रित लैंगिक बल को अनुमति प्रदान करना सेना को सुदृढ़ करेगा। सभी **स्वैच्छिक बल प्रतिधारण और भर्ती दरों में गिरावट** के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। सभी नौकरियों हेतु आवेदक पूल का विस्तार अधिक स्वैच्छिक भर्तियों को गारंटी देता है।
- **प्रभावशीलता:** महिलाओं पर व्यापक प्रतिबंध युद्ध क्षेत्र में उत्तरदायित्व निभाने के लिए सर्वाधिक सक्षम व्यक्ति के चयन की कमांडरों की क्षमता को सीमित करता है।
- **सांस्कृतिक विभिन्नताएं और जनसांख्यिकी:** महिलाओं को सेवा में शामिल करने से संकटपूर्ण और संवेदनशील कार्यों (जिनके लिए आवश्यक अंतर्वैयक्तिक कौशल की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक सैनिक में नहीं होता) हेतु प्रतिभा पूल में वृद्धि होगी। एक व्यापक कार्मिक आधार अर्थात् महिलाओं की भागीदारी से सेनाओं को संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने हेतु सर्वोत्तम और अत्यधिक कूटनीतिक सैनिकों की उपलब्धता में सहायता प्राप्त होगी।
- **करियर में उन्नति:** सामान्यतया वरिष्ठ अधिकारी पद पर पदोन्नत होने के लिए युद्धक कर्तव्य को अनिवार्य माना जाता है, अत: महिला कार्मिकों को इस अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान न करना यह सुनिश्चित करता है कि बहुत कम महिलाएं सेना में उच्चतम पदों तक पंहुच पाएंगी।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी:** आधुनिक युद्ध का परिदृश्य अधिक परिष्कृत हथियारों के प्रयोग में रूपांतरित हो गया है। युद्ध के क्षेत्र के रूप में साइबर स्पेस के उद्भव और खुफिया जानकारी एकत्र करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। कठोर बल प्रयोग, जो कि प्राय: महिलाओं को शामिल न करने का एक कारण रहा है, वर्तमान में कम प्रासंगिक हो गया है।

इसके कार्यान्वयन से सम्बंधित चुनौतियां क्या हैं?

- **सेना में स्थिति:** सेना में फील्ड परिस्थितियां अत्यधिक विषम हैं तथा लड़ाकों और शत्रु से निकटता के कारण अपेक्षाकृत अधिक कठिन चुनौतियां का करना सामना पड़ता है।
- **सैन्य तत्परता:** गर्भावस्था जैसी कुछ परिस्थितियां उस दशा में किसी सैन्य टुकड़ी की तैनाती हेतु उपयुक्तता को प्रभावित कर सकती हैं, जब उसमें महिलाओं की संख्या एक असंगत अनुपात में मौजूद हो अथवा उसमें आवश्यक संख्या से कम लोग मौजूद हों।

VISION IAS

- **परंपरा:** पुरुष, विशेष रूप से वे जो सेना में नियोजित होते हैं, प्रायः पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को बनाए रखते हैं। एक उच्च पुरुषवादी सैन्य उपसंस्कृति में महिलाओं की उपस्थिति पर **रोष और उत्पीड़न की समस्या** उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

देश की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर **निरपेक्ष तरीके से** विचार किया जाना चाहिए। इसलिए सैन्य सेवाओं में महिलाओं को शामिल करने की संपूर्ण अवधारणा को **समग्र और वस्तुनिष्ठ तरीके** से देखा जाना चाहिए, न कि तथाकथित 'पुरुष वर्चस्व के अंतिम क्षेत्र' में प्रवेश के प्रश्न के रूप में। इसलिए पुरुष और महिला, दोनों प्रकार के सैनिकों की निरंतर और **आवधिक प्रदर्शन ऑडिटिंग** के साथ, सैन्य सेवाओं में महिलाओं का **क्रमिक रूप से समेकन** किया जाना चाहिए। इससे भावी सेनाएं सर्व समावेशी होने के साथ अधिक सशक्त हो सकती हैं।

7.4. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **रक्षा मंत्रालय (MoD)** ने सशस्त्र बलों के तीनों स्कंधों (विंग्स) को "शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व" प्रदान करने हेतु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद का सृजन किया है। ज्ञातव्य है कि सेवानिवृत्त सेना प्रमुख, **जनरल बिपिन रावत** को देश का प्रथम CDS नियुक्त किया गया है।

पृष्ठभूमि

- CDS पद के गठन के संबंध में प्रथम प्रस्ताव वर्ष 2000 में स्थापित **कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee: KRC)** द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- वर्ष 2011 में, **रक्षा और सुरक्षा पर गठित नरेश चंद्र समिति** द्वारा भी CDS प्रस्ताव के अल्प प्रभावी संस्करण को अपनाने का सुझाव दिया गया था।
- वर्ष 2016 में **शेकटकर समिति** द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें तीनों सेनाओं के एकीकरण से संबंधित CDS की अनुशंसा की गई थी।

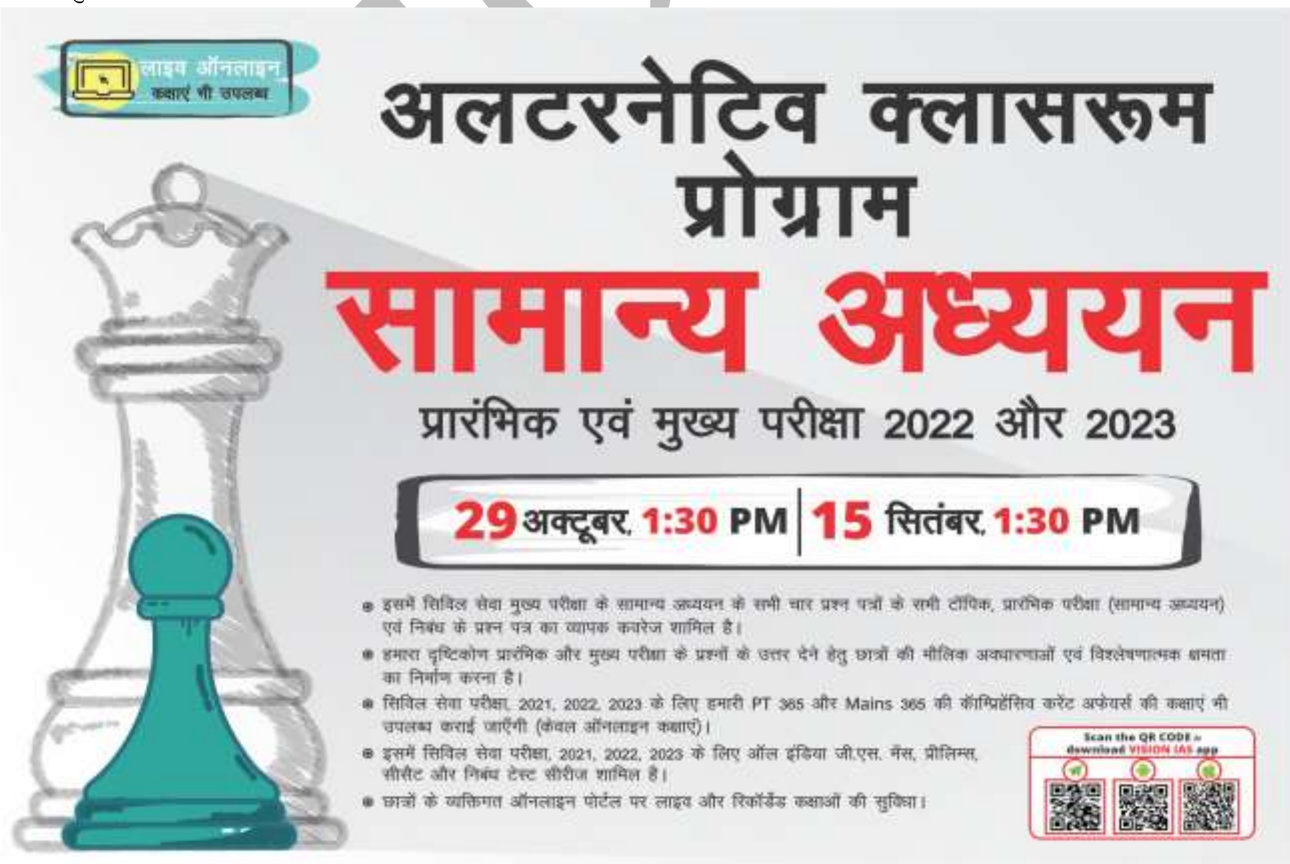

CDS के विषय में

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को 4 स्टार जनरल रैंक के रूप में सृजित किया गया है, जिसकी वेतन और परिलब्धियां सर्विस चीफ के समतुल्य होंगी।
- CDS सभी तीनों सैन्य सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के मामलों में रक्षा मंत्री के **प्रधान सैन्य सलाहकार** के रूप में कार्य करेगा।
- CDS तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ-साथ किसी अन्य सैन्य कमान के लिए भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, ताकि वह राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामलों के संबंध में निष्पक्ष सुझाव प्रदान कर सके।
- वह **चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी (CoSC) के स्थायी अध्यक्ष** के रूप में कार्य करेगा, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं।
- चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में CDS निम्नलिखित कार्य करेगा:
    - CDS साइबर और स्पेस से संबंधित कार्यों सहित तीनों सेनाओं से संबद्ध अभिकरणों के लिए प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करेगा।
    - CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council: DAC) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor: NSA) की अध्यक्षता वाली **रक्षा नियोजन समिति** का सदस्य होगा।
    - वह परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
    - वह एकीकृत क्षमता विकास योजना के पश्चात् अग्रगामी कदम के रूप में पंचवर्षीय **रक्षा पूंजीगत उपस्कर अधिग्रहण योजना (Defence Capital Acquisition Plan: DCAP)** और दो वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं को कार्यान्वित करेगा।

संबंधित तथ्य

युद्ध संबंधी तैयारियों में सुधार हेतु पहल:

एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups: IBGs) के बारे में

- IBGs वस्तुतः ब्रिगेड-आकार के दक्ष व आत्मनिर्भर युद्धक विन्यास/संरचना होती हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में दुश्मन के विरुद्ध शीघ्रता से हमले आरंभ कर सकती हैं।
- IBGs को **युद्धक भूमिकाओं** (सीमा पार ऑपरेशन) और **रक्षात्मक भूमिकाओं** (किसी दुश्मन के हमले का सामना करना) दोनों का निर्वहन करना पड़ता है।
- प्रत्येक IBG को **थ्रेट, टेरेन और टास्क (3T)** के आधार पर **किसी विशेष उद्देश्य हेतु नियोजित** किया जा सकता है और इसके लिए संसाधनों को 3T के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इनकी सैन्य बल संख्या को कम रखा जाता है ताकि लॉजिस्टिक लागत कम हो।

CDS की आवश्यकता

- **अपर्याप्त मौजूदा संरचना:** भारत में CDS के समतुल्य परंतु तुलनात्मक रूप से अल्प अधिकार प्राप्त **चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) के अध्यक्ष का पद** विद्यमान है, जिसमें तीनों सेना प्रमुखों में से वरिष्ठतम प्रमुख को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।
    - हालांकि, CoSC व्यवस्था को प्रायः "असंतोषजनक" माना जाता है तथा इसके अध्यक्ष को "नाममात्र प्रमुख" (फिगरहेड) की संज्ञा दी जाती है। इसलिए यह त्रि-सेवा (तीनों सेना) एकीकरण को आगे नहीं बढ़ा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्षमता और परिसंपत्तियों का अनावश्यक दोहराव होता है।
- **एक केंद्रीय शक्तिशाली तंत्र की आवश्यकता:** वर्तमान में भारत में विभिन्न स्थानों पर 17 सर्विस कमान हैं और इससे परिसंपत्तियों का दोहराव होता है। इसलिए CDS को "थिएटर कमान" के सृजन के साथ-साथ त्रि-सेवा परिसंपत्तियों और कर्मियों को संगठित करने हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **नीतिगत कमजोरियों के निवारण हेतु:** नियोजन प्रक्रिया के मुख्य दोष के कारण अंतर्सेवा और अंत:सेवा प्राथमिकता का अभाव दृष्टिगोचर हुआ है तथा प्रयासों का दोहराव और संसाधनों का उप-इष्टतम उपयोग हुआ है। CDS को रक्षा नियोजन समिति के समग्र मार्गदर्शन और निर्देशों के अधीन रक्षा नियोजन का कार्यभार सुपुर्द किया जा सकता है।

VISION IAS

- **सरकार और सशस्त्र बलों के मध्य समन्वय का अभाव:** KRC रिपोर्ट में इंगित किया गया था कि भारत में सशस्त्र बल मुख्यालय शीर्ष सरकारी संरचना से असंबद्ध हैं, इसलिए शीर्ष अधिकारियों को सैन्य कमांडरों के विचारों और विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त नहीं होता है, जो युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में भारत की स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है।
- **अग्रगामी रक्षा कूटनीति हेतु:** वर्तमान में, रक्षा कूटनीति के महत्वपूर्ण पहलू को रक्षा मंत्रालय से अति महत्वपूर्ण नीति निर्देश के बिना तदर्थ रीति से संचालित किया जा रहा है। यह तब उपयुक्त स्थिति होगी, जब सरकार से स्पष्ट नीतिगत दिशा-निर्देशों के अधीन CDS को रक्षा कूटनीति के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।
- **पूंजीगत खरीद की आवश्यकता:** सशस्त्र बलों द्वारा हथियारों की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। खरीद प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु CDS को आदर्श रूप से व्यापक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी, जो निचले स्तर पर प्रदत्त शक्तियों से अधिक हैं।
- **गुणवत्ता आश्वासन हेतु आवश्यक:** रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production: DDP) उत्पादन और गुणवत्ता आश्वासन दोनों के लिए प्रशासनिक विभाग होता है, अत: उस पर प्रायः दोहरे उत्तरदायित्व के कारण हितों के टकराव का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि, CDS की स्थापना के पश्चात्, यह गुणवत्ता प्रमाणन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने हेतु आदर्श रूप से अनुकूलित होगा।
- **संसाधनों का अभाव:** अवसंरचना और मानव संसाधनों में संपत्ति का दोहराव (चाहे वह प्रशिक्षण में हो अथवा परिचालन कमान में) होने से रक्षा बजट पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पूंजी अधिग्रहण के लिए अल्प धन शेष रह जाता है। इसलिए CDS रक्षा क्षेत्र में होने वाले निष्फल व्यय में कटौती करने में सहायता करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

तीव्रता से परिवर्तित सुरक्षा और रक्षा परिदृश्य में देश को कुशल और प्रभावी बलों की आवश्यकता है, जो नियोजन, प्रशिक्षण और संयुक्त कार्यावाहियों को क्रियान्वित करने के माध्यम से समन्वय स्थापित करेंगे। इस प्रकार भारत के उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार करने हेतु CDS की नियुक्ति निस्संदेह एक साहसिक और निर्णायक कदम है।

7.5. भारत में थियेटर कमान (Theatre Command in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने घोषणा की थी कि भारत थियेटर कमान (जिस प्रकार के चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वर्तमान में हैं) का सृजन करके अपने सैन्य संगठन को पुनर्संगठित कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- तालमेल युक्त परिचालन के लिए एक समेकित कमान संरचना और संचालन के निर्धारित क्षेत्र सहित, इस पुनर्गठन के माध्यम से वर्ष 2022 तक पांच थियेटर कमान निर्मित किए जाने की संभावना है।
- **5 थियेटर कमान** निम्नलिखित आधार पर बनाई जाएंगी:
  - चीन विशिष्ट **उत्तरी कमान।**
  - पाकिस्तान विशिष्ट **पश्चिमी कमान।**
  - **प्रायद्वीपीय कमान** जो शेष स्थल क्षेत्र को कवर करेगी।
  - पूरी तरह सुसज्जित **वायु रक्षा कमान।**
  - **समुद्री कमान** (इसमें त्रिसेवा अंडमान एवं निकोबार कमान सम्मिलित होगी)।

थियेटर कमान क्या होती है?

- थियेटर कमान के अंतर्गत **तीनों सेवाओं,** यथा- थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना से एक विशिष्ट संख्या में सैनिकों को चुनकर **किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक संयुक्त कमांडर** के अधीन रखा जाता है। सैन्य हलकों में थिएटर कमान का मतलब होता है एकीकृत कमान। थिएटर कमान व्यवस्था लागू करने से आशय सीधे शब्दों में यह है कि एक इलाके में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों की यूनिटों को एक थिएटर कमांडर के अधीन लाया जाएगा।

VISION IAS

- थियेटर कमान **'व्यक्तिगत सेवा की क्षेत्रीय कमान'** की वर्तमान व्यवस्था का स्थान लेगा। (भारत में 19 प्रमुख एकल सेवा कमान हैं जो अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों में संचालित होती हैं।)

भारत में थियेटर कमान बनाने के क्या लाभ हैं?

- **चीन का मुकाबला:** थियेटर कमान के सृजन से संबंधित क्षेत्र में संचालित होने वाले सैन्य बलों के बीच समन्वय में वृद्धि होना अपेक्षित है तथा साथ ही संबंधित क्षेत्र में सैन्य बलों की लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ेगी।
- **सहक्रियता (Synergy) को बढ़ावा:** वर्तमान समय में तीनों बलों के मध्य सहक्रियता का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नस्तरीय समन्वय तथा प्रयासों के दोहराव की समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय नौसेना सभी पृथक संचार आवृत्तियों पर भारतीय वायुक्षेत्र की रक्षा करती हैं।
- **संसाधनों का एकीकरण:** भारत में युद्ध क्षत्रों के भौगोलिक प्रसार के कारण रणनीतिक निर्णयों एवं महत्वपूर्ण परिणामों के लिए एकीकृत कमान की आवश्यकता है, इसे संसाधनों के संकेंद्रित प्रयोग से संभव किया जा सकता है।
    - **एक संयुक्त लॉजिस्टिक कमान का गठन करके साजोसामान (logistics) का एकीकरण** अन्य एक संभावित क्षेत्र है जिसकी सहायता से व्यय में कमी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है तथा वर्तमान संसाधनों का अधिक सक्षम रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- **सरकारी खरीद के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण से,** पूंजी अधिग्रहणों को छोड़कर, सेना की पूर्णरूपेण आवश्यकताओं की अवधारणा तैयार होगी। इससे उम्मीद है कि प्रत्येक सेवा द्वारा ऊंची कीमतों पर अत्यावश्यक/ आपातकालीन आधार पर जो अलग-अलग सरकारी खरीद की जाती है, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, तथा संपत्तियों के अनुरक्षण एवं प्रबंधन के खर्च में पर्याप्त कटौती होगी।
- **सैन्य बलों के आकार को कम करने की संभावना:** रक्षा मंत्रालय के वर्ष 2020-21 के बजट का लगभग 28% भाग पेंशन के लिए, तथा अन्य 40% वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर खर्च के लिए आवंटित किया गया। थियेटर कमानों में मानव संसाधनों को एकीकृत करने से सैन्य बलों की कम संख्या में आवश्यकता होगी। प्रत्येक सेवाओं में जो आवश्यकता से अधिक बल है, उसको कम किया जा सकता है। इसका लाभ यहा होगा कि उनके लिए आवंटित होने वाले बजट की बड़ी मात्रा उपकरण एवं क्षमताओं के अनुरक्षण तथा आधुनिकीकरण के लिए खर्च की जा सकती है।

थियेटर कमानों के सृजन से संबंधित चुनौतियां

- **थियेटर कमान आधारित संगठन में सीमित अनुभव:** भारत के पास सीमित क्षेत्रों, जैसे- अंडमान एवं निकोबार कमान में थियेटर कमान का अनुभव है। इस सीमित अनुभव के कारण इसके कार्यान्वयन के मध्य में कई बार 'परिवर्तन' की आवश्यकता पड़ सकती है।
    - थियेटर कमानों में भारत ने जहां परिचालन किया है, उसका पूर्व अनुभव बहुत सफल नहीं रहा, जैसे कि श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा सेना (Indian Peacekeeping Forces: IPKF)।
- **कमान की अस्पष्ट संरचना:** यह स्पष्ट नहीं है कि त्रिसेवा एवं संयुक्त थियेटर कमान संरचना में कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सेना एवं मशीनरी पर किसकी परिचालनगत कमान होगी, सेवा प्रमुखों की या थियेटर कमांडरों की।
- **भारतीय वायुसेना में अंतर्निहित आंतरिक संसाधनों का अभाव:** वायुसेना के पास केवल 31 परिचालनगत स्क्वॉड्रन हैं, जिस कारण से भारतीय वायुसेना के लिए प्रादेशिक सीमाओं वाली किसी विशिष्ट कमान में स्थायी रूप से अपने स्टेशन की संपत्ति को तैनात करना कठिन होगा।
- **सेवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा की संभावना:** जबकि सेना का प्रत्येक अंग उत्साहपूर्वक अपनी संपत्ति का प्रबन्धन करता है तथा रक्षा बजट में अधिक भागीदारी और अधिकार की अपेक्षा करता है। इसके प्रभाव से सेवाओं के मध्य तालमेल पैदा करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **थलसेना के वर्चस्व की धारणा:** तीनों सेवाओं के मध्य, थलसेना सदैव सर्वाधिक दृष्टिगोचर रही है तथा संयुक्त सैन्य संस्थानों के नेतृत्व पदों में इसके अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अधिक रहा है। इससे, थियेटर कमान के पुनर्गठन को लेकर अन्य सेवाओं के बीच अविश्वास पैदा हुआ है।

VISION IAS

आगे की राह

थियेटर कमान में सेना का पुनर्संगठन एकमात्र संस्थागत कवायद नहीं है, इस परिवर्तन के साथ अन्य सैन्य सुधारों की भी आवश्यकता है, जैसे कि-

- थिएटर कमान प्रणाली को अपनाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी, इसके लिए आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु सैन्य-औद्योगिक संकुलों के विकास की आवश्यकता होगी।
- कमान संरचना में परिवर्तन के साथ ही **सैन्य-नागरिक (civilian) निर्णय निर्माण संरचना में भी परिवर्तन** की आवश्यकता पड़ेगी। इन सुधारों के बिना, नौकरशाही की बाधाएं इस पुनर्गठन को अप्रभावी सिद्ध कर देंगी।
- सरकार को **दो संयुक्त कमानों,** यथा- स्ट्रैटिजिक फोर्सेज कमान एवं ANC (अंडमान एवं निकोबार कमान) समेत **वर्तमान एकीकृत रक्षा मुख्यालयों की प्रभावशीलता का अनिवार्य रूप से मूल्यांकन करना चाहिए।** इस मूल्यांकन से हमें संभावित समाधान के कार्यान्वयन एवं सृजन में आने वाली संभावित समस्याओं के पूर्वनिर्धारण में सहायता मिल सकती है।
- **रक्षा बजट को बढ़ाना:** चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों रक्षा पर अपनी GDP का 3% से अधिक खर्च करते हैं, जबकि भारत रक्षा पर अपनी GDP का 2% से कम खर्च करता है। इसके कारण सैनिकों, उपकरण एवं आग्नेयास्त्रों के अभाव का सामना करना पड़ता है। व्यय में वृद्धि किए बिना, थियेटर कमान के सृजन से पहले से ही दबावग्रस्त सैन्य संसाधनों का विभाजन करना कठिन हो जाएगा।

8. युद्ध के उभरते हुए आयाम (Emerging Dimensions of Warfare)

8.1. हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन की डेटा कंपनी झेन्हुआ द्वारा तथाकथित तौर पर बीजिंग की खुफ़िया सेवाओं की ओर से लाखों लोगों एवं संगठनों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्र की गई हैं। इसे संभवतः **'हाइब्रिड वारफेयर'** की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- झेन्हुआ **अपने ग्राहकों के मुख्य प्रतिद्वंदियों** की पहचान करने के लिए साइबर उपकरणों का उपयोग करती है। यह व्यक्तियों के डिजिटल फुटप्रिंट की निगरानी रखने तथा संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु सार्वजनिक डेटाबेस, सोशल मीडिया आदि जैसी विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करती है।
  - **डिजिटल फुटप्रिंट-** किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन गतिविधियों के परिणामस्वरूप इंटरनेट पर मौजूद उसकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी।
- साथ ही, यह उस व्यक्ति से संबंधित संस्थानों और समूहों की भी निगरानी रखती है। कई बार उसके द्वारा निगरानी किए जाने वाले व्यक्तियों के मध्य **'रिलेशनल डेटाबेस (व्यक्तियों या संस्थाओं के मध्य पूर्व-निर्धारित संबंधों पर आधारित डेटाओ का संग्रह)'** का निर्माण करके ऐसा किया जाता है।
- यह प्रक्रिया किसी कंपनी को **भारत में महत्वपूर्ण पहलुओं के निर्धारण में** सहायता करती है। उदाहरणार्थ, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य **राजनीतिक गठजोड़** तथा प्रमुख हस्तियों के व्यवहार और उनके व्यक्तिगत प्रभाव का आकलन करना।

हाइब्रिड वारफेयर क्या है?

हाइब्रिड वारफेयर, युद्ध या संघर्ष से संबंधित एक उभरती हुई अवधारणा है, जिसे अब तक उचित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सका है। यह सामान्यत: **बहु-प्रक्षेत्र युद्ध दृष्टिकोण (कई मोर्चों पर संघर्ष करना)** के भाग के रूप में अपरंपरागत विधियों के उपयोग को संदर्भित करती है। इन विधियों का उद्देश्य **युद्ध संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हुए बिना प्रतिद्वंद्वी की कार्रवाइयों को बाधित कर उसे अक्षम बनाना** है। निम्नलिखित की सहायता से इसकी सामान्य विशेषताओं को समझा जा सकता है:

- इसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधियां वस्तुतः क्रियाकलापों के संयोजन को संदर्भित करती हैं। इनमें **दुष्प्रचार, आर्थिक हेरफेर, प्रायोजित संघर्ष और विद्रोह का उपयोग, कूटनीतिक दबाव और सैन्य कार्रवाइयाँ** सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, यूक्रेन संघर्ष में रूस द्वारा प्राकृतिक गैस और ऋण जैसे साधनों का उपयोग किया जाना।
- यह **अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्रों को लक्षित** करता है और जहां न्यूनतम प्रयास से अधिकतम क्षति पहुंचायी जा सकती है।
- इसमें सामान्यत: किसी देश द्वारा समर्थित विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त **गैर-राज्य अभिकर्ता सम्मिलित** होते हैं, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की घटना में अपनी संलग्नता से इंकार किया जा सके।
- हाइब्रिड वारफेयर की अवधारणा से संबंधित गतिविधियों के अन्य उदाहरणों में सीरिया में ईरानी गतिविधि तथा सीरिया और इराक में ISIL (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट) की गतिविधियां शामिल हैं।

राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता हाइब्रिड वारफेयर का उपयोग क्यों कर रहे हैं?

- हाइब्रिड वारफेयर के तहत सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक और सूचना प्रदान करने वाले उपकरणों के व्यापक समूह का उपयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि इनकी **पारंपरिक जोखिमों के आकलन में सामान्यत: अनदेखी की जाती है।**
- यह ऐसी रीति से **सामाजिक सुभेद्यताओं को लक्षित करता** है, जिनके संबंध में हम सामान्यत: विचार नहीं कर पाते हैं।
- इसके तहत नवीन तरीकों के माध्यम से **हमलों को सुव्यवस्थित** किया जाता है। उदाहरण के लिए, शहरी जनसमूह पर साइबर हमले और 'लोन-वुल्फ' हमले को एक साथ अंजाम देने के लिए यदि एकीकृत रूप से सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो इससे व्यापक पैमाने पर जान-माल की क्षति हो सकती है।

VISION IAS

- इसे अंतर्राष्ट्रीय विधायी सीमाओं सहित **अपने विरूद्ध कार्यवाही और अपनी पहचान प्रकट होने से बचते हुए** परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा आती है तथा **इस प्रकार के हमलों के विरूद्ध कार्यवाही करना और भी कठिन हो जाता है।**
- हाइब्रिड वारफेयर अभियान के संबंध में तब तक पता नहीं लगाया जा सकता है, जब तक यह घटित होना आरंभ न हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान क्षतिकारी प्रभाव उत्पन्न होने के साथ-साथ लक्षित देश या संस्था की प्रतिरोध क्षमता बाधित हो जाती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2008 में मुंबई हमलों और यूरोप में लोन वुल्फ हमलों की श्रृंखला के संबंध में तभी सूचना प्राप्त हो सकी थी जब वे घटित होने लगे थे।

हाइब्रिड वारफेयर में शहरी स्थानों को क्यों लक्षित किया जाता है?

- शहरी स्थान अपनी **विशाल आबादी और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होने** के कारण **आतंकवादियों और गैर-राज्य अभिकर्ता** को प्रवेश करने तथा **"आघात और भय" की रणनीति** के माध्यम से आबादी को आतंकित करने के लिए बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाने का **पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।**
- विशाल जनसंख्या वाले भीड़भाड़ युक्त शहरी क्षेत्रों में, इन गतिविधियों से निपटने के लिए **पारंपरिक सशस्त्र बल** पर्याप्त रूप से **प्रशिक्षित नहीं हैं। साथ ही, वे आवश्यक संसाधनों के अभाव से भी ग्रस्त** हैं।
- पारंपरिक युद्ध में विरोधी के साथ प्रत्यक्ष और पूर्ण संलग्नता होती है। हाइब्रिड वारफेयर के दौरान **अप्रत्यक्ष साधनों के रूप में प्रायोजित संसाधनों का उपयोग किया जाता** है, जिससे **सीमित युद्ध जैसे परिदृश्यों का निर्माण** होता है।

भारत के संदर्भ में हाइब्रिड वारफेयर और हाइब्रिड जोखिमों से संबंधित मुद्दे?

हाइब्रिड वारफेयर की घटनाओं के संदर्भ में देखें तो भारत लक्षित वर्ग में आता है। ज्ञातव्य है कि यहां इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। इसमें सर्वप्रथम, पाकिस्तान द्वारा **राज्य प्रायोजित आतंकवाद** और दूसरा **चीन द्वारा साइबर खतरों** (झेन्हुआ से संबद्ध साइबर खतरों के समान) के माध्यम से **हाइब्रिड वारफेयर गतिविधियां सम्मिलित हैं।** परन्तु पाकिस्तान और चीन एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं का हाइब्रिड वारफेयर की ओर बढ़ता झुकाव निम्नलिखित मुद्दों को उत्पन्न कर सकता है:

- **आतंकवादी हमलों के नए रूप:** हाइब्रिड वारफेयर का विचार **'लोन-वुल्फ' हमलों** और **'स्लीपर सेल'** के गठन जैसे आतंकवादी हमलों के नए रूपों को प्रोत्साहित करता है। इन हमलों का पता लगाना अत्यधिक कठिन होता है और अधिकतर मामलों में वित्तीय एवं वैचारिक स्रोत अज्ञात रहता है।
    - हाइब्रिड वारफेयर की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग **जनसंख्या के मध्य कट्टरपंथी** प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। इससे दीर्घावधि में **सांप्रदायिकता, नक्सलवाद और अलगाववाद** जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
- **साइबर हमले:** हाइब्रिड वारफेयर की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग मुख्यतः आबादी पर लक्षित विनाशकारी साइबर हमलों की धमकी देकर अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए सरकार को विवश कर सकते हैं। इससे संबंधित उदाहरणों में अस्पतालों या विद्युत और जल की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले नेटवर्कों पर हमले शामिल हैं।
    - भारत, **पाकिस्तान समर्थित साइबर हमलों** के केंद्र में रहा है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद से भारतीय संस्थानों पर साइबर हमलों में वृद्धि हुई है। इसमें कई **साइबर** हमलावरों ने खुलकर पाकिस्तान के साथ अपने गठजोड़ को स्वीकार किया है।
- **निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप:** विघटनकर्ता द्वारा एक राजनीतिक समूह हेतु वित्तीय संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए मीडिया व सोशल नेटवर्कों के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान तकनीकों का प्रयोग राजनीतिक परिणामों को अप्रत्यक्ष रूप से एक शत्रु देश या व्यक्ति के राजनीतिक हितों के पक्ष में कर सकता है।
- **दुष्प्रचार और फेक न्यूज़:** हाइब्रिड वारफेयर की घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी देश में **सामाजिक विखंडन को बढ़ावा देने** के लिए समानांतर वास्तविकता का सृजन और भ्रान्ति का उपयोग किया जा सकता है। इन कार्यों के पीछे निहित उद्देश्य जनता को गुमराह करना और सरकार के लिए किसी दी गई नीति या कार्य हेतु सार्वजनिक अनुमोदन प्राप्ति की प्रक्रिया को कठिन बनाना है।

VISION IAS

- **वित्तीय प्रभाव:** हाइब्रिड वारफेयर के माध्यम से इस प्रकार के निवेश व प्रतिकूल ऊर्जा-आपूर्ति सौदे किए जा सकते हैं या ऋण प्रदान किए जा सकते हैं, जो किसी देश को दीर्घकालिक रूप से राजनीतिक दबाव के प्रति सुभद्य बना देते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में कोविड-19 की पृष्ठभूमि में चीन की कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से भारतीय कंपनियों की आक्रामक अधिग्रहण संबंधी प्रवृत्ति को इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।

हाइब्रिड वारफेयर के समाधान हेतु क्या किया जा सकता है?

हाइब्रिड वारफेयर बहुआयामी युद्ध पद्धति है। अतः इसे प्रभावी ढंग से निष्फल करने के लिए **समग्र उपाए किए जाने की आवश्यकता है:**

- **संस्थागत उपाय:** सुभेद्यताओं का आकलन और संभावित हाइब्रिड जोखिमों का अनुमान लगाने हेतु संस्थागत संरचना में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।
  - सभी क्षेत्रकों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों और सुभेद्यताओं का **स्व-आकलन** और नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, देश में **महत्वपूर्ण वित्तीय प्रौद्योगिकी संबंधी प्रणालियों (Fintech systems) को नियमित रूप से अद्यतित करते रहना चाहिए।**
  - अपारंपरिक राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक व अंतर्राष्ट्रीय (Political, Economic, Civil, International: PECI) साधनों और क्षमताओं को सम्मिलित करके **पारंपरिक जोखिम आकलन गतिविधियों में सुधार करना चाहिए।**
  - **बहुराष्ट्रीय संरचना का निर्माण:** सीमापारीय सहयोग और सहभागिता को सुगम बनाने के लिए विद्यमान संस्थानों और प्रक्रियाओं का दक्षतापूर्वक उपयोग करना चाहिए।
- **सशस्त्र बलों का प्रशिक्षण:** हाइब्रिड वारफेयर जैसी स्थिति में सशस्त्र बलों को नागरिक आबादी की रक्षा और शत्रु को अक्षम करने संबंधी दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए, इस संबंध में **निम्नलिखित तकनीकों को अपनाया जा सकता है:**
  - **विशिष्ट युद्ध तकनीकों** में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा साथ ही, **शहरी क्षेत्रों में युद्ध-संघर्ष जैसी स्थितियों का सामना करने हेतु दक्ष बनाना।**
  - स्मार्ट रोबोट व मानव रहित विमान (UAV) जैसे **तकनीकी साधनों** के उपयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - अभियानों की सटीकता के लिए **वास्तविक समय आधारित स्थितिजन्य जानकारी (Real Time Situational Awareness: RTSA) जैसे खुफ़िया साधनों** के उपयोग को बढ़ावा देना।
- **लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण:** लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करके सरकार, **नागरिकों का विश्वास प्राप्त कर सकती** है। इससे **हाइब्रिड वारफेयर के विभिन्न रूपों** जैसे दुष्प्रचार और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को **निष्फल करने** में सरकार को सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **नागरिक समाज संबंधी संस्थानों का समावेशन:** जैसे कि विचारक समूह (think tanks) ऐसे खतरों का सामना करने की सरकार की क्षमताओं में वृद्धि करते हैं।
  - **मीडिया साक्षरता बढ़ाने हेतु पत्रकारिता में निवेश करना:** वैश्विक स्तर पर किए गए शोध दर्शाते हैं कि मीडिया द्वारा "हाइब्रिड जोखिम" शब्द का 70 प्रतिशत उपयोग गलत तरीके से किया गया है। इसलिए पत्रकारिता में निवेश करने से नागरिकों को अप्रत्यक्ष रूप से इस जोखिम को समझने में सहायता मिलेगी।

8.2. अंतरिक्ष युद्ध (Space Warfare)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने **रूस पर अंतरिक्ष में एक एंटी-सैटेलाइट (उपग्रह रोधी) हथियार का परीक्षण करने का आरोप** लगाया है, जिसने अंतरिक्ष युद्ध संबंधी चिंताओं को उत्पन्न कर दिया है।

अंतरिक्ष युद्ध के बारे में

- अंतरिक्ष युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो बाह्य अंतरिक्ष में संपन्न होता है। अंतरिक्ष युद्ध के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **भूमि-से-अंतरिक्ष युद्ध (ground-to-space warfare),** जैसे कि पृथ्वी से उपग्रहों पर हमला करना;
  - **अंतरिक्ष-से-अंतरिक्ष युद्ध (space-to-space warfare),** जैसे कि उपग्रहों पर उपग्रहों से हमला करना; तथा
  - **अंतरिक्ष-से-भूमि युद्ध (space-to-ground warfare),** जैसे कि पृथ्वी पर अवस्थित लक्ष्यों पर उपग्रहों से हमला करना।
- अंतरिक्ष युद्ध की शुरुआत **वर्ष 1962** में हुई थी, जब अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में एक भूमि आधारित परमाणु हथियार का विस्फोट किया गया था, जिसके कारण अंततः **वर्ष 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि** अस्तित्व में आयी।
- **मौजूदा और भविष्य के अंतरिक्ष हथियार:**
  - **काइनेटिक फिजिकल हथियार:** ये हथियार किसी उपग्रह या ग्राउंड स्टेशन के निकट एक वारहेड पर प्रत्यक्ष रूप से हमला करने या विस्फोट करने का प्रयास करते हैं, जैसे- उपग्रह-रोधी हथियार।
  - **नॉन-काइनेटिक फिजिकल हथियार:** ये ऐसे हथियार होते हैं, जो बिना किसी भौतिक संपर्क के उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों को प्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं, उदाहरणार्थ- लेजर, **उच्च शक्तिशाली माइक्रोवेव (High-Powered Microwave: HPM) हथियार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) हथियार।**
  - **इलेक्ट्रॉनिक हमला:** ये उन साधनों को लक्षित करते हैं, जिनके माध्यम से अंतरिक्ष प्रणालियां रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सिग्नलों को अवरुद्ध करके या स्पूफिंग (धोखा देकर) के द्वारा डेटा को प्रेषित और प्राप्त करती हैं।
    - स्पूफिंग इलेक्ट्रॉनिक हमले का एक रूप होता है, जिसमें हमलावर एक फेक सिग्नल (हमलावर द्वारा निर्मित) पर विश्वास करने हेतु एक प्राप्तकर्ता को चकमा देता है। प्राप्तकर्ता इसे एक वास्तविक संकेत समझकर इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है।
  - **साइबर-हमले:** ये डेटा और ट्रैफ़िक पैटर्न की निगरानी करके या सिस्टम में मिथ्या या अनुपयोगी डेटा अंतर्विष्ट कर सैटेलाइट्स को लक्षित कर सकते हैं।

बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty: OST), 1967

- यह एक **बहुपक्षीय संधि** है, जो **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून** पर आधारभूत ढांचा प्रदान करती है।
- यह **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति** द्वारा प्रशासित है।
- **भारत** इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और भारत द्वारा वर्ष 1982 में इसकी अभिपुष्टि की गई थी।
- **OST के प्रमुख सिद्धांत:**
  - सभी देशों के लाभ और हित के लिए **अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोग की स्वतंत्रता।**
  - कोई भी राष्ट्र **बाह्य अंतरिक्ष** (चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित) पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता।
  - बाह्य अंतरिक्ष में **परमाणु हथियारों या सामूहिक विनाश के अन्य किसी भी प्रकार के हथियारों की तैनाती** का निषेध।

बाह्य अंतरिक्ष के नियमन के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियां

- **मून एग्रीमेंट, 1979:** यह सुनिश्चित करता है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जाएगा और उनके वातावरण को बाधित नहीं किया जाएगा।
- **वर्ष 1972 का लायबिलिटी कन्वेंशन (Liability Convention)** खगोलीय पिंडों को क्षति न पहुँचाने के लिए उत्तरदायित्व के मानकों को स्थापित करता है।
- **रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, 1975** के अनुसार देशों को बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की गई सभी सामग्रियों (objects) को संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत करवाने की आवश्यकता होती है।
- **आंशिक परीक्षण निषेध संधि (Partial Test Ban Treaty: PTBT)** बाह्य अंतरिक्ष में सभी परमाणु हथियारों के परीक्षण को प्रतिबंधित करती है।

VISION IAS

- **उत्तरदायी अन्तरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस एकॉर्ड (Artemis Accords" for Responsible Space Exploration):** आर्टेमिस एकॉर्ड नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के मध्य द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है। इसका उद्देश्य असैन्य अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।
    - यह एकॉर्ड वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है।
    - फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले ही इसे अपना समर्थन प्रदान कर चुके हैं। हालांकि भारत ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।

अंतरिक्ष में शांति को प्रभावित कर सकने वाले हालिया वैश्विक घटनाक्रम

- **अमेरिका का अंतरिक्ष सैन्य बल:** अमेरिका ने अपनी वायु सेना की अंतरिक्ष कमान को अमेरिकी अंतरिक्ष बल में परिवर्तित कर दिया है। यह अंतरिक्ष में अमेरिका के हितों की रक्षा करने, हमलों को रोकने आदि के प्रति समर्पित एक सैन्य शाखा है।
- **फ्रांस** ने वर्ष 2019 में अपनी प्रथम **फ्रांसीसी अंतरिक्ष रक्षा रणनीति** जारी की थी, जिसने फ्रांसीसी सैन्य अंतरिक्ष संगठन को उन्नत किया तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी से फ्रांसीसी सैन्य उपग्रहों का नियंत्रण सेना को पुनः हस्तांतरित किया।
- हाल ही में **ईरान** ने घोषणा की है कि उसने **नूर (प्रकाश) नामक एक सैन्य टोही उपग्रह** को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस द्वारा **रोंडेहु एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस (Rendezvous and Proximity Operations: RPOs)** का संचालन किया गया है। RPOs को सामान्यतः **सिविल/वाणिज्यिक प्रयोजनों** हेतु आयोजित किया जाता है, जैसे- सर्विसिंग, मरम्मत, पुनः ईंधन भरना और उपग्रहों का निरीक्षण करना। परन्तु, निगरानी उपकरणों या हथियारों के रूप में उपग्रहों के संभावित उपयोग के कारण, इस प्रकार के अभियान के संचालक व ऐसे उपग्रहों से युक्त देश अत्यधिक संदिग्ध हो जाते हैं।

अंतरिक्ष में हथियारों की संभावित प्रतिस्पर्धा के लिए उत्तरदायी कारक

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा में अंतरिक्ष की महत्ता:** पूर्व-चेतावनी प्रणाली, रिमोट-सेंसिंग (सुदूर संवेदन) उपग्रह और मौसम आधारित उपग्रह राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार, राष्ट्र अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए काउंटरस्पेस क्षमताओं (तुलनात्मक रूप से अधिक अंतरिक्ष क्षमताओं) को विकसित करने हेतु उत्सुक हैं।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास:** सूक्ष्म और नैनो उपग्रहों का उद्भव, बड़े उपग्रहों, उपग्रह जैमर (अवरोधकर्ता), कॉम्पैक्ट (सुगठित) जासूसी उपग्रहों इत्यादि के मध्य उच्च युद्धक क्षमताओं, बेहतर साइबर अवसंरचना आदि ने एक राष्ट्र की आक्रामक और रक्षात्मक अंतरिक्ष कार्रवाइयों में भाग लेने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि की है।
- **बाह्य अंतरिक्ष में वाणिज्यिक हितों की रक्षा:** क्षुद्रग्रहों और खगोलीय पिंडों के खनन और वाणिज्यिक दोहन से अंतरिक्ष के भू-राजनीतिक विवाद का क्षेत्र बनने की संभावना उत्पन्न हो गई है।
- **अंतरिक्ष को एक अन्य युद्ध संघर्ष वाले क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।**
- **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने हेतु एक सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय संधि का अभाव।**
- **अंतरिक्ष कार्यक्रम की पारदर्शिता और दोहरे उपयोग की प्रकृति का निम्न स्तर।**

बाह्य अंतरिक्ष में एक युद्ध के संभावित परिणाम:

- **अंतरिक्ष मलबा:** एक उपग्रह को नष्ट करने वाली कोई भी मिसाइल, मलबे को हजारों खंडों में विखंडित कर देती है। यह **केसलर सिंड्रोम** को उत्पन्न कर सकता है, जिसमें इन टकरावों से निर्मित मलबा और भी अधिक मलबे का निर्माण करेगा, जिससे एक सोपानिक (कैस्केडिंग) प्रभाव जारी रहेगा।
- महँगी और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना के विनाश के कारण व्यापक **आर्थिक क्षति।**
- **जीवन और संपत्ति को अत्यधिक हानि** पहुंचाने की संभावना।
- **विवादों के समाधान में कठिनाई होगी,** क्योंकि अंतरिक्ष में किए गए कुछ हमलों के मध्य यह भेद करना दुष्कर होगा कि ये किसी राष्ट्र द्वारा किए गए हैं या इन आक्रमणों हेतु कोई **गैर-राज्य अभिकर्ता** उत्तरदायी है।
- **पूर्ण युद्ध (full-fledged war)** का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

VISION IAS

आगे की राह

- **एक नई अंतरिक्ष संधि की आवश्यकता है:** जिसमें अंतरिक्ष हथियारों की तैनाती पर एक सुदृढ़ प्रामाणिक तंत्र, गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत, एक-दूसरे के सैटेलाइट्स कितनी निकटता से युक्तिपूर्ण कार्यवाही कर सकते हैं, इसके लिए निकटता संबंधी नियम, डेटा साझा करने की प्रणाली, मिसाइल परीक्षण संबंधी अधिसूचनाएं तथा अंतरिक्ष मलबे को हटाने में सहयोग करना आदि प्रावधान शामिल होने चाहिए।
- अंतरिक्ष में आक्रामक या रक्षात्मक हथियारों की तैनाती को रोकने तथा अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित करने हेतु भी **शस्त्र नियंत्रण समझौतों का उपयोग** किया जा सकता है।
- **देशों के मध्य अत्यधिक सहयोग:** सैटेलाइट्स (जो या तो एक-दूसरे के निकट स्थित हैं या एक-दूसरे के निकट से नियमित रूप से गुजरती हैं) की तकनीकी क्षमताओं को साझा करने के संबंध में देशों के मध्य अत्यधिक सहयोग की आवश्यकता है।

भारत की काउंटर स्पेस क्षमताएं

- **मिशन शक्ति:** वर्ष 2019 में, भारत **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन** के उपरांत चौथा ऐसा देश बन गया था, जिसने निम्न भू-कक्षा में एक उपग्रह को लक्षित करने वाली एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
    - इस मिशन के अंतर्गत भारत ने पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित **बाह्य अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट के अवरोधन की अपनी क्षमता** का प्रदर्शन किया था।
- सेना, नौसेना और वायु सेना की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की कमान हेतु **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency: DSA)** की स्थापना की गई थी, जिसमें सेना की सैटेलाइट-रोधी क्षमता भी शामिल थी।
    - यह अंतरिक्ष-आधारित खतरों को संबोधित करने सहित अंतरिक्ष में भारत के हितों की रक्षा के लिए एक रणनीति भी तैयार करेगी।
- DSA को तकनीकी और अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए एक **रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Defence Space Research Organisation : DSRO)** का भी गठन किया गया है।
- **इंडस्पेसएक्स (IndSpaceEx)** [कृत्रिम अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास] को वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में संघर्ष होने की स्थिति में महत्वपूर्ण चुनौतियों और कमियों की पहचान करना है।

8.3. निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने घोषणा की है कि वह **आदित्य (ADITYA)** नामक एक परियोजना के अंतर्गत **निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons: DEWs)** विकसित कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- DRDO की दो प्रयोगशालाओं, यथा- **उच्च ऊर्जा प्रणाली तथा विज्ञान केंद्र (Centre for High Energy Systems and Sciences: CHESS)** और **लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (Laser Science & Technology Centre: LASTEC)** में DEW परियोजना पर कार्य जारी है।
- DRDO की इस राष्ट्रीय योजना में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए जाएंगे। कोशिश होगी कि घरेलू उद्योग के साथ मिलकर 100 किलोवाट क्षमता तक के DEWs विकसित किए जा सकें।

डायरेक्टेड एनर्जी वेपंस या निर्देशित ऊर्जा हथियार क्या हैं?

- DEW परियोजना के तहत मुख्यतः दो क्षेत्रों, यथा- **उच्च उर्जा वाली लेजर किरणों (High-Energy Lasers: HELs);** और **उच्च शक्ति वाली लाघुतरंगों (High-Power Microwaves: HPMs)** -मिलीमीटर तरंगें और लघुतरंगें (माइक्रोवेव्स)- को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त DEWs के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक जैमर से लेकर लेजर सहित हथियार संबंधी सभी प्रणालियों को भी शामिल किया जाएगा। ये हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन को आसमान में नष्ट कर देंगे।
- **इसकी कार्यप्रणाली:**
  - एक DEW बिना प्रक्षेप्य (projectile) साधनों के **लक्षित दिशा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है।**
  - यह लक्ष्य की दिशा में ऊर्जा का अंतरण कर **अनियमित ऊष्मा प्रभाव उत्पन्न करता है** जो लक्ष्य को विफल कर उसे नष्ट कर देता है।
  - मनुष्य पर इन हथियारों के प्रभाव को घातक से गैर-घातक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- ऊपर निर्दिष्ट DEW के दो प्रकारों में **HEL को अधिक महत्व** दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि अन्य विकल्पों की तुलना में **HEL का संचालन आसान और परिचालन लागत** कम है।

मिसाइलों जैसे गतिज ऊर्जा वाले हथियारों (Kinetic Energy Weapons: KEWs) की तुलना में DEWs के क्या लाभ हैं?

- ये **प्रकाश की गति** (भविष्य, वर्तमान और अतीत के सभी पारंपरिक हथियारों से अत्यधिक तीव्र गति) से चलने में सक्षम होते हैं। लक्ष्य को भेदने के लिए किसी जटिल गणना की आवश्यकता नहीं होती है और ये एकदम सटीक निशाना लगाते हैं।
- **इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है।** अतः प्रक्षेपपथ (trajectory) संबंधी गणना की आवश्यकता नहीं होती है।
- **ये अदृश्य रह सकते हैं और बिना कोई आवाज किए हमला कर सकते हैं,** जिससे हमलावर का पता नहीं चलता है।
- इन्हें **कुछ सेकंड से लेकर एक मिनट** के अंतर्गत दागा जा सकता है।
- **इसमें मैग्जीन रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं** होती है, इसके लिए केवल ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

- इनमें किसी प्रकार का आवेग न होने के कारण प्रतिघात (जिस तरह कोई तोप या बंदूक को चलाने के बाद झटका लगता है) भी नहीं होता है। इसलिए इन्हें तैनात करने के लिए विशाल क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। **अतः इन्हें छोटे से क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है जो इनकी गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होता है।**
- **पारंपरिक हथियारों की तुलना में इनकी परिचालन सीमा (Operation range) अत्यधिक व्यापक है।**

DEWs के उपयोग में क्या सीमाएं हैं?

- **लक्ष्य को लेजर की दृष्टिरेखीय सीमा में होना चाहिए।**
- प्रकाश किरण का अंतर्निहित गुण विचलन है, जो इसकी परास सीमा को **लगभग 100 कि.मी. तक सीमित करता है और इस सीमा से परे किसी लक्ष्य को लक्षित कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है।** हालांकि इसकी परास सीमा में वृद्धि करने के लिए तकनीकी प्रगति के पक्ष पर काम किया जा रहा है।
- **वर्तमान में इसके लिए अत्यधिक विशाल ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है,** लेकिन अतिचालकता और नैनोप्रौद्योगिकी में उन्नति से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- परावर्तक सतहों के प्रयोग, जल के छिड़काव आदि के माध्यम से तथा **लक्ष्य पर एक स्मोक स्क्रीन (धुएं का एक कृत्रिम बादल) सृजित कर प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन किया जा सकता है।**

उपर्युक्त सीमाओं के कारण निर्देशित ऊर्जा हथियार को KEWs के एक विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ये गतिज ऊर्जा वाले हथियारों (KEW) के सहायक के रूप में और उनके साथ उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन, ICT उपकरणों के साथ-साथ परमाणु हथियारों को अक्षम, निष्फल, विकृत या नष्ट करने में सक्षम एकमात्र हथियार प्रणाली DEW है, इसलिए देशों के लिए इनके विकास की ओर उन्मुख होना आवश्यक हो जाता है।

DEW के विकास के पीछे भारत के उद्देश्य क्या हैं?

- **चाइना फैक्टर (चीन संबंधी कारक):** भारत के निम्नस्तरीय सुरक्षा परिवेश, विशेषकर चीन के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में DEW के विकास को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन भी DEW प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए भारत के लिए रक्षा संबंधी उपायों के रूप में इन प्रौद्योगिकियों का विकास अनिवार्य हो जाता है।
- **भविष्य के संभावित हथियार:** परिचालन संबंधी और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो DEW भविष्य के हथियार हो सकते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एक निश्चित स्तर तक इनके विकसित हो जाने के बाद हमला करने वाले UAVs और ड्रोनों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ज्ञातव्य है कि हालिया आर्मेनिया-अज़रबैजान युद्ध में UAVs और ड्रोनों का अत्यधिक उपयोग किया गया था।

DEWs के विकास के संबंध में भारत की क्षमताएं

हालांकि भारत अभी भी इस प्रौद्योगिकी का विकास करने के प्रारंभिक चरणों में है और अभी इसकी परिचालन क्षमता को प्राप्त करने से बहुत दूर है, वहीं ऐसी प्रौद्योगिकियों में प्रगति राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों के संबंध में लाभकारी होगी। DEW के संबंध में अन्य उपलब्ध सूचनाएं हैं:

- DRDO द्वारा दुश्मन देश के ड्रोनों के विरूद्ध उपयोग हेतु **वाहन-आधारित उच्च शक्ति वाली लेजर निर्देशित ऊर्जा प्रणाली** (vehicle-mounted high-power laser-directed energy system) विकसित की गई है।
- LASTEC द्वारा एक **रासायनिक ऑक्सीजन आयोडीन लेजर** (Chemical Oxygen Iodine Laser: COIL) का विकास

VISION IAS

किया जा रहा है। यह 30-100 किलोवाट की **'वाहन आधारित गैस प्रणाली युक्त उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित DEW'** (vehicle-mounted gas dynamic high-power laser-based DEW) है।

- भारत ने **"काली" (अर्थात् किलो एम्पीयर लीनियर इंजेक्टर)** नामक एक प्रणाली विकसित की है। इसे DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा विकसित किया गया है। यह लंबी दूरी की मिसाइलों को लक्षित करने के लिए एक रैखिक इलेक्ट्रॉन त्वरक है।
- वर्तमान क्षमताओं का पूर्ण दोहन करने के लिए DRDO द्वारा **अनुसंधान और विकास कार्यों में निजी क्षेत्रक को सम्मिलित करने** की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

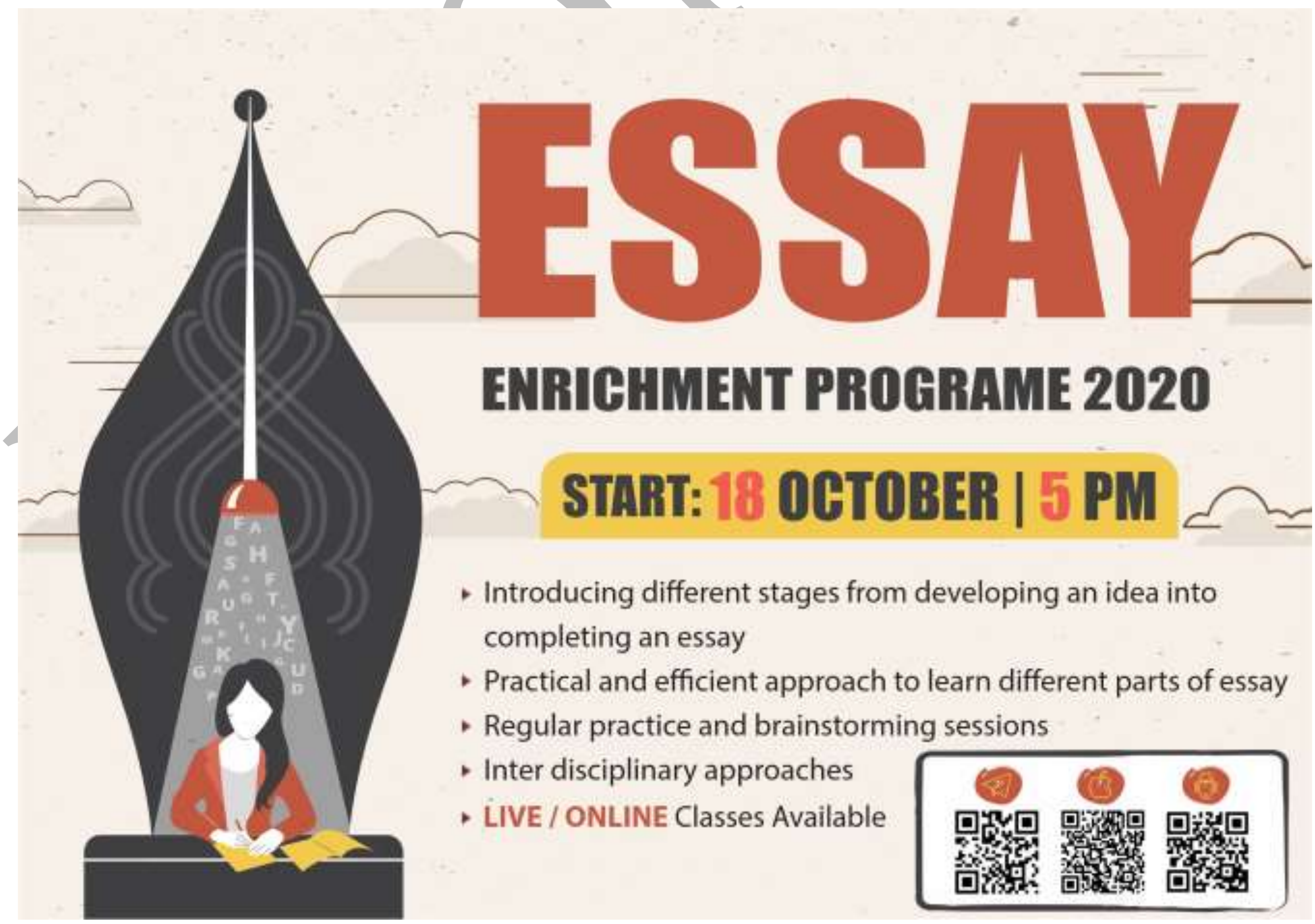

9. विविध (Miscelleneous)

9.1. हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री जलदस्युता (Piracy in the Indian Ocean Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से **जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन (Djibouti Code of Conduct/ Jeddah Amendment: DCOC/JA)** में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization: IMO) के अंतर्गत स्थापित DCOC का उद्देश्य **पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाज़ों के साथ होने वाली जलदस्युता (piracy) एवं सशस्त्र डकैती का दमन करना है।**
  - **जेद्दा संशोधन ने जिबूती संहिता के दायरे को काफी हद तक विस्तारित किया** है। वर्ष 2017 में इस संशोधन को जेद्दा, सऊदी अरब में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अपनाया गया था।
  - डकैती के कृत्य में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, गिरफ्तारी तथा अभियोजन, संदिग्ध जहाजों को प्रतिबंधित एवं उनको जब्त करने, जलदस्युता व सशस्त्र डकैती से जहाजों और लोगों की सुरक्षा करने तथा संयुक्त अभियानों का आयोजन करने आदि कार्यों में सदस्य देशों सहयोग करते हैं।
- DCOC/JA समुद्री मामलों पर एक समूह है, जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी व अफ्रीका के पूर्वी तट से संलग्न देश तथा हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीपीय राष्ट्रों सहित 18 सदस्य देश शामिल हैं।
- एक **पर्यवेक्षक** के रूप में, **भारत** हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए समन्वय एवं सहयोग करने हेतु DCOC/JA के सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

पायरेसी या जलदस्युता, हिंद महासागर क्षेत्र में इससे संबंधित खतरे और वर्तमान स्थिति के बारे में

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) के अनुच्छेद 101 के अंतर्गत, पायरेसी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "किसी निजी पोत या विमान के यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य की अधिकारिता से बाहर किसी अन्य पोत, विमान, व्यक्तियों या संपत्तियों के विरुद्ध खुले समुद्र में की गई हिंसा या निरोध का कोई भी अवैध कार्य" जलदस्युता कहलाता है।

समुद्र में समृद्ध संसाधनों की उपलब्धता, स्थलीय क्षेत्रों (अर्थात् तटीय देशों) में राजनीतिक अस्थिरता, कानून के प्रवर्तन का अभाव और निर्धनता आदि इसके प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं, जिन्होंने लगातार बढ़ती जलदस्युता की घटनाओं में योगदान दिया है। जलदस्युता के मामले **मुख्यतः अपहरण और फिरौती अदायगी के साथ** जहाजों के अपहरण के रूप में सामने आते हैं। इससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे-

- ऐसी घटनाओं से व्यापार में बाधा के रूप में **राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं** को खतरा उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए, **अफ्रीका के 90% से अधिक आयात और निर्यात** समुद्री मार्गों द्वारा संचालित होने के कारण **अफ्रीका के प्रमुख समुद्री मार्ग** (संचार के समुद्री गलियारे) **जलदस्युता** द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।

- **अधिकांश समुद्री डकैती के हमले** तेल और गैस परिवहन में शामिल जहाजों, जैसे- टैंकर, बड़े माल वाहक जहाज और टगबोट आदि के विरुद्ध किए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे देशों के वाणिज्यिक जहाजों और मत्स्यन में प्रयुक्त होने वाली नौकाओं को भी जलदस्युओं द्वारा लक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2018 में नाइजीरिया की तटरेखा के निकट सबसे अधिक हमले हुए हैं। यह आंशिक रूप से **"पेट्रो-पाइरेसी"** (पेट्रोलियम के लिए डकैती) के कारण हुए हैं, जहां विशेषकर नाइजीरिया के समृद्ध तेल और गैस क्षेत्रों से आने वाले टैंकरों को लक्षित किया जाता रहा है।

वर्ष 2008 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के **जलदस्युता रोधी अभियानों हेतु संकल्प** द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में जलदस्युता के खतरे को मान्यता प्रदान की गई। उस समय, जलदस्युता को स्थानीय और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा दोनों के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था। हालांकि तब से, निम्नलिखित गतिविधियां हुई हैं:

- वर्ष 2011 के आसपास जलदस्युता संबंधी घटनाएं **अपने चरम** पर पहुंच गई थी। इस दौरान लगभग **160 बड़ी घटनाएं** दर्ज की गईं थी।
- **वर्ष 2013 के बाद से** हमलों और अपहरणों की संख्या में **काफी गिरावट** आई है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में जलदस्युता संबंधी केवल दो घटनाएँ दर्ज हुईं थी।
- इन घटनाओं में कमी के परिणामस्वरूप, हिंद महासागर में जलदस्युता के लिए **"उच्च जोखिम क्षेत्र" (High Risk Area: HRA)** की भौगोलिक सीमा में कमी आई है।
  - HRA उस क्षेत्र को इंगित करता है, जहां जलदस्युता का खतरा विद्यमान होता है।
  - इन्फोग्राफिक में HRA के पहले वाले हिस्से में उल्लिखित **बैंगनी क्षेत्र**, अब **स्वैच्छिक रिपोर्टिंग क्षेत्र** (Voluntary Reporting Area:VRA) के अंतर्गत आता है।
- इस क्षेत्र में **जलदस्युता से प्रभावित होने वाले नाविकों में से लगभग आधे फिलीपींस** से हैं, इसके बाद वे भारत, यूक्रेन और नाइजीरिया से संबंधित हैं।

वैश्विक परिस्थितियों के समक्ष जलदस्युता: "वन अर्थ फ्यूचर" रिपोर्ट

वन अर्थ फ्यूचर वस्तुतः वैश्विक वार्षिक **समुद्री जलदस्युता की स्थिति** (State of Maritime Piracy) संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करता है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है कि - "जहां विश्व के कुछ क्षेत्रों में जलदस्युता से संबंधित हमलों में काफी गिरावट आई है, वहीं पश्चिम अफ्रीका में ऐसे घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान में यहाँ ये घटनाएँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक और निरंतर घटित हो रही हैं।"

- वर्ष 2018 में, पश्चिम अफ्रीकी समुद्री क्षेत्र में **112 जलदस्युता की घटनाएं** घटित हुई थी।
- वर्ष 2015 में **एशिया में** मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित, **मलक्का जलडमरूमध्य** में भी ऐसे **हमलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि** हुई थी। हालाँकि, क्षेत्रीय नौसैनिक बलों द्वारा की गई कार्रवाई के कारण वहां ऐसे घटनाओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन जलदस्युता की घटनाएं अब भी विद्यमान हैं।
- **कैरिबियन क्षेत्र और लैटिन अमेरिकी के अपतटीय जल क्षेत्र में नौ-परिवहन के विरुद्ध** हमले बढ़ गए हैं। वेनेजुएला विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जलदस्युता से प्रभावित एक हॉटस्पॉट (hotspot) क्षेत्र बन गया है।

VISION IAS

इस क्षेत्र में जलदस्युता को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास

तेल और उर्वरकों सहित भारतीय व्यापार का एक बड़ा प्रतिशत, अदन की खाड़ी से होकर गुजरता है। एक अनुमान के अनुसार, अदन की खाड़ी के माध्यम से होने वाले **भारतीय आयात और निर्यात** का मौद्रिक मूल्य क्रमशः **50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** और **60 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है। इस मार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों के माध्यम से समुद्री व्यापार की सुरक्षा और निर्बाध निरंतरता, एक प्रमुख राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस आलोक में, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- **समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक (एंटी-मैरीटाइम पायरेसी बिल), 2019** के रूप में **विधायी प्रयास** किए गए हैं। निम्नलिखित को विधेयक की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उद्धृत किया जा सकता है-
  - इस विधेयक के अनुसार जलदस्युता से आशय, **किसी निजी पोत या वायुयान के कर्मी दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य हेतु किसी पोत, वायुयान, व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध हिंसा, बंधक बनाने अथवा नष्ट करने की गैर-कानूनी कार्रवाई करने से है।**
  - **विधेयक की प्रयोज्यता (Applicability of the Bill):** इस विधेयक के उपबंध भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं से संलग्न और उससे परे सभी समुद्री भागों पर लागू होंगे।
  - **प्रत्यर्पणीय आपराधिक मामले (Extraditable Offence):** इसका तात्पर्य यह है कि अपराधी को कानूनी प्रक्रिया के लिए ऐसे किसी भी देश में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसी संधियों के अभाव में अपराधी देशों के मध्य पारस्परिकता के आधार पर प्रत्यर्पण किए जाएंगे।
  - **प्राधिकृत न्यायालय (Designated Courts):** केंद्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जलदस्युता के अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए सत्र न्यायालयों को विधेयक के अंतर्गत प्राधिकृत न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

ऐसे कानून की आवश्यकता

- **जलदस्युता पर एक व्यापक और एक विशिष्ट घरेलू कानून के निर्माण हेतु:** अब तक, **जलदस्युता संबंधी** मुद्दों के निपटान के संबंध में भारतीय दंड संहिता और कुछ न्यायालयों के एडमिरलिटी (नौवहन) अधिकारिता से संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाता रहा है।
- **भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर जलदस्युता की बढ़ती घटनाओं से निपटने हेतु।**
- **सागरीय विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)** पर हस्ताक्षर करने के एवज में भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु।
- हमारे **समुद्री जहाजों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा** सहित भारत के समुद्री व्यापार की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देने हेतु।

- **अनुरक्षण और सुरक्षा (Escort and protection):** वर्ष 2008 से भारतीय नौसेना द्वारा अदन की खाड़ी में **जलदस्युता-रोधी** गश्त जारी है।
  - **भारतीय नौसेना और तट रक्षक जहाजों** को भी भारतीय तट के निकट जलदस्युता प्रवण क्षेत्रों में तैनात किया गया है। अभी तक भारतीय बलों द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 1,000 से अधिक जहाजों को अनुरक्षण प्रदान किया गया है और 40 से अधिक जलदस्युता की घटनाओं को घटित होने से रोका गया है।
  - नौवहन महानिदेशक (Director General Shipping) ने एक **वेब-आधारित पंजीकरण सेवा** शुरू की है, जहां अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा प्रदान की गई **अनुरक्षण (एस्कॉर्ट) सुविधा** का लाभ उठाने के लिए व्यापारिक जहाज नौवहन महानिदेशक के अंतर्गत पंजीकरण करवा सकते हैं।
- **वैश्विक समन्वय:** जलदस्युता से निपटने के लिए स्थापित किए गए विभिन्न बहुपक्षीय मंचो में भाग लेकर वैश्विक समन्वय को बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

VISION IAS

- ○ भारत **"शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी-कॉन्फ्लिक्शन (SHADE)"** जैसे विभिन्न तंत्रों का एक सक्रिय भागीदार देश रहा है, जिसे सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
- ○ **भारत, जापान और चीन** (चूँकि तीनों राष्ट्र यहाँ स्वतंत्र रूप से गश्त में संलग्न हैं) ने **समन्वयपूर्ण गश्त** हेतु सहमति व्यक्त की है, ताकि विशेष रूप से अदन की खाड़ी में सभी प्रमुख जहाजों द्वारा उपयोग के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित पारगमन गलियारे में (समुद्री जहाजों को अनुरक्षण प्रदान करने के लिए) संयुक्त समुद्री संपत्तियों का एक प्रभावी और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जलदस्युता के दमन हेतु किए गए प्रयास

- **सोमालिया अपतटीय क्षेत्र में जलदस्युता पर संपर्क समूह (Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia: CGPCS):** इसे वर्ष 2009 में सोमालिया के अपतटीय क्षेत्र में जलदस्युता के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय के लिए एक स्वैच्छिक व तदर्थ अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था।
    - ○ वर्तमान में **60 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन** CGPCS में भाग लेते हैं।
- **समुद्री सुरक्षा कार्यक्रम (Maritime Security Programme: MASE):** यह पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। MASE के अंतर्गत, हिंद महासागर आयोग द्वारा मेडागास्कर और सेशेल्स में दो क्षेत्रीय केंद्रों के साथ पश्चिमी हिंद महासागर की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है।
- **समुद्री अपराध कार्यक्रम - हिंद महासागर {Maritime Crime Programme (MCP) - Indian Ocean}:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के समुद्री अपराध कार्यक्रम {United Nations Office on Drugs and Crime's (UNODC) Maritime Crime Programme} के तहत हिंद महासागर दल (Indian Ocean team) आपराधिक न्याय क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ-साथ समुद्री अपराधों का सामना करने की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने और समन्वय स्थापित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में राष्ट्रों की सहायता करता है। इसके प्रमुख पहलुओं को निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जा सकता है:
    - ○ **क्षेत्रीय "जलदस्युता अभियोजन मॉडल" (Regional "Piracy Prosecution Model"):** यह जलदस्युता रोधी अभियानों को एक 'विधिक परिणाम' प्रदान करता है।
    - ○ **जलदस्युता से संबंधित कैदियों का स्थानांतरण कार्यक्रम (Piracy Prisoner Transfer Programme):** इसका उद्देश्य क्षेत्रीय राज्यों में जलदस्युता के दोषी व्यक्तियों को शेष कारावास अवधि हेतु सोमालिया की UNODC समर्थित कारागारों में स्थानांतरित करना है।
    - ○ **जलदस्युता-रोधी समर्थन के अतिरिक्त गतिविधियां (Activities beyond counter-piracy support):** MCP हिंद महासागर कार्यक्रम वस्तुतः मादक पदार्थों की तस्करी जैसे समुद्री अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला से निपटने की दिशा में अपनी क्षमता विस्तार हेतु क्षेत्रीय राज्यों के साथ कार्यरत है।
- **अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास:** इनमें **अफ्रीकी संघ का लोम चार्टर (African Union's Lomé Charter)** और **याउंडे आचार संहिता (Yaoundé Code of Conduct)** शामिल हैं। इन्हें पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में लागू किया गया है।

सोमालिया के पुंटलैंड (Puntland) राज्य से प्राप्त सीख

- वर्ष 2008 से **पुंटलैंड** जलदस्युता के विरुद्ध कार्यरत है।
- जलदस्युता संबंधी गतिविधियों का केंद्र होने के बावजूद, जलदस्यु समूहों को दूर रखने और तट को सुरक्षित करने के लिए इस संघीय राज्य ने **समुद्री पुलिस बल की स्थापना करने** जैसे सक्रिय और प्रभावी प्रतिक्रियात्मक उपाय किए हैं।

VISION IAS

मूल कारण को संबोधित करना: आगे की राह

हाल के दिनों में हिंद महासागर क्षेत्र में जलदस्युता-रोधी प्रयासों में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। लेकिन जलदस्युता **के मूल कारण** अर्थात् **सोमालिया के तटीय समुदायों में निर्धनता, रोजगार के अवसरों की कमी** और साथ ही **विधिक, शासकीय और समुद्री बुनियादी ढांचे की कमी** को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

जलदस्युत-रोधी उपायों की दीर्घकालिक सफलता एक **स्थिर और एकीकृत सोमालिया** पर निर्भर करती है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है:

- एक अधिक सुसंगत क्षेत्रीय प्रयास के माध्यम से **तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम** द्वारा इन समूहों को मिलने वाले **आर्थिक समर्थन को रोकने में मदद** मिलेगी।
- **सोमालिया की नौसेना के क्षमता निर्माण की आवश्यकता है**, ताकि विदेशी नौसेनाओं पर निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता उत्तरोत्तर कम होती जाए।
- जलदस्युओं के नेटवर्कों को उभरने में सक्षम बनाने वाले मूल कारणों को संबोधित करने के साथ-साथ व्यापक जलदस्युता-रोधी प्रयासों के जरिए **जलदस्यु समूहों पर दबाव बनाए रखना** चाहिए।

9.2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सैन्यीकरण (Militarization of Andaman and Nicobar Islands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन के साथ लद्दाख सीमा विवाद ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands: ANI) में अपनी सैन्य उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करने हेतु भारत को उत्प्रेरित किया है।

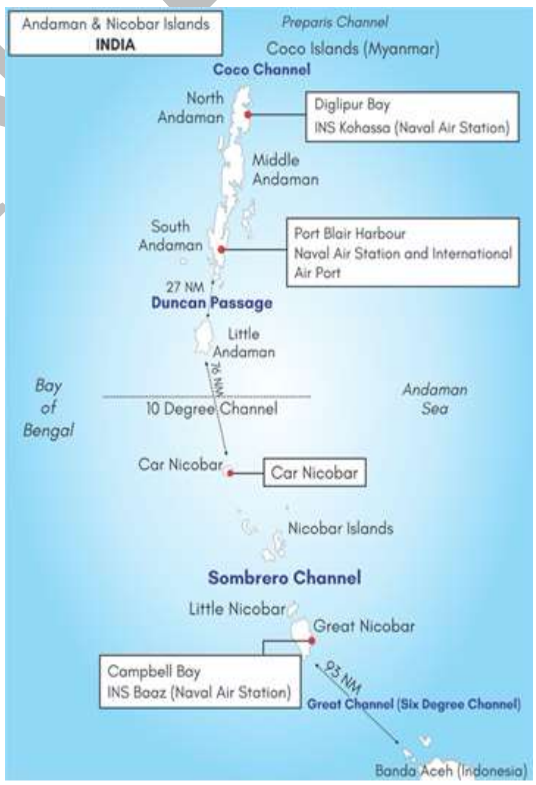

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार द्वारा सामरिक अवस्थिति वाले अंडमान द्वीप समूह पर अतिरिक्त युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल बैटरियों और थल सेना के सैनिकों हेतु सुविधाओं सहित **अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती** की योजना निर्मित की गई है।
- **शिबपुर में स्थित INS कोहासा और कैंपबेल खाड़ी में स्थित INS बाज** नौसेना वायु स्टेशनों के रनवे का विस्तार किया जा रहा है, ताकि उनको बड़े विमानों के परिचालन हेतु सक्षम बनाया जा सके।।
- ज्ञातव्य है कि भारतीय सामरिक समीक्षकों द्वारा भी **मैत्रीपूर्ण देशों की नौ सेनाओं को ANI के सैन्य अड्डों तक पहुंच प्रदान करने** की अनुमति देने की अनुशंसा की जा रही है।

ANI का सैन्यीकरण करने की आवश्यकता क्यों है?

- **चीन की बढ़ती उपस्थिति:** हालिया वर्षों में, चीन ने **हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region: IOR)** में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया है।
  - इसके उदाहरणों में शामिल हैं: कोलंबो बंदरगाह पर एक पनडुब्बी की तैनाती, ग्वादर और जिबूती में नौ-सैन्य अड्डों की स्थापना करना आदि।
- **सामरिक अवस्थिति:** ये द्वीप भारत को IOR में अपने महत्वपूर्ण हितों को साधने में सहायता प्रदान करते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भारत ने **अंडमान और निकोबार त्रि-सेवा कमान (Andaman and Nicobar Tri service Command)** की स्थापना भी की है।
- **आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण:** ये द्वीप बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप हैं, जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अवस्थित हैं। **अत: विश्व का 30 प्रतिशत से अधिक समुद्री व्यापार इस संकरे क्षेत्र से होकर ही संचालित होता है।**
  - इन द्वीपों में भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ) का 30 प्रतिशत** भाग शामिल है।
- **बफर जोन:** ये द्वीप **भारत और IOR में अवस्थित अन्य देशों** के मध्य एक बफर जोन के रूप में भी कार्य करते हैं।

VISION IAS

हिन्द महासागर में भारत की उपस्थिति

- **सैन्य अभ्यास:** मिलन, मालाबार आदि।
- **लॉजिस्टिक्स-साझाकरण समझौते:** भारत द्वारा अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया सहित फ्रांस, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया के साथ भी **संभार तंत्र साझाकरण समझौते** संपन्न किए गए हैं। जापान के साथ भी इसी प्रकार की एक समझौता वार्ता अग्रिम चरण में है। उदाहरणों में शामिल हैं: सबंग (इंडोनेशिया), चांगी (सिंगापुर), दुकम (ओमान), अगालेगा (मॉरिशस), चाबहार (ईरान) आदि बंदरगाहों पर रसद आदान-प्रदान (लॉजिस्टिक एक्सचेंज) आदि।
- **अंडमान और निकोबार कमान:** यह भारतीय सशस्त्र बलों की प्रथम और एकमात्र त्रि-सेवा थियेटर (युद्ध क्षेत्र) कमान है। यह हथियारों व मादक द्रव्यों की तस्करी, जलदस्युता और अवैध शिकार को समाप्त करने हेतु भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र** (EEZ) में गश्त हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह समुद्री निगरानी व **मानवीय सहायता और आपदा राहत** (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR) अभियानों का संचालन भी करती है।

ANI के सैन्यीकरण से संबंधित चुनौतियाँ

- **दृष्टिकोण में स्पष्टता का अभाव:** अंडमान के सामरिक विकास के संदर्भ में, **भारत के रक्षा और विदेश नीति प्रतिष्ठानों का दृष्टिकोण सदैव एक समान नहीं रहा है।** यह द्वीपों पर सुरक्षा अवसंरचना के विकास में एक अवरोध के रूप में कार्य करता है।
  - भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों की जटिलता को देखते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर इन सामरिक अंतःक्रियाओं से चीन उत्तेजित हो सकता है और इससे दोनों देशों के मध्य शत्रुता बढ़ सकती है।
  - भारत के कई पड़ोसी देश भारत को एक **सौम्य और उदार शक्ति (benign and benevolent power)** के रूप में देखते हैं। इसलिए द्वीपों पर उपर्युक्त शक्ति प्रदर्शन भारत की इस अवधारणा को परिवर्तित कर देगा।
- **अवसंरचना और संचार का अभाव:** उल्लेखनीय है कि कई वर्षों के पश्चात् भी भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों को जोड़ने वाली समुद्र के भीतर केबल लिंक को बिछाने का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।
  - हाल ही में, **चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर** को जोड़ने वाली एक **सबमरीन (जलमग्न) ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC)** बिछाई गयी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय मोबाइल तथा लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं की प्रदायगी को सक्षम बनाएगी।
- **आवास योग्य द्वीपों का समूह:** अंडमान और निकोबार समूह के सभी 572 द्वीपों में से केवल 37 ही आवास योग्य हैं। अत: इन द्वीपों में से सैकड़ों पर मानवीय अनुपस्थिति ने इन्हें मादक द्रव्यों की तस्करी, विदेशी पोतों द्वारा घुसपैठ और अन्य अतिक्रमणों के प्रति संवेदनशील बना दिया है।
- **भौगोलिक कारक:** अत्यधिक वर्षा के कारण वर्ष में छह माह के लिए निर्माण गतिविधियां बाधित हो जाती है। इसके अतिरिक्त, मुख्य भूमि से दूरी भी निर्माण लागत में वृद्धि करती है, क्योंकि सभी सामग्रियों को जहाज़ों द्वारा ही द्वीपों पर भेजा जाता है।
- **संवेदनशील पारिस्थितिकी:** पर्यावरणविदों द्वारा सतर्क किया गया है कि हालिया अवसंरचनात्मक परियोजनाएं {जैसे कि नीति आयोग द्वारा कैंपबेल बे में होटल्स, रिसॉर्ट्स और एक पोतांतरण केंद्र (ट्रांसशिपमेंट हब) की योजना निर्मित की गई थी} अंडमान की सौम्य पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि पहले से ही अनेक द्वीप जलवायु संकट से होने वाली क्षति का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह

- भारत को ANI का सैन्यीकरण करने का अपना निर्णय लेते समय **'सामरिक स्वायत्तता (strategic autonomy)'** के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए।
  - सामरिक स्वायत्तता एक राज्य की, अन्य राज्यों द्वारा उत्पन्न किए गए किसी भी अवरोध से विचलित हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों का अनुसरण करने एवं अपनी अधिमान्य विदेश नीति के अंगीकरण की उसकी क्षमता को प्रदर्शित करती है।
- **मुख्य भूमि से द्वीपों की ओर प्रवासन को प्रोत्साहित करने** तथा इनमें से कुछ सामरिक अवस्थिति वाले निर्जन द्वीपों को पर्यटन के लिए खोलने की आवश्यकता है। इससे भारत को एक सुदृढ़ भौतिक अधिग्रहण प्राप्त होगा और यह पोतों व लोगों की आवाजाही की निगरानी करने में देश की सहायता भी करेगा।
- द्वीपों का विकास करते समय, भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि **उस स्थान की पारिस्थितिकी संरक्षित बनी रहे।**

VISION IAS

9.3. भारत का परमाणु सिद्धांत (India's Nuclear Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2020 में भारत ने परमाणु संपन्न राज्यों के विरूद्ध "पहले प्रयोग न करने" (No First Use: NFU) तथा गैर-परमाणु संपन्न राज्यों के विरूद्ध 'प्रयोग न करने' वाले परमाणु सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

परमाणु सिद्धांत का आशय क्या है और भारत के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख पहलू क्या हैं?

किसी भी परमाणु संपन्न देश के परमाणु सिद्धांत में वे सभी **लक्ष्य और उद्देश्य सम्मिलित** होते हैं, जो शांति एवं युद्ध दोनों के दौरान उक्त देश को **परमाणु हथियारों की तैनाती और उपयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। परमाणु सिद्धांत के प्रमुख लक्ष्यों** में प्राय: प्रतिरोधक क्षमता या भयादोहन (deterrence), लक्ष्य विनाश, मित्र राष्ट्रों को सहयोग और अनिश्चित भविष्य के विरूद्ध बचाव सम्मिलित हैं।

- भारत का परमाणु सिद्धांत प्रत्यक्ष युद्ध संघर्ष की जगह प्रतिरोधक क्षमता या भयादोहन के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। हालांकि भारतीय परमाणु सिद्धांत के प्रमुख पहलुओं को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:
    - **विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता (minimum deterrent) का विकास और उसे बनाए रखना:** विरोधी राष्ट्र को इस संबंध में आश्वस्त करना कि भारत के विरूद्ध परमाणु हमले का परिणाम क्षतिकारी और अस्वीकार्य होगा।
    - **पहले प्रयोग न करने (NFU) की नीति को बनाए रखना:** परमाणु हथियारों का उपयोग केवल भारतीय क्षेत्र पर या भारतीय सेनाओं पर हुए परमाणु हमले के प्रत्युत्तर में किया जाएगा।
    - **बड़े पैमाने पर जवाबी कार्यवाही:** परमाणु हमले के प्रति भारतीय अनुक्रिया को जवाबी कार्यवाही के रूप में संदर्भित किया जाता है जो हमलावर को अगणनीय एवं अस्वीकार्य क्षति पहुंचा सकती है।
    - **परमाणु हथियारों का राजनीतिक नियंत्रण:** परमाणु जवाबी कार्यवाही हमलों को केवल परमाणु कमान प्राधिकरण (Nuclear Command Authority: NCA) के माध्यम से नागरिक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। **NCA के तहत एक राजनीतिक परिषद और एक कार्यकारी परिषद सम्मिलित** है।
    - **परमाणु हथियारों का सशर्त उपयोग:** इसके तहत **गैर-परमाणु संपन्न देशों (Non-nuclear Weapon States: NNWS)** के विरूद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग न करना (नकारात्मक सुरक्षा आश्वासन) तथा भारत के विरूद्ध बड़े रासायनिक या जैविक हथियारों (CBW) से हमले की स्थिति में परमाणु हथियारों द्वारा जवाबी कार्यवाही का विकल्प शामिल है।
    - **अप्रसार:** इसके तहत परमाणु और मिसाइल से संबंधित सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण जारी रखना और एक विखंडनीय पदार्थ कटौती संधि {Fissile Material Cutoff Treaty (FMCT)} वार्ताओं में भागीदारी शामिल है।
    - **निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता:** इसमें परमाणु परीक्षणों पर रोक तथा प्रमाणित और भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु मुक्त विश्व के प्रति सतत प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है।

भारत की परमाणु क्षमताएं

- **पृथ्वी, अग्नि-1 और अग्नि-2 के साथ-साथ अग्नि-3** सहित भारत की वर्तमान **बैलिस्टिक मिसाइलों** को परमाणु युद्धक सामग्री के परिवहन क्षमता से युक्त बनाया गया है।
- भारत के पास कई लड़ाकू विमान हैं, जिनका उपयोग युद्धक सामग्री के परिवहन यानों के रूप में किया जा सकता है, जिनमें **जगुआर, मिराज-2000 और SU-30** सम्मिलित हैं।
- **परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत,** को समुद्री परमाणु हमले की क्षमता से युक्त बनाया गया है।

इन तीन प्रक्षेपण तंत्रों को **'परमाणु त्रयी' (Nuclear Triad)** के रूप में संदर्भित किया जाता है।

VISION IAS

वैश्विक परमाणु विमर्श या संवाद के संबंध में भारत का वर्तमान परमाणु दृष्टिकोण क्या है?

भारत की भागीदारी **प्रगतिशील परमाणु निरस्त्रीकरण और इस निरस्त्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए भेदभाव रहित और प्रमाणित प्रक्रिया को अपनाने** पर आधारित है। इन सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और व्यवस्थाओं पर भारत का दृष्टिकोण इस प्रकार है:

- **यद्यपि भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं,** तथापि इसने परमाणु परीक्षण पर एकपक्षीय प्रतिबंध को जारी रखा है। भारत, FMCT के लिए एक ऐसी वार्ता प्रक्रिया का भी समर्थन करता है जो "सार्वभौमिक, भेदभावरहित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापन योग्य" हो।
- **भारत इस तर्क के आधार पर दृढ़तापूर्वक परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से बाहर बना हुआ है** कि "परमाणु हथियार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिन्न अंग हैं तथा परमाणु हथियारों का वैश्विक उन्मूलन होने तक यही स्थिति बनी रहेगी।
- भारत द्वारा हालिया **परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)** के प्रवर्तन का विरोध किया गया है। भारत का मानना है कि यह निरस्त्रीकरण की दिशा में अत्यधिक प्रभावी नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत परमाणु आयुधों की सत्यापन प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया गया है।
    - भारत का मत है कि जिनेवा आधारित **निरस्त्रीकरण सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD)** इस दिशा में एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है।
- भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** के साथ एक **सुविधा-विशिष्ट रक्षोपाय (facility-specific safeguards)** समझौता (नागरिक नाभिकीय संयंत्रों ओ छूट) पर हस्ताक्षर किया है। इसके अतिरिक्त, भारत को **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)** की ओर से छूट प्रदान की गई है, जिसके तहत भारत अन्य देशों के साथ परमाणु सहयोग समझौतों में भाग ले सकता है।
- भारत **NSG में सदस्यता प्राप्ति हेतु प्रयासरत** है, जहां चीन को छोड़कर अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड और जापान सहित NSG के कई वर्तमान सदस्यों ने भारत को सदस्यता के लिए स्पष्ट समर्थन प्रदान किया है।
- भारत चार में से तीन **बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं** में सदस्यता प्राप्त कर चुका है। ये हैं- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (वर्ष 2016), वासेनार व्यवस्था (वर्ष 2017) और ऑस्ट्रेलिया समूह (वर्ष 2018)।
- संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन द्वारा भी **'परमाणु जोखिमों को कम करने'** पर कई अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें परमाणु हथियारों की डी-अलर्टिंग और डी-टारगेटिंग के माध्यम से परमाणु हथियारों के अनभिप्रेत और दुर्घटनावश उपयोग संबंधी जोखिम को कम करने के कदम शामिल हैं।

क्या भारत का परमाणु सिद्धांत वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक है या फिर इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है?

भारत के वर्तमान परमाणु सिद्धांत ने अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध पर्याप्त परमाणु प्रतिरोधक क्षमता या भयादोहन उत्पन्न करने के अपने उद्देश्य को पूरा किया है। लेकिन इसके साथ ही, वर्तमान सिद्धांत के परीक्षण से यह पता चला है कि क्षेत्र में तेजी से बदलती सुरक्षा गतिशीलता के साथ वर्तमान सिद्धांत को अद्यतन करने की आवश्यकता है। सरकार की हालिया टिप्पणियों से भी इस बहस को गति मिली है।

सरकार ने अपने वर्ष 2014 के चुनाव घोषणा-पत्र में बदलती भू-रणनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप प्रासंगिक बनाने के लिए भारत के परमाणु सिद्धांत का अध्ययन, संशोधन और अद्यतन करने का आश्वासन दिया था। अगस्त 2019 में, भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि भारत की NFU अर्थात् पहले उपयोग न करने की नीति को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जाएगा।

इस सिद्धांत की समीक्षा को प्रासंगिकता प्रदान करने वाले कारणों में शामिल हैं:

- **निरंतर विकसित और बदल रही भू-रणनीतिक वैश्विक व्यवस्था में आवधिक समीक्षा:** अमेरिकी और रूसी सरकारें समय-समय पर अपनी परमाणु नीति की समीक्षा करती रही हैं। हालांकि, भारतीय सिद्धांत में ऐसी व्यवस्था/विधियों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जो इस प्रकार की अनिवार्य समीक्षा की आवश्यकता पर जोर देती हो।

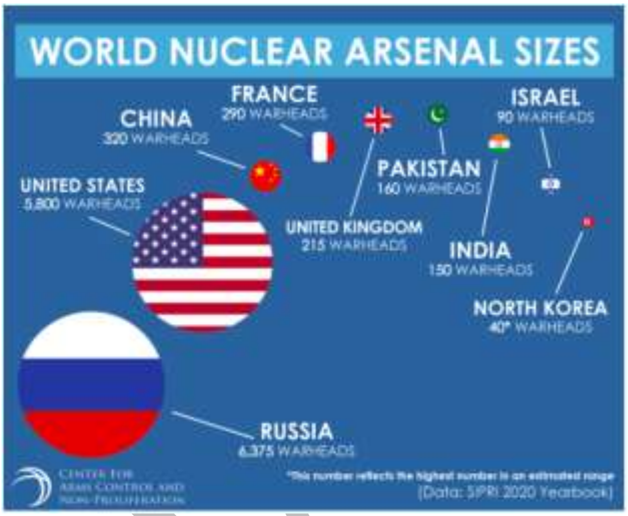

- **सैन्य क्षेत्र में तकनीकी प्रगति:** हालांकि भारत ने वैश्विक तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास किया है, चाहे वह बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) क्षमताएं हों या MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल) प्रक्षेपवक्र। लेकिन, अन्य प्रौद्योगिकियां, विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता की किसी भी देश की नीति को चुनौती दे सकती हैं।
- **पहले उपयोग न करने की नीति की प्रासंगिकता:** NFU, **भारत के परमाणु सिद्धांत का सर्वाधिक विवादित विषय** बना हुआ है।
    - **जो लोग इस व्यवस्था के विरूद्ध हैं,** उनका मानना है कि NFU के परिणामस्वरूप अस्वीकार्य रूप से शुरू में अत्यधिक क्षति पहुँच सकती है और भारतीय आबादी, शहरों और अवसंरचना को नुकसान पहुंच सकता है।
    - **वहीं दूसरी ओर, NFU दृष्टिकोण के पक्षधर सिद्धांतकारों का मानना है** कि NFU द्वारा निर्देशित भारतीय रणनीतिक प्रतिबंध की स्थिति के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक लाभ हुए हैं, जिनमें आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना और प्रौद्योगिकी अस्वीकरणीय व्यवस्थाओं को दूर करना सम्मिलित है।
- **जोखिमों की उभरती प्रकृति:** वर्तमान सिद्धांत 'परमाणु क्षेत्र में साइबर अपराध' और 'परमाणु आतंकवाद' जोखिमों के निपटान पर अस्पष्ट है। इस प्रकार के खतरों से न केवल राष्ट्र के व्यक्तिगत हितों को हानि पहुंच सकती है बल्कि यह समग्र रूप से वैश्विक सुरक्षा जोखिम का कारण भी बन सकता है।
- **रासायनिक और जैविक हमलों का प्रतिकार करना:** आलोचकों का यह तर्क है कि रासायनिक और जैविक हमलों की स्थिति में परमाणु हथियार आधारित जवाबी कार्यवाही का विकल्प आक्रामक स्थिति को संदर्भित करता है जो NNWS के लिए NFU के प्रति प्रतिबद्धता एवं विश्वसनीयता को कमजोर करता है। यह भी माना जा रहा है कि **जैविक हथियारों का स्रोत पता लगाना मुश्किल** है और साथ ही NNWS से उत्पन्न जोखिमों का निपटान पारंपरिक हथियारों से भी किया जा सकता है।

किस आधार पर वर्तमान सिद्धांत की समीक्षा की जा सकती है?

- **समर्पित रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम:** चूंकि परमाणु सिद्धांत को इसके प्रभावी प्रवर्तन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता नहीं मिल पाती है इसलिए भारत लगातार चीन जैसी अन्य परमाणु शक्तियों के समान रक्षा तकनीकी प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है।
- **'व्यापक स्तर पर बदला लेने' से संबंधित प्रतिबद्धता में लचीलापन को बढ़ावा देना:** इस प्रतिबद्धता के पीछे निहित औचित्य मुख्यतः विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता (credible deterrence) का सृजन करना है। लेकिन 'व्यापक स्तर पर बदला लेने' से संबंधित प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्व को परमाणु युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसे दूर करने के लिए, सिद्धांत में कुछ अस्पष्टता उत्पन्न की जा सकती है जो देश को प्रत्यक्ष युद्ध संघर्ष में शामिल हुए बिना सामरिक परमाणु हथियारों (Tactical Nuclear Weapons: TNWs) जैसे खतरों का प्रतिकार करने में सक्षम बनाता है।
- **विदेश नीति के साथ जोड़ना:** विदेश नीति भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और बदलती राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ निरंतर बदलती रही है। कुछ विशेषज्ञ बदलती विदेश नीति के आधार पर परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करने का सुझाव देते हैं।

यह परमाणु सिद्धांत को अप्रचलित होने से बचाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और नियमित समीक्षा हमारी वर्तमान सैन्य क्षमताओं और हमें क्या चाहिए, इसके संकेतक के रूप में काम कर सकती है।

- **देश को उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करना:** वर्तमान अनिश्चित वातावरण को देखते हुए, भारत **वैश्विक परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए संभावित नेतृत्वकर्ता** के रूप में अपने आपको स्थापित कर सकता है। इस संबंध में भारत द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं-
    - **भारत की सैद्धांतिक स्थितियों पर पुनर्विचार:** इसमें "सशर्त NFU" (जो भारत का वर्तमान सिद्धांत है) के बजाय "वैश्विक NFU" मानदंड अपनाना सम्मिलित है।
    - सुरक्षा और अप्रसार के मुद्दों को प्रासंगिकता प्रदान करने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र और अन्य समानांतर मंचों पर बहुपक्षीय चर्चाओं में संलग्न होना चाहिए। यह **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन जैसे मंचों को पुनर्जीवित करने** की दिशा में भी काम कर सकता है।

9.4. महामारी और राष्ट्रीय सुरक्षा (Epidemics and National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी के कारण विश्व भर में व्यापक पैमाने पर जनहानि और आजीविका प्रभावित हुई है। इसके कारण जिस परिमाण पर क्षति हुई है, उससे इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या महामारी को राष्ट्रीय सुरक्षा संकट माना जाना चाहिए।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य

- भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना।
- भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के अपने उचित स्थान की मांग को बढ़ावा देना।
- भारत के भीतर एक **शांतिपूर्ण आंतरिक परिवेश** सुनिश्चित करना।
- हमारे नागरिकों के लिए एक ऐसा परिवेश सृजित करना, जो न्यायसंगत, उचित एवं ख़ुशहाल प्रकृति का हो तथा उनके जीवन और आजीविका को जोखिम से रक्षा करे।

राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है?

पारंपरिक अर्थों में, भौतिक खतरों से राष्ट्र, इसकी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक संस्थानों और राष्ट्रीय संप्रभुता के संरक्षण को राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में संदर्भित किया जाता है। किन्तु, आधुनिक समय में इसकी परिभाषा व्यापक हो गई है, जिनमें निम्नलिखित पहलु शामिल हैं:

- **कानून और व्यवस्था संबंधी चुनौतियां:** ऐसी समस्याएं जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती हैं किन्तु एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करती हैं, जो बदले में राष्ट्रीय सुरक्षा संकट हेतु एक शुरूआती आधार का निर्माण करती हैं। इसमें गृह-युद्ध, नृजातीय संघर्ष, अपराध और ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- **आर्थिक खतरे :** ये आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर अप्रत्यक्ष रूप से विकासात्मक गतिविधियों को बाधित करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी जनित खतरे:** विगत कुछ वर्षों में साइबर आतंकवाद,अंतरिक्ष युद्ध आदि जैसे खतरों से संबंधित घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा:** क्षय रोग, मलेरिया और एच.आई.वी. जैसे रोगों के कारण होने वाली अत्यधिक जीवन क्षति के कारण इन्हें मानव सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है।

महामारी किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है?

- **यह हिंसक संघर्ष को उत्पन्न कर सकती है:** महामारी सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न करती है तथा चरम मामलों में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाली उन प्रक्रियाओं को तीव्र कर सकती है जो राज्य की विफलता को बढ़ावा देती हैं। उप-सहारा अफ्रीका में एड्स की सक्रियता के कारण हुए हिंसा के विभिन्न उदाहरण देखे जा सकते हैं।
- **जैविक हथियार:** महामारी रोगों सहित **जैविक एजेंट, युद्ध के हथियार के रूप में कार्य** कर सकते हैं तथा ये प्रत्यक्ष रूप से या तुरंत ही सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं। लड़ाके/आतंकी जानबूझकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को लक्षित कर सकते हैं और अपने शत्रु देश की जनसंख्या को कमजोर तथा हतोत्साहित करने के लिए रोग का प्रसार कर सकते हैं।
- **यह द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है:** महामारियां, कई क्षेत्रों में उपयुक्त नीतिगत प्रतिक्रियाओं को लेकर राज्यों के मध्य विवादों को उत्पन्न कर सकती हैं, जिसमें लोगों और वस्तुओं के आवागमन की स्वतंत्रता भी शामिल है, उदाहरणार्थ- MERS के प्रकोप के दौरान भारतीय प्रवासियों को लेकर मध्य-पूर्व के देशों और भारत के मध्य होने वाले विवाद।
- **मानवीय सुरक्षा:** यह अवधारणा कि मानवीय सुरक्षा वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा का भाग है, इस दृष्टि से लोगों के समक्ष संकट उत्पन्न करने के कारण महामारी को राष्ट्र के समक्ष खतरा/चुनौती माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस दृष्टिकोण से क्षय रोग भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है क्योंकि इससे देश के नागरिकों के समक्ष स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है।

ऐतिहासिक संबंध: महामारी और राष्ट्रीय सुरक्षा

ऐतिहासिक रूप से, महामारी संक्रमण ने राष्ट्रीय सुरक्षा को विविध अवसरों पर विभिन्न रूप से प्रभावित किया है, जैसे कि-

- विभिन्न विद्वानों द्वारा तर्क दिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हुए नुकसान में वर्ष 1918 के इन्फ्लूएंजा महामारी के नकारात्मक प्रभावों की भी अंशतः भूमिका रही है।
- इसी प्रकार, द्वितीय विश्व युद्ध में, कुछ क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई से हुई जनहानि (casualties) की तुलना में अमेरिका को

मलेरिया से अत्यधिक नुकसान (जनहानि) हुआ था।

- अभी हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहली बार AIDS के प्रकोप को खतरे के रूप में चिन्हित किया गया तथा यह माना गया कि इससे महामारी की स्थति उत्पन्न हो सकती है, परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को विस्तृत करने की अनुशंसा की गई।

महामारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे के रूप में देखे जाने के लाभ

- **उच्च प्राथमिकता:** सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य नीति प्रतिबद्धताओं को जोड़ने से किसी मुद्दे को दी जाने वाली प्राथमिकता बढ़ जाती है और इससे उत्पन्न परिणाम के स्तर में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होने के कारण स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाये जाते हैं।
- **बेहतर संस्थागत संगठन:** राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी समस्या के प्रति बेहतर तरीके से परिभाषित और सुव्यवस्थित संस्थागत तरीकों/माध्यमों के उपयोग किए जाने की अधिक संभावना होती है जो बदले में एक अधिक समन्वित तथा त्वरित प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धता में वृद्धि:** महामारी को एक सुरक्षा मुद्दे के रूप में माना जाना, देशों द्वारा सहयोग और तैयारियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है।

महामारी को सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाने में निहित चुनौतियाँ

- **सभी घटनाओं को सुरक्षा खतरे के रूप में प्रस्तुत करने का जोखिम:** यदि वह सब जो मानव कल्याण में ह्रास का कारण बनता है, उसे सुरक्षा खतरा माना जाएगा, तो यह शब्द किसी भी विश्लेषणात्मक उपयोगिता को खो देगा।
- **यह दृष्टिकोण विकसित राष्ट्रों को सहायता प्रदान करता है:** महामारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के एक भाग के रूप में देखने से विकासशील देशों में व्यापक स्वास्थ्य संकटों पर प्रतिक्रिया देने जैसे किसी भी नैतिक दायित्व से विकसित राज्य मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में, इसे मानवीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में अधिक देखा जा सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग का संकट:** राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा होने के कारण पड़ोसी देशों के मध्य सहयोग का स्तर अपेक्षाकृत निम्न हो जाता है। इससे प्रत्यक्षतः अधिक सहयोग की आवश्यकता की दिशा में अवरोध उत्पन्न हो सकता है।

क्या भारत कोविड-19 को राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरे के रूप में देख रहा है?

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980** द्वारा निपटाया जाता है। लेकिन कोविड-19 को वैधानिक रूप से दो कानूनों अर्थात् महामारी अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। इस अर्थ में, अभी तक कोविड-19 को कानूनी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में नहीं माना जा रहा है।

आगे की राह

संक्षेप में, वैश्विक महामारी, राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष तीन प्रकार (घरेलू, आर्थिक और सैन्य) की चुनौतियां उत्पन्न करती है। हालांकि, महामारी को एक राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में देखे जाने के पक्ष एवं विपक्ष में वैध तर्क दिए जाते हैं। निम्नलिखित को भी एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है:

VISION IAS

- **इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंता की जगह विदेश नीति से संबंधित मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए:** रोग और स्वास्थ्य के मुद्दों को द्विपक्षीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता वाली विदेश नीति से संबंधी चिंताओं के रूप में देखा जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है, न कि बहुपक्षीय प्रतिक्रियाओं वाले सुरक्षा खतरों के रूप में।
- **स्वतंत्र संस्थागत तंत्र:** स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एक स्वतंत्र संस्थागत तंत्र निर्मित किए जाने से मानव और वित्तीय संसाधन तैयार किए जा सकते हैं।

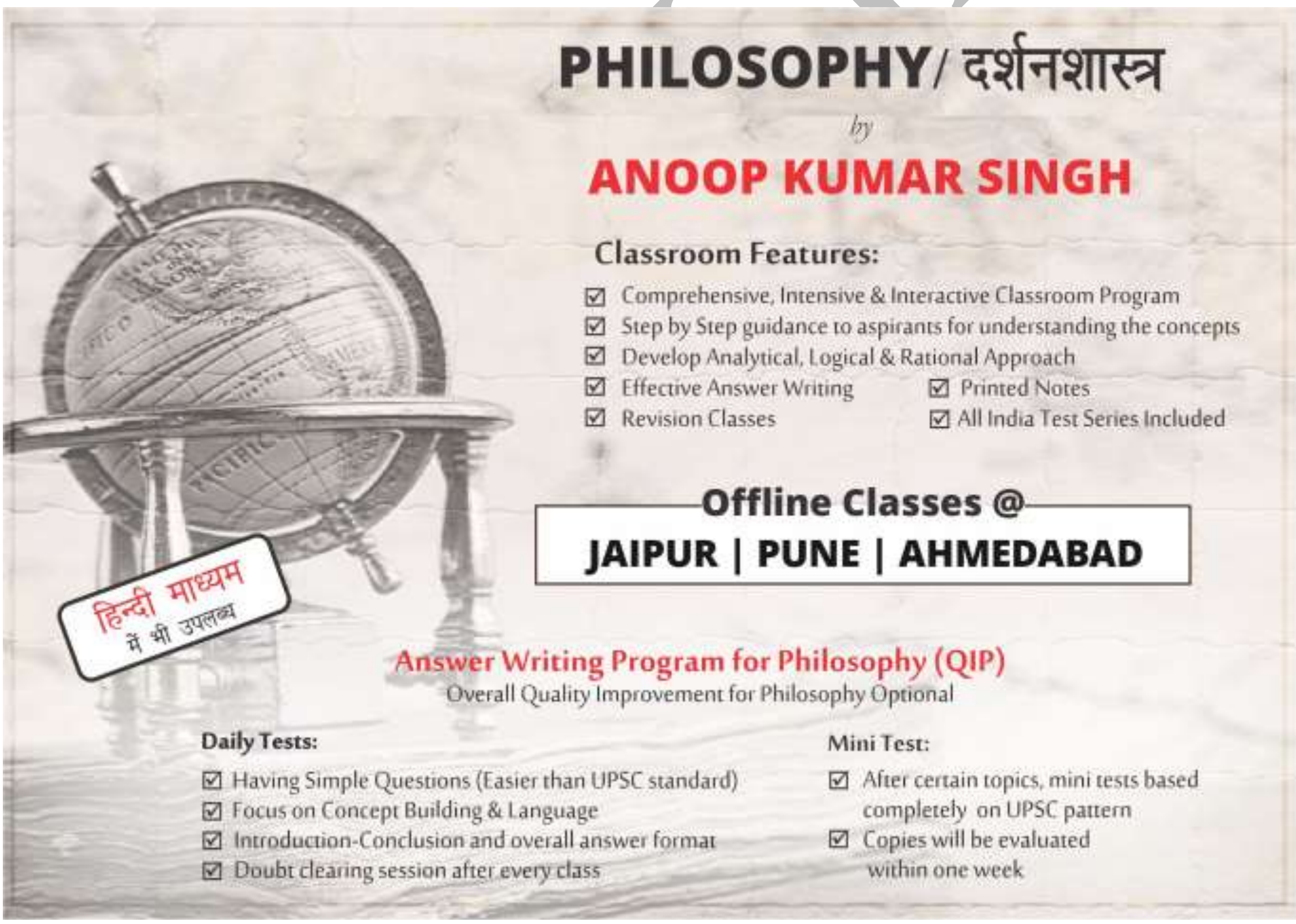

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.